लखनऊ विकास प्राधिकरण की, दिनांक अक्टूबर 10, 1977
को, होने वाली बैठक की कार्य - सूची :-

बैठक-स्थान :- कार्यालय आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ ।

समय :- पूर्वाह्न 11-00 बजे

विषय-सूची

क्रमांक	क्या ?	कहाँ ?
मद संख्या -1 :	विकास प्राधिकरण, लखनऊ की बैठक दिनांक जुलाई 8, 1977 के कार्य वृत्त का पुष्टिकरण ।	- पृष्ठ -1
मद संख्या -2 :	पिछली प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-7-77 में लिये गये निर्णयों के संबंध में कार्यवाही की प्रगति ।	- पृष्ठ -2
मद संख्या -3 :	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-7-77 की मद संख्या 29 के निर्देशानुसार स्टीयरिंग कमेटी के गठन के संबंध में ।	- पृष्ठ -7
मद संख्या -4 :	नीलामी शर्तों में उपाध्यक्ष को नीलामी से संबंधित कतिपय अधिकारों के लिये अधिकृत करने के संबंध में ।	- पृष्ठ -8
मद संख्या -5 :	प्राधिकरण के पूर्व पारित प्रस्ताव, 15 प्रति-शत एवं 40 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में आंशिक संशोधन ।	- पृष्ठ -9
मद संख्या -6 :	निराला सेवा शिक्षा संस्थान को रियायती दर पर प्रीमियम लेकर भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में ।	- पृष्ठ -10
मद संख्या -7 :	आई0टी0 कालेज के समीप दुकान नं0 2 एवं 22 की अदला बदली एवं एक में मिलाने का विषय	- पृष्ठ -11
मद संख्या -8 :	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र के तारतम्य में सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन के पूर्व नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	- पृष्ठ -12
मद संख्या -9 :	कर्मचारियों/अधिकारियों को भूमि/भवन संबंधी विविध अग्रिम की स्वीकृति पर विचार ।	- पृष्ठ -15
मद संख्या -10:	लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज के क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।	- पृष्ठ -20
मद संख्या -11:	बनारसी बाग के पास सिविल अस्पताल के पीछे एक भूखण्ड पर 400 शैया युक्त अस्पताल बनाने के लिये विचार ।	- पृष्ठ -21
मद संख्या -12:	अल्प आय वर्गीय पाण्डेय के तालाब योजना में दो कमरे वाले भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति के संबंध में ।	- पृष्ठ -22
मद संख्या -13:	स्व0 बब्बू, चपरासी को पारिवारिक पेन्शन देने हेतु उसकी सेवा-काल कण्डोन करने के संबंध में ।	- पृष्ठ -24
मद संख्या -14:	वशीरतगंज सामान्य, विकास एवं गृह आवास योजना के अन्तर्गत अलगसेटेड इंजीनियरिंग वर्क्स तथा अन्य विस्थापितों को अन्यत्र स्थान देकर उनके द्वारा अनधिकृत अर्जित भूमि को रिक्त कराने हेतु आज्ञा ।	- पृष्ठ -25

क्रमशः - - "छ"

मद संख्या -15: मध्यम आय वर्गीय तीन कमरे वाले तथा निम्न आय वर्गीय दो कमरे वाले एक मंजिले 40 भवनों का भीखमपुर योजना में निर्माण विषयक आख्या । - पृष्ठ -40

मद संख्या -16: विकास प्राधिकरण द्वारा नगर सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत कराये गये रंग रोगन के कार्यों का भुगतान रिवाल्विंग फण्ड से करने के संबंध में । - पृष्ठ 41

मद संख्या -17: नखास योजना में पुराने विस्थापितों की भांति अन्य विस्थापितों को भी बिना प्रीमियम लिये दुकानों के आवंटन के संबंध में विचार-विमर्श । - पृष्ठ -43

मद संख्या -18: वरिष्ठ नगर नियोजक पद-नाम बदल कर "वरिष्ठ नियोजक" या सीनियर प्लानर रखे जाने के सम्बन्ध में । - पृष्ठ -45

मद संख्या -19: अलीगंज आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों की किस्तों की वसूली के संबंध में । - पृष्ठ -46

मद संख्या -20: महानगर गृह योजना के अन्तर्गत भारत स्काउट एण्ड गाइड्स को 9,475 वर्गफुट भूमि का हाई पावर कमेटी के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 11-6-60 के अन्तर्गत आवंटन । - पृष्ठ -47

मद संख्या -21: अनगारन्टीड डिवेन्चर्स के सम्बन्ध में शोधान निधि के गठन के सम्बन्ध में । - पृष्ठ -49

मद संख्या -22: उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक के सृजित पद के वेतनमान को रु0 425-900 से रु0 320-620 करना तथा इसी वेतनमान पर सचिव के वैयक्तिक सहायक के नये पद का सृजन करना । - पृष्ठ -50

मद संख्या -23: नेहरू नगर, अम्बेदकर नगर, इन्द्रापुरी आदि बस्तियों को 600 वर्गफुट पर भवन-चित्र की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में । - पृष्ठ -52

मद संख्या -24: अलीगंज योजना में किराया-क्रय के आधार पर आवंटित भवनों की किस्तों की वसूली के सम्बन्ध में । - पृष्ठ -54

मृद संख्या -25: अलीगंज योजना में पत्रकारों को भूखण्ड दिये जाने के संबंध में । - पृष्ठ -55

मद संख्या -26: अलीगंज योजना के भू-स्वामियों को एकम-मुश्त राशि के रूप में अर्थात् 69.99 पैसे तथा दिये गये मुआवजा की दर से अन्तर भुगतान के सम्बन्ध में । - पृष्ठ -56

मद संख्या -27: मोहल्ला लालकुआँ स्थित अहाता दूलू खाँ क्षेत्र जिसमें लगभग 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि सम्मिलित है, नगर महापालिका द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में । - पृष्ठ -66

मद संख्या -28: मोहल्ला गनेशगंज लखनऊ स्थित अहाता मातादीन क्षेत्र आवासीय योजना को निर्मित करने के सम्बन्ध में । - पृष्ठ -68

मद संख्या -29: लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित "राजन-राउल्स" के निर्देश लागू किये जाने के संबंध में । - पृष्ठ -71

क्रमशः - - "ग"

मद संख्या– 30: 100 शैयाओं का ई0एस0आई0 अस्पताल लखनऊ-कानपुर रोड पर बनाने हेतु । – पृष्ठ –78

मद संख्या –31: के0डी0 ट्रस्ट इलाहाबाद द्वारा लाटूश रोड (गौतम बुद्ध मार्ग) लखनऊ पर दुकान के प्रस्तावित निर्माण हेतु मानचित्र, जो लखनऊ मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र है, को व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित करने हेतु । – पृष्ठ –79

मद संख्या –32: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।

– 0 – 0 –

दीक्षित/–

मद संख्या - 1 : विकास प्राधिकरण,
लखनऊ की बैठक
दिनांक जुलाई 8,
1977 के कार्यवृत्त
का पुष्टिकरण ।

- 0 -

क्रमशः - - 2

मद संख्या-2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक 8-7-1977 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रगति आख्या

- 0 - 0 -

विकास प्राधिकरण की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में मद-वार प्रगति निम्न प्रकार है :-

मद सं0 -3 मूल बजट 1977-78 विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 8-7-77 द्वारा डेब्ट इक्विटी एवं लैण्ड इनवेन्ट्रीज अनुपात तथा काम-शियल मैनेजमेन्ट के अनुपात पर विचार विमर्श किया था तथा यह निर्देश दिये गये थे कि बजट कार्यान्वयन करने में उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान रखा जाय ।

इस संबंध में व्यक्त करना है कि मूल बजट 1977-78 के यथानुसार रि-कास्टिंग करके पुनरीक्षित बजट अनुमान लगाये जायेंगे तथा यह प्रयास किया जायगा कि कम से कम अनुपात समानान्तर रहे, साथ ही मूल - बजट के कार्यान्वयन में इस बात का ध्यान रखने हेतु कार्यालय को निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं कि मूल बजट अनुपात ठीक ही रहे ।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976-77 में शासन/हडको/ बैंक से जो ऋण प्राप्त हुये थे उनका प्राविधान मूल-बजट व्यय पक्ष में करना पड़ा था तथा विगत दो वर्षों की अपेक्षा नये ऋणों की प्राप्ति पर नियंत्रण रखा गया था योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विगत ऋणों के अवशेष तथा राजस्व के प्रयोग का प्राविधान रखा गया है । उ उपरोक्त ऋणों की प्राप्ति एवं उनके प्राविधान से अनुपात प्रभावित हुये थे ।

मद सं0 -4 लखनऊ मास्टर प्लान की वैधता के सम्बन्ध में अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण ने अधिकरण में प्रस्तुत अपील सं0 28/सी0ए0/74-75, श्री रतन कुमार वर्सेज़ प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के निर्णय के सम्बन्ध में उक्त अपील को राज्य सरकार के विधि परामर्शी की राय हेतु भेज दिया है । परामर्शी की राय अभी प्राप्त नही हुई है । इस संबंध में सचिव के व्यक्तिशः प्रयास के बावजूद भी राय विधि परामर्शी से उपलब्ध नहीं हो पायी है तथा प्रयास किया जा रहा है ।

मद सं0 -5 निराला शिक्षा सेवा संस्थान के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या मद संख्या 6 पर पुनः प्रस्तुत है ।

क्रमशः - - -2.

मद सं0 -6 यू0 पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन को निर्णय की सूचना भेज दी गई है एवं फाइनल ले-आउट प्लान प्राप्त होने पर विकास प्राधिकरण की बैठक में रखा जायगा ।

मद सं0 -7 तालकटोरा रोड इण्डस्ट्रियल स्टेट के प्रस्तावित संशोधित ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में रेलवे द्वारा उठाई गई आपत्ति तथा आर0बी0ओ0 ऐक्ट के डायरेक्शन नं0 5 के अनुसार ले-आउट प्लान को संशोधित करके जमा करने हेतु पक्षा को लिखा दिया गया है तथा मुख्य नगर नियोजक को इसकी सूचना भेज दी गई है संशोधित ले-आउट प्लान जमा करने के पश्चात् विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायगा

मद संख्या -8 राजकीय शाखा प्रेस हजरतगंज की स्थापना हेतु भू-उपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में संयुक्त अधीक्षक आभारी, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को बैठक में हुये निर्णय से पत्र सं0 592/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक 14-9-77 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।

मद सं0 -9 अलीगंज आवास योजना में महापालिका द्वारा प्रस्तावित स्कीम को जनता के लिये उपलब्ध किये गये पुस्तिका में प्रस्तावित सेट-बैक तथा आर0बी0ओ0 ऐक्ट अथवा मास्टर प्लान में निर्धारित सेट-बैक में जो अन्तर है इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार ही इस योजना के भवन-चित्र विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित सेट-बैक पर स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

मद सं0 -10 पतंग वाले मैदान के विकास से सम्बन्धित है । इस संदर्भ में मुझे प्रस्तुत करना है कि प्रस्तुत पार्क में रेलिंग तथा नाले की निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है । उद्यान निदेशक की राय से रोड-साइड में फूल वाले पेड़ लगाये का काम प्रगति में है । कूड़ा भराने लेवेलिंग कराने का कार्य प्रगति पर है तथा 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है । वर्षा-ऋतु में कूड़े की गाड़ियां इस पार्क में नहीं जा पा रही थीं । जिससे भराई के कार्य में कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया था । वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर भराई का कार्य शुरू कर दिया गया है ।

मद सं0 -11 लखनऊ विकास प्राधिकरण के मोनोग्राम तथा कामन-सील बनवाने की कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमशः - - -3.

मद सं0 -12 मोहल्ला हुसैनगंज, बाग़ आयना बीवी स्थित अहाता कामता प्रसाद क्षेत्र में मलिन बस्ती निपातन योजना का विषय शासन को पुनः विचारार्थ भेजा जा रहा है ।

मद सं0 -13 तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् ट्रस्ट को पत्र भेज दिया गया है, परन्तु पत्रोत्तर अभी तक प्राप्त नही हुआ है ।

मद सं0 -14 ओल्ड पोस्ट आफिस हज़रतगंज में बहुखण्डी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में गठित उप-समिति की बैठके हो चुकी है लेकिन अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है । अतः अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद उप समिति की अनुशंसा के साथ यह विषय विकास प्राधिकरण के विचारार्थ प्र स्तुत किया जायगा ।

मद सं0 -15 कानपुर रोड नगर प्रसार योजना का ले-आउट प्लान अभी तक वरिष्ठ नगर नियोजक के यहाँ से प्राप्त नही हो पाया है । ले-आउट प्लान प्राप्त होने पर ही विस्तृत आगणन तथा विकसित भूमि के निर्माण मूल्य आदि का विवरण बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा ।

मद सं0 -16 कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी स्थापित करने के सम्बन्ध में हुये निर्णय के संदर्भ में केवल मुख्य अभियन्ता को ही अग्रिम कार्यवाही करनी है ।

मद सं0 -17 उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अन्तर्गत नगर के विभिन्न क्षेत्रों के भवनों के अग्रभाग की मरम्मत तथा उनको प्राधिकरण के द्वारा निश्चित रंग दिये जाने की चालू योजना के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण के समक्ष आख्या पुनः प्रस्तुत है ।

मद सं0 -18 अलीगंज आवास योजना के शेष भाग, जो लगभग 232 एकड़ है, तथा महापालिका की सीमा के बाहर का क्षेत्र है, का सर्वे आदि करा लिया गया है तथा निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

मद सं0 -19 अलीगंज योजना में निर्मित किये गये चार कमरे वाले उच्च आय वर्गीय भवनों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमशः - - -4-

मद सं0 -20 अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 100 मध्यम आय वर्गीय भवनों के व्ययानुमान स्वीकृत हो चुके हैं तथा निविदायें दिनांक 30-9-77 तक आमंत्रित की गयी है ।

मद सं0 -21 अलीगंज आवास योजना के सेक्टर "डी" में 248 अल्प आय वर्गीय भवनों के व्ययानुमान बनाये जा चुके हैं जिनके स्वीकृति प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

मद सं0 -22 श्री लीलाधार पन्त के मकान की भूमि जो अलीगंज योजना के अन्तर्गत आती है, पर लिये गये निर्णय के अनुसार यथावत् सूचना शासन को भेजी गई है ।

मद सं0 -23 लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लखनऊ नगर महापालिका सेवानिवृत्त, वेतन, ग्रेच्युटी एवं जनरल प्राविडेन्ट फण्ड नियमावली 1962 लागू करने के सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

मद सं0 -24 मुख्य लेखाधिकारी, विकास प्राधिकरण के पद का कार्य कास्ट-एकाउन्टेन्ट द्वारा देखाने के सम्बन्ध में निर्णयानुसार कार्य हो रहा है ।

मद सं0 -25 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त डिवेन्चर के मूलधन के भुगतान हेतु शोधान-निधि (सिंकिंग फण्ड) का गठन करने के संबंध में विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या अलग से पुनः प्रस्तुत की जा रही है ।

मद सं0 -26 अलीगंज आवास योजना में 3कमरे वाले दो-मंजिले भवन की योजना रू0 48-65 लाख की "हडको" द्वारा स्वीकृत हो गई है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा ऋण की प्रथम किस्त की धनराशि रू0 11-55 लाख प्राप्त हो गई है ।

मद सं0 -27 भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमशः - - -5.

मद सं0 -28 इस सम्बन्ध में आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।

मद सं0-29 स्टीयरिंग कमेटी के गठन हेतु आख्या अलग से प्रस्तुत है ।

मद सं0 -30 कोई विषय विचारणीय नही था ।

मद सं0 -31 विधान सभा मार्ग तथा स्टेशन रोड के भू-उपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को संख्या 595/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक 14-9-77 तथा 598/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक 22-9-77 द्वारा पत्र भेजा जा चुका है ।

मद सं0 -32 इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से अभी कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है । उत्तर प्राप्त होने पर आख्या पुन: प्रस्तुत की जायेगी ।

मद सं0 -33 यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र का ले-आउट प्लान स्वीकृत हो गया है । इसकी सूचना पक्षों को भेज दी गई है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु उन्हे लिखा गया है ।

मद सं0 -34 पाण्डेय के तालाब योजना में निम्न आय वर्ग के 264 भवनों के निर्माण हेतु "हडको" से स्वीकृत ऋण आदि लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

मद सं0 -35 प्राधिकरण के पुराने आवंटित भूखण्डों के संबंध में विधिक विवाद उत्पन्न होने से उनके पट्टों में निष्पादन और कब्जा दिये जाने की रुकावट के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

मद सं0 -36 अलीगंज आवास योजना के भूखण्डों एवं भवनों के आवंटियों द्वारा भूखण्डों की रजिस्ट्री कराने से पूर्व नाम-परिवर्तन करने के विषय में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । परन्तु निर्णय पर पुन: विचार करने के लिये आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है ।

ह0/- बाबू राम
सचिव

मिलान किया
एस0के0गुप्त

मद सं0 -3

विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ आख्या

विभाग- सचिव कार्यालय ।

विषय :- विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-7-77 के मद संख्या 29 में निर्दिष्ट Steering Committee के गठन के संबंध में ।

सारांश :- विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-7-77 के मद संख्या 29 में मास्टरप्लान में भू-उपयोग के मामले छोड़कर प्लानिंग तथा भवन विभाग में अनिवार्य अन्य नीतियों संबंधी विषय पर निर्णय लेने हेतु प्लानिंग उप-समिति और अभियन्त्रण विभाग के रु0 10,000/- के ऊपर व्ययानुमानों को जाँचने के कार्य की प्रगति तथा क्वालिटी का मूल्यांकन करने हेतु अभियन्त्रण उप-समिति तथा समय समय पर उत्पन्न लेखा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने हेतु वित्त-समिति गठित करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई थी । जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि चूँकि प्राधिकरण अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन किसी उप समिति को नही कर सकता है अतः इसके लिये एक Steering Committe का गठन कर दिया जाय ।

विभागीय अधिकारी की अनुशंसा:- विकास प्राधिकरण के कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु Steering Committee के गठन हेतु निम्न प्रस्तावित है :-

1- उपाध्यक्ष - चेयरमैन,
2- सचिव - संयोजक,
3- मुख्य अभियन्ता - सदस्य,
4- मुख्य लेखाधिकारी - सदस्य,
5- वरिष्ठ नगर नियोजक - सदस्य ।

समिति के कार्य निम्न होंगे :-

1- प्रति मास आर्थिक व भौतिक प्रगति की समीक्षा करेगी ।
2- विशेष और नई योजनाओं का अध्ययन ।
3- जनता को भूखण्ड व भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु जो योजनायें प्रकाशित होंगी उनकी शर्तें आदि फाईनलाइज करेगी ।
4- भूखण्ड व भवनों के आवंटन की प्रक्रिया/सिद्धांतों को आवश्यकतानुसार निर्धारित करेगी ।

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष के आदेश :- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपरोक्त प्रस्ताव विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा जाय ।

ह0/- एन0वी0लाल
उपाध्यक्ष
22-9-77

मद सं0 - 13

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग: अभियंत्रण विकास विभाग

विषय: अभियंत्रण विकास विभाग के कर्मचारी स्व0 श्री बब्बू, पद चपरासी की योग्य सेवा काल में कमी का कन्डोल किया जाना।

सारांश: विकास विभाग के उपरोक्त कर्मचारी का सेवा काल पारिवारिक पेन्शन के उपदेश्य के देखने पर 20 वर्ष से कम होता है जबकि पेन्शन नियमावली के नियम 9(1)(i) के अन्तर्गत सेवाकाल 20 वर्ष से होने पर ही पारिवारिक पेन्शन दी जा सकती है परन्तु यह शर्त विकास प्राधिकरण द्वारा कन्डोल की जा सकती है ।

अतएव उक्त कर्मचारी के पारिवारिक हित में विकास प्राधिकरण अपवाद स्वरूप अपनी स्वेच्छा से उपरोक्त कर्मचारी के पारिवारिक पेन्शन देय बनाने के लिए अवधि संबंधी शर्त कन्डोल करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

नाम कर्मचारी	कुल सेवा काल
स्व0 श्री बब्बू	17 वर्ष 9 माह 14 दिन

नियम जिसके अन्तर्गत स्वीकृति वांछनीय है:- लखनऊ नगर महापालिका पेन्शन नियम 1962 के नियम 9(1)(i) की टिप्पणी के अन्तर्गत (जो प्राधिकरण द्वारा अपनाई गयी है)

ह0/- प्रेम नाथ सिन्हा
9-9-77

विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ-स्वीकृति/अस्वीकृति-(1)

ह0/- एस0पी0 गुप्ता
13-9-77
मु0अ0

ह0/- एन0बी0 लाल
13-9-77
उपाध्यक्ष

प्रस्तावित
ह0/- [illegible]

मद सं0 -4 -: विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या :-

विभाग- सम्पत्ति विभाग ।

विषय - भूखण्ड/भवन अथवा प्राधिकरण की चल एवं अचल सम्पत्तियों के निस्तारण ।

विषय वस्तु :-

प्राधिकरण में सम्पत्तियों का निस्तारण प्राय: प्रीमियम के सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जाता है । कभी कभी नीलामी का "आफर माँगने की" प्रक्रिया भी अपनायी जाती है । नीलामी अथवा आफर माँगने की कार्यवाही अब तक प्रचलित सामान्य शर्तों के अनुसार की जाती है । यह देखाने में आया है कि बहुधा लोग नीलामी का एक-चौथाई धन तो जमा कर देते है परन्तु तीन-चौथाई धन जमा करने में अनेकानेक टाल-मटोल के तरीके अपनाते हैं । कभी कभी तो यह बहाने उचित होते है किन्तु बहुधा इस विलम्ब का औचित्य नहीं होता है । नीलामी की शर्तों में तीन-चौथाई धन जमा करने के लिये एक माह का समय निर्धारित होता है किन्तु इस एक माह के समय के बढ़ाने आदि का कोई उपबन्ध नही है, जिसकी आवश्यकता प्रतीत होती है । अतएव यदि, प्राधिकरण उचित समझे तो उपाध्यक्ष को ऐसे मामलों में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने के लिये अधिकृत कर दें ।

उपरोक्त स्थिति में प्रस्तावित किया जाता है कि नीलामी की प्रवृत्त शर्तों में यह बढ़ा दिया जाय कि नीलामी की उच्चतम बोली बोलने वाले के द्वारा यदि तीन-चौथाई धन निर्धारित अवधि में न जमा किया गया तो उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह मामलों के गुणावगुण के आधार पर अपने विवेक से पक्ष द्वारा जमा किया हुआ धन जब्त कर लें । साथ ही यह भी उपबन्ध प्रस्तावित है कि प्रीमियम का सम्पूर्ण धन जमा करने अथवा आवंटन पत्र पाने के 2 माह, जो भी अवधि अधिक हो, के अन्दर पट्टे की रजिस्ट्री यदि आवंटी नहीं करा लेता और आवंटी के पक्ष में देरी की जा रही हो ऐसी दशा में भी एक रजिस्टर्ड नोटिस देने के उपरान्त उपाध्यक्ष को सम्पूर्ण जमा प्रीमियम धन के अपने विवेक से जब्त करने का अथवा मामले निस्तारण तक किराये की क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

ह0/- प्रे0ना0 वाजपेयी
अतिरिक्त सचिव
6-9-77

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ रखा जाय ।

ह0/- एन0बी0लाल
उपाध्यक्ष
1-10-77

मद सं0 -5

विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ आख्या

विभाग:- सम्पत्ति विभाग ।

विषय :- भूखाण्डों के हस्तान्तरण पर शुल्क का लिया जाना ।

विषय-वस्तु :- विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 की मद संख्या 6 द्वारा निर्णय लिया गया था "कि आवंटित भूखाण्ड लीज होल्ड अधिकार का हस्तान्तरण करने हेतु 40 प्रतिशत तथा नीलाम द्वारा किये गये भूखाण्ड के बीज होल्ड अधिकार 15 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लेकर लीज होल्ड अधिकार हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जाय ।"

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्राधिकरण की 19 फरवरी, 1977 की बैठक में मद संख्या 6 की कार्यवाही देखने से स्पष्ट होगा कि प्रश्नगत विषय केवल उन भूखाण्डों के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसके लीज डीड के उपबन्धों के अन्तर्गत आवंटी को भूखाण्ड के हस्तान्तरण हेतु पूर्व अनुमति लेना प्राविधानित है किन्तु कार्यवाही के आपरेटिव भाग की शब्दावली ऐसी अंकित हो गई जिससे यह भी कहा जा सकता है कि प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय उन भूखाण्डों के मामलों में भी लागू होगा जिनके स्थानान्तरण हेतु पूर्व अनुमति लेना उपबन्धित नहीं है । अतएव यह आवश्यक है कि प्राधिकरण के संदर्भित निर्णय को स्पष्ट करने की कृपा की जाय ।

विभागीय अनुशंसा यह है कि प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्ट कर देने की कृपा की जाय कि उसकी बैठक दिनांक 19-2-77 के मद संख्या 6 द्वारा लिया गया निर्णय केवल उन भूखाण्डों से संबंधित है जिनमें लीज डीड के अन्तर्गत आवंटी को भूखाण्ड के स्थानान्तरण हेतु पूर्व अनुमति लेना प्राविधानित है ।

ह0/- प्रे0 ना0 वाजपेयी
अतिरिक्त सचिव
6-9-77

उपाध्यक्ष के आदेश : अनुमोदित,

ह0/-एन0बी0लाल
उपाध्यक्ष
22-9-77

मिलान किया ।
स0/गुप्ता

मद सं0 -6

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग:- सम्पत्ति(वि0)

विषय:- निराला शिक्षा सेवा संस्थान को प्रीमियम में 50% रियायत पर भूखण्ड का दिया जाना।

विषय वस्तु:-

कुतुब पर हरादत नगर योजना में स्थित भूखण्ड संख्या सी-303 क्षेत्रफल 3360 वर्ग फुट के तीन होल्ड अधिकारों से सम्बन्धित प्रीमियम का सार्वजनिक नीलाम दिनांक 2-2-77 को श्री एस0के0भार्गवा अवैतनिक प्रबन्धक निराला शिक्षा सेवा संस्थान के पक्ष में रु0 रु0 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से छूटा था, जिसका उन्होंने 1/4 धन रु0 8400/- तत्काल जमा कर दिया। यथा समय उनसे प्रीमियम की शेष 3/4 धन जमा करने की मांग की गयी श्री भार्गवा ने इस विषय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि प्रकरणगत संस्थान एक समाज सेवी संस्था हैं जिसके द्वारा निर्धन एवं बीमार स्त्रियों (श्रमिक) के बच्चों के संरक्षण हेतु उक्त प्लाट पर केवल आवासीय गृह निर्माण किया जायेगा, इस कारण प्राधिकरण अपनी सामान्य नीति के अनुसार प्रीमियम में 50% की कमी करें। इस हेतु उन्हों ने अखिल भारतीय महिला संघ के आलीगंज योजना में एक आवासीय भूखण्ड का आवंटन, प्रीमियम में 50%कम करके करने का भी उल्लेख किया हैं जो सही हैं।

विभागीय अनुशंसा:-

उपरोक्त स्थिति में प्रकरणगत विषय प्राधिकरण की सामान्य नीति के अनुसार बाजार दर के 50% की सीमा तक छूट दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर निर्णय लेने की कृपा करें।

ह0/- प्रे0ना0 वाजपेयी
अतिरिक्त सचिव,

उपाध्यक्ष के आदेश:-

प्राधिकरण के विचारार्थ रखा जाय।

ह0/-एन0टी0लाल
उपाध्यक्ष।
14-9-77

मद सं० -7

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग: - सम्पत्ति अनुभाग ।

विषय: - आई० टी० कालेज के निकट निर्मित दुकानों में से दुकान २ के स्थान पर २२ का आवन्टन।

विषय वस्तु:

आई० टी० कालेज के निकट ३२ दुकानों का निर्माण कुछ समय पूर्व किया गया था। जिसके किरायेदारी के प्रीमियम का नीलाम दिनांक २९-२-७६ को किया गया था परन्तु प्रीमियम की बोली कम आने के कारण पुन: दिनांक २६-११-७६ को सील बन्द आफर रूपया ८,०००।- निम्नतम प्रीमियम निर्धारित करते हुये, मांगे गये जिसमें केवल दुकान नं० १ के लिये श्री मती शशी रानी का आफर रू० १२,०००।- स्वीकृत हुआ। उसके बाद दुकान नं० दो के लिये श्री मती पुष्पा शाही का आफर रू० ९,०००।- का प्राप्त हुआ जिसकी स्वीकृति लेकर सम्पूर्ण धन जमा करा लिया गया है। परन्तु, एग्रीमेन्ट की कार्यवाही के बीच में इनका इस आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि दुकान नं० २ के बजाये दुकान नं० २२ इन्हें आवन्टित कर दिया जाय।, जिससे वह दुकान नं० १ व २२ को एक में मिला कर अपना कारोबार ठीक से कर सकें। इसके लिये इन्होंने प्रीमियम की धनराशि एक हजार रूपया अधिक देने की सहमति दे दी है। अब दुकान नं० २२ उपरोक्त पैरा १ में वर्णित दुकान नं० १ के पीछे तथा लगभग उसी के समान स्थलीय स्थिति में सड़क के किनारे पड़ती है किन्तु उस ओर विकास कार्य न होने के कारण पर्याप्त आफर नही प्राप्त हो रहे हैं।

विभागीय अनुशंसा

उपरोक्त दुकानों के निस्तारण हेतु कई बार नीलामी तथा सील बन्द आफर मांगे गये परन्तु निर्धारित प्रीमियम से बहुत कम की बोली आई। अन्य आफर भी नही आये जिसके कारण इनका निस्तारण एक लम्बे अर्से से नही हो सका है। दुकान नं० २२ का भी कोई अन्य आफर नही है अतएव विकास प्राधिकरण के हित में रूपया १०,०००।- का आफर दुकान नं० २२ हेतु स्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है क्योंकि जिस तरफ यह दुकान है उस तरफ अभी तक केवल एक दुकान का आवंटन हो सका है। यदि यह दुकान इनको दे दी जाय तो हो सकता है कि अन्य दुकाने भी निस्तारित होने में कुछ सहायता मिले।

(ह० प्रै० ना० वाजपेयी)
अतिरिक्त सचिव

उपाध्यक्ष के आदेश। प्राधिकरण के विचारार्थ रखा जाय।

ह० एन०बी० लाल
उपाध्यक्ष

पढ़ा गया [illegible]
[illegible]

मद सं0 -8 -: लखनऊ विकास प्राधिकरण :-

विभाग :- सम्पत्ति विभाग ।

विषय :- भूतपूर्व नगर महापालिका अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों के आवंटियों द्वारा भूखण्ड की रजिस्ट्री से पूर्व नाम परिवर्तन ।

- 0 - 0 -

उपरोक्त विषय पर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-7-77 में पूरक मद संख्या 36 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि "आवंटित या नीलामी द्वारा आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री केवल आवंटी अथवा उच्चतम बिडर के नाम ही की जायें ।" इस निर्णय के कार्यान्वयन में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही है । विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से भी जानकारी प्राप्त की गई कि उनके यहाँ ऐसे मामलों में क्या नीति अपनाई गई है जिसका उत्तर उपाध्यक्ष श्री विश्वम्भर दयाल गुप्ता ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 247 दिनांक 3-8-77 के अन्तर्गत भेजा है, कि रजिस्ट्रेशन के पूर्व पति/पत्नी, पुत्र तथा पुत्री के नाम शपथपत्र लेकर भूखण्डों के आवंटन भी बदल दिये जाते हैं ।

विभागीय अनुशंसा :-

व्यवहारिक कठिनाइयों एवं गाजियाबाद में प्रचलित नीति का ध्यान रखते हुये यह अनुशंसा की जाती है कि प्राधिकरण इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने की कृपा करें और दिनांक 8-7-77 की बैठक में प्रस्तुत संस्तुति [illegible] पर स्वीकृति प्रदान करें ।

ह0/- प्रे0 ना0 वाजपेयी
अतिरिक्त सचिव
30-9-77

उपरोक्त विषयक विभागीय संस्तुति सहित विकास प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- एन0डी0 लाल
उपाध्यक्ष
30-9-77

प्र ति लि पि

विशम्भर दयाल गुप्ता,
उपाध्यक्ष ।

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण
गाज़ियाबाद ।
अ0 शा0 पत्र संख्या 247
दिनांक 3-8-77

प्रिय महोदय,

दिनांक 31-7-77 को आपने टेलीफोन पर यह जानना चाहा था कि भूखण्डों तथा भवनों के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् प्रार्थी के साथ अन्य व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्रेशन में सम्मिलित किये जाते हैं अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि इस प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अन्य जगहों की प्रक्रिया से कदाचित भिन्न है । अब तक की यहाँ की प्रथा के अनुसार सभी रजिस्टर्ड व्यक्तियों के बीच लाटरी द्वारा करके असफल व्यक्तियों को उनकी बयाने की धनराशियाँ लौटाई जाती रही है । भूखण्डों के आवंटन होने तक यहाँ प्रार्थी के साथ अन्य व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जाती रही है परन्तु आवंटन के बाद यह अनुमति दी जाती है, परन्तु केवल पति/पत्नी, पुत्र तथा पुत्री के नाम जोड़ने की अनुमति ही दी जाती है । अन्य व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करने की अनुमति नही दी जाती है । इस प्रकार रजिस्ट्रेशन के पूर्व पति/पत्नी, पुत्र तथा पुत्री के नाम शपथपत्र लेकर भूखण्डों के आवंटन भी बदल दिये जाते हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रथा कदाचित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की प्रथा से मिलती जुलती है । अत: यदि आवश्यक समझें तो वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय ।

सादर,

भवदीय,

ह0/-
(विशम्भर दयाल गुप्ता)

श्री एन0 बी0 लाल,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

प्रतिलिपि

लखनऊ विकास प्राधिकरण

विभाग- सम्पत्ति विभाग ।

विषय - भूतपूर्व नगर महापालिका अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों के आवंटियों द्वारा भूखण्ड की रजिस्ट्री से पूर्व नाम परिवर्तन ।

समय-समय पर इस प्रकार के मामले आते रहे है जिसमें किसी भूखण्ड को आवंटी द्वारा वर्षों तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और बाद में यह प्रार्थना की गई कि उस भूखण्ड का रजिस्ट्रेशन किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया जाय । भूतकाल में इस प्रकार के नाम परिवर्तन के संबंध में कोई शर्तें निर्धारित नही रही है और ऐसी प्रार्थनाओं को सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता रहा है । इनमें से इस प्रकार के मामले भी प्रकाश में आये हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन न होते हुये भी लैबधित व्यक्ति को भूखण्ड का कब्जा दे दिया गया है और कुछ मामलों में तो लीज रेण्ट भी जमा होता रहा है । एक ऐसा मामला भी प्रकाश में आया है जिसमें नीलाम द्वारा आवंटित भूखण्ड का केवल एक-चौथाई रुपया पक्षा द्वारा जमा किया गया । किन्तु शेष धनराशि को जमा करने के समय आवंटी द्वारा अपने रिश्तेदार के नाम भूखण्ड का रजिस्ट्रेशन करने की प्रार्थना करके इस धनराशि का भुगतान रोक रखा गया है ।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुये यह "आवश्यक जान पड़ता है कि भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कोई स्पष्ट नीति निर्धारित कर दी जाय, जिसके अनुसार समय-समय पर प्राप्त ऐसे प्रार्थनापत्रों को निस्तारित किया जा सके । विभाग का मत है कि भविष्य में भूखण्डों के आवंटनपत्रों में ही यह स्पष्ट कर दिया जाया करें कि निर्धारित अवधि के अन्दर प्रीमियम की पूरी धनराशि जमा करने के कि्मतम् तीन माह के अन्दर पक्षा द्वारा भूखण्ड का रजिस्ट्रेशन करा लेना अनिवार्य होगा और उसके साथ ही पक्षा को भूखण्ड का कब्जा भी दे दिया जाया करें । इस अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति नाम परिवर्तन का प्रार्थनापत्र देता है तो वह केवल उन मामलों में स्वीकार किया जाय जहाँ उभय-पक्षा के बीच पिता-पुत्र/पुत्री, पति-पत्नी, पितामह-प्रपौत्र/प्रपौत्रियों अथवा एक ही पिता के पुत्र या पुत्रियों का सम्बन्धा हो अथवा इस बीच विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आवंटी का कोई वारिस हो जाय ।"

चूँकि भूतकाल में उपरोक्तानुसार कोई नीति निर्धारित नही कह गई थी और वर्षों पुराने मामले भी अनिस्तारित पड़े हुये हैं, अतएव अनुरोधा की जाती है कि "जो प्रार्थनापत्र कार्यालय में अब तक आ चुके हैं और जिनका पूरा प्रीमियम निर्धारित समय के अन्दर जमा किया जा चुका है उन्हें भी उपरोक्तानुसार ही निस्तारित कर दिया जाय । जिन भूखण्डों का रजिस्ट्रेशन इसके बाद भी शेष रह जाता है उनसे सम्बन्धित आवंटियों को तीन माह की अवधि में नाम परिवर्तन की उनमें से कोई प्रार्थना आती है तो उनको भी तदनुसार ही निस्तारित किया जाय किन्तु इन लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिये दी गई अवधि के पश्चात् यह सुविधा न दी जायगी ।"

ह0/- प्रे0ना0बाजपेयी
अतिरिक्त सचिव
2-7-1977

उपरोक्त वस्तु स्थिति एवं विभागीय प्रस्तुति, विकास प्राधिकरण में निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाय ।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष ।

मद सं0 9 — : प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या : -

विभाग- लेखा विभाग ।

विषय - कर्मचारियों/अधिकारियों को भूमि/भवन संबंधी विविध अग्रिम की स्वीकृति पर विचार ।

विषय वस्तु- भूमि/भवन क्रय अथवा/तथा भवन निर्माण हेतु एवं वाहन क्रय हेतु (साइकिल एवं स्कूटर या मोटर-साइकिल) विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों ने प्राधिकरण निधि से अग्रिम दान की माँग की है ।

भूमि/भवन के लिये अग्रिम की माँग करने वाले कर्मचारियों की संख्या 47 है तथा कूल धनराशि जो देय है रू0 4,04,296/- आती है जो अनुलग्नक "क" के अनुसार है । साइकिल एवं मोटर-साइकिल के क्रय के लिये माँगने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या 13 है तथा धनराशि जो देय है रू0 14,340/- आती है जो अनुलग्नक "ब" के अनुसार है ।

नियमानुसार भवन/भूमि हेतु अग्रिम तथा मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय करने हेतु अग्रिम उसी कर्मचारी/अधिकारी को देय है जो उसी संस्था का स्थाई कर्मचारी/अधिकारी हो । केवल साइकिल एडवान्स अस्थाई कर्मचारियों को किन्ही दो स्थाई कर्मचारियों की सियोरिटी ( ) पर दिया जा सकता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्य करने वाले कर्मचारी/अधिकारी (कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों को छोड़कर जिनकी नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा हुई है) की नियुक्ति महापालिका द्वारा की गई है । उत्तर प्रदेश अरबन प्लानिंग ऐण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट 1973 की धारा 59(3) के अनुसार ऐसे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाये लखनऊ नगर महापालिका से लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित होना चाहिये थी परन्तु अभी तक ऐसा नही हो पाया है ।

चूँकि इस प्रकार के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाये नियमानुसार लखनऊ नगर महापालिका से लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित होने में समय लग सकता है । इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर प्राधिकरण को विचार करना है :-

1- विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त कर्मचारियों की सेवाओं का विलियन न होने की दशा में, इन कर्मचारियों को अग्रिम दिया जाय अथवा नही ।

2- क्योकि प्रश्नगत कर्मचारी महापालिका में कार्यरत थे जहाँ अस्थाई कर्मचारियों को दो सियोरिटी ( ) के आधार पर अग्रिम दिये जाते है । क्या यह प्रथा विकास प्राधिकरण में भी चालू रखना होगी ?

------2.

3- क्या अग्रिम स्वीकृत होने के उपरान्त उसके भुगतान उपाध्यक्ष के आदेशानुसार किश्तों में किये जायें ?

4- क्या उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम फाइनेन्सियल हैण्ड बुक वाल्यूम-5 के लागू हों ?

5- अग्रिम स्वीकृति के अधिकार उपाध्यक्ष को प्रतिनिधानित कर दिये जायें ।

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

अनुलग्नक "क"

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	स्थायी/ अस्थायी	प्रार्थना पत्र के प्राप्त की तिथि	माँगी गई धनराशि	देय-धनराशि
1-	श्री संकटा प्रसाद ~~बनर्जी~~ गुप्ता	स्थायी	7-4-72	13,000	10,000
2-	श्री शिव दयाल (चपरासी)	स्थायी	14-4-72	8,592	2,000
3-	श्री जीत बहादुर (चपरासी)	स्थायी	16-2-73	1,680	1,680
4-	श्री मो0 कासिम (लिपिक)	स्थायी	5-4-73	10,000	10,320
5-	श्री शिव पूजन (चपरासी)	स्थायी	3-12-73	8,112	8,000
6-	श्री अमोद कुमार शर्मा, लिपिक	अस्थायी	8-2-74	9,456	9,456
7-	श्री श्याम किशोर लिपिक	अस्थायी	8-2-74	10,000	10,000
8-	श्री जवाहर लाल वर्मा लिपिक	स्थायी	10-4-74	12,096	11,000
9-	श्री जालपा सरन, लिपिक	स्थायी	24-4-74	10,000	10,000
10-	श्री योगीराज, विकास वि0ले0	स्थायी	28-6-75	10,500	10,500
11-	श्रीफारूक अहमद लिपिक	स्थायी	4-7-75	9,840	7,500
12-	श्री रमेशचन्द्र शुक्ल चपरासी	स्थायी	21-10-75	8,592	8,592
13-	श्री जगदीश प्रसाद तिवारी	स्थायी	13-11-75	15,000	12,000
14-	श्री राजकुमार तिवारी लिपिक	स्थायी	19-11-75	10,000	10,000
15-	श्री अब्दुल कादिर चपरासी	स्थायी	21-11-75	8,000	8,000
16-	श्री माता प्रसाद चपरासी	स्थायी	9-12-75	8,688	8,688
17-	श्री शिव शंकर श्रीवास्तव	अस्थायी	10-12-75	9,648	9,648
18-	श्री नन्दन सिंह चपरासी	अस्थायी	25-6-76	8,000	3,000
19-	श्रीमती प्रकाशिनी शुक्ला	अस्थायी	25-6-76	10,000	5,500
20-	श्री बृज लाल चपरासी	स्थायी	28-6-76	8,000	8,000
21-	श्री मोहम्मद रज़ा	स्थायी	28-6-76	10,500	4,000
22-	श्री जी0एस0 अस्थाना	स्थायी	28-6-76	10,000	10,000
23-	श्री हंसराज सिंह लिपिक	स्थायी	28-6-76	10,000	10,000
24-	श्री आर0के0मिश्र, लिपिक	स्थायी	28-6-76	10,000	5,000
25-	श्री हीरा लाल, चपरासी	स्थायी	28-6-76	8,000	8,000
26-	श्री प्रमोद कुमार महाजन	अस्थायी	29-6-76	10,000	9,120
27-	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	अस्थायी	30-6-76	9,000	9,000
28-	श्री गंगाराम लिपिक	स्थायी	30-6-76	10,000	10,000
29-	श्री साजिद हुसैन लिपिक	स्थायी	30-6-76	10,000	10,000
30-	श्री श्रीनिवास चपरासी	अस्थायी	30-6-76	8,000	7,900
31-	श्री जयराम चपरासी	स्थायी	30-6-76	8,000	8,000
32-	श्री मो0ताहिर खाँ प्र0लि0	स्थायी	30-6-76	15,000	15,000
33-	श्री साधूराम रावत लिपिक	स्थायी	30-6-76	10,320	10,300
34-	श्री अब्बास हुसैन लिपिक	स्थायी	20-7-76	10,560	10,000
35-	श्री एस0एन0किम्मू लिपिक	स्थायी	16-10-76	5,000	5,000
36-	श्री मो0 वासिल	स्थायी	12-1-77	10,000	10,000
37-	श्री कमल किशोर शर्मा	स्थायी	12-1-77	12,000	10,320
38-	श्री बुद्धी लाल चपरासी	अस्थायी	20-1-77	8,400	8,400
39-	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह लिपिक	अस्थायी	22-1-77	10,000	9,840
40-	श्री शिवकरन नाथ मिश्र	स्थायी	11-3-77	10,400	10,400

क्रमशः - - -2.

41- श्री मुस्तफा हुसैन दफ्तरी	स्थायी	11-3-77	8,256	8,256
42- श्री राजेन्द्र प्रसाद लिपिक	अस्थायी	17-3-77	9,840	9,840
43- श्री चन्द्र शेखर पाण्डेय	स्थायी	6-4-77	12,000	11,136
44- श्री फेंदनू चपरासी	स्थायी	26-4-77	5,000	5,000
45- श्री इश्तियाक अली चपरासी	स्थायी	10-6-77	8,000	8,000
46- श्री एस0एच0अन्सारी	स्थायी	10-6-77	10,000	10,000
47- श्री राम भजन चपरासी	स्थायी	3-6-77	8,000	8,000
			4,36,480	4,04,396

अनुलग्नक "ख"

स्कूटर/मोटर-साइकिल क्रय हेतु अग्रिमों की सूची

क्रम सं0	कर्मचारी के नाम	स्थायी/ अस्थायी	प्रार्थना पत्र के प्राप्त की तिथि	मांगागया दान	देय धनराशि
1-	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्र	अस्थायी	26-7-77	6,000	3,000
2-	श्री जे0पी0श्रीवास्तव	अस्थायी	26-7-77	5,000	3,000
3-	श्री जमील-उर-रहमान	स्थायी	29-7-77	7,000	3,000
4-	श्री अनवर हुसेन	अस्थायी	26-8-77	5,000	3,000
				23,000	12,000

साइकिल क्रय हेतु अग्रिमों की सूची

1-	श्री कृष्णमनोहर लाल सर्वेयर	स्थायी	21-11-75	300	260
2-	श्री एस0एच0अन्सारी लिपिक	स्थायी	11-2-77	300	260
3-	श्री फुंदनू चपरासी	स्थायी	26-2-77	300	260
4-	श्री प्रमोद त्रिपाठी लिपिक	अस्थायी	22-3-77	350	260
5-	श्री बुद्धू लाल चपरासी	स्थायी	19-5-77	260	260
6-	श्री शिव नारायण चपरासी	अस्थायी	28-5-77	260	260
7-	श्री राम अनुज चपरासी	अस्थायी	19-7-77	260	260
8-	श्री भागौती प्रसाद	अस्थायी	1-8-77	300	260
9-	श्री हरिहर सहाय लिपिक	स्थायी	26-8-77	300	260
				2,630	2,340

सारांश

अग्रिम	स्थायी	अस्थायी	योग	मांगी गई धनराशि	देय धनराशि	बजट-प्रावधान
1-भूमि/ भवन अग्रिम	36	11	47	स्थायी- 3,34,136 अस्थायी - 1,02,344	स्थायी- 3,12,692 अस्थायी- 91,704	2,00,000
2-वाहन-क्रय हेतु	6	7	13	स्थायी- 8,460 अस्थायी- 17,170	स्थायी- 4,300 अस्थायी- 10,040	90,000
	42	18	60	स्थायी 342596 अस्थायी 119514	स्थायी 316292 अस्थायी 101744	2,90,000

मद सं0 -10

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग- प्लानिंग विंग ।

विषय :- लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज के क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

सारांश :- श्री ए0 सी0 दास विधान परिषद उत्तर प्रदेश, लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज के प्रांगण का करीब 16,000 वर्गफुट भूमि जो बी0एन0 वर्मा रोड पर स्थित है, कालेज के उपयोग परिधि से निकाल कर दुकान एवं कार्यालय प्रस्तावित करना चाह रहे हैं । इस संदर्भ में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की भी राय ली गई है, उन्होंने अपनी राय में कहा है, कि प्रश्नगत मामले में भू-उपयोग परिवर्तन नही किया जाना चाहिये उनका कथन है कि शहर के अन्दर विभिन्न भू-उपयोगो का आर्थिक प्रतिलाभ (एकोनामिक रिटर्न) भू-उपयोग के आपसी सहअस्तित्व को बहुत प्रभावित करता है । कम प्रतिलाभ के उपयोगो के स्थान पर अधिक प्रतिलाभ के उपयोग के आने की प्रवृत्ति रहती है । इस प्रकार सामुदायिक सुविधाओं के लिये तथा पार्क इत्यादि जो स्वच्छ वातावरण बनाने में सहायक होते हैं, के लिये शहर में सदैव भूमि की कमी रहती है । अत: भू-उपयोग परिवर्तन के इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना उचित नही है ।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की इस राय से हम भी सहमत है । अत: इस भूखण्ड का दुकान एवं कार्यालय के लिये भू-उपयोग परिवर्तन करना उचित नही होगा । विकास प्राधिकरण के विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत ।

ह0/- सतीश चन्द्र
सहायक नगर नियोजक

ह0/- के0 पी0 सिंह,
वरिष्ठ नगर नियोजक

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण की अगली बैठक में रखने की अनुशंसा की जाती है ।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
24-9-77

मिलान किया ।

(एस0के0गुप्ता)

मद संख्या -11

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग- प्लानिंग विंग ।

विषय :- बनारसी बाग के पास सिविल अस्पताल के पीछे के एक भूखण्ड पर 400 शैयायुक्त अस्पताल बनाने के लिये लखनऊ महायोजना में उक्त भूखण्ड को रिक्रियेशनल प्रयोग से कम्युनिटी फैसिलिटी प्रयोग में बदलने के विषय में ।

सारांश : अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण निदेशक, उ0प्र0 ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि बनारसी बाग के एक भूखण्ड जो कि सिविल अस्पताल तथा सूचना विभाग के पीछे पड़ता है उसको 400 शैया युक्त अस्पताल बनाने हेतु मास्टर-प्लान में उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग बदल कर स्वीकृत किया जाय ।

उक्त क्षेत्र मास्टर प्लान के भू-उपयोग के अन्तर्गत रिक्रियेशनल प्रयोग में आता है तथा इसके ठीक अग्रभाग में पहले से ही एक सिविल अस्पताल कार्य कर रहा है । शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को तथा वर्तमान कार्यरत अस्पताल में बढ़ते हुये रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य विभाग से इस प्रकार की अनुशंसा की गई है कि उक्त भूखंड को अस्पताल बनाने के लिये स्वीकृत किया जाय ।

यह उक्त भूखण्ड क्योंकि वर्तमान कार्यरत सिविल अस्पताल के ठीक पीछे एक खुला भूखण्ड है इसलिये एक ही स्थान पर कई प्रकार की निर्दिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा यह 400 शैया युक्त अस्पताल पूर्ववत् कार्य कर रहे अस्पताल का विस्तार होगा । साथ ही क्योंकि इस भूखण्ड के पीछे बनारसी बाग (जू) का इलाका पड़ता है, इसलिये खुला वातावरण भी इस अस्पताल के लिये लाभप्रद होगा तथा साथ ही इस स्थल के इर्द-गिर्द किसी प्रकार के वायु-प्रदूषण की भी सम्भावना नज़र नहीं आती ।

यदि इस भूखण्ड को अस्पताल के लिये स्वीकृत किया गया तो रिक्रियेशनल भू-उपयोग के अन्तर्गत अस्पताल का बनाना किसी प्रकार का मास्टर-प्लान भू-उपयोग का अतिक्रमण नहीं करेगा ।

ह0/- सतीश चन्द्र
सहायक नगर नियोजक

ह0/- के0पी0 सिंह,
वरिष्ठ नगर नियोजक

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण की अगली बैठक में रखने की अनुभाग की जाती है ।

ह0/-एन0बी0लाल
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
24-9-77

मद सं0 -12

** लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या **

[illegible] तालाब पर 60 दो कमरे वाले भवनों के निर्माण हेतु दो भागों में दिनांक 22-4-77 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थी जिसमें निम्न लिखित निविदाएं प्राप्त हुई:-

पार्ट-ए

1- मे0 भाग्योदय बिल्डर्स	रु0 75,44411/-
2- मे0 लखनऊ लाईम वर्क्स	रु0 779301/15

पार्ट-बी

1- मे0 भाग्योदय बिल्डर्स	रु0 744669/15
2- मे0 लखनऊ लाईम स्टोर	रु0 774430/60

उक्त निविदाओं की विस्तृत आख्या निम्न प्रकार है:-

पार्ट-ए सर्व निम्न निविदा पी0डब्लू0डी0 शिड्यूल 72 पर आधारित व्यय अनुमान से 54.88% तथा व्यय अनुमान में इंजीनियरिंग एप्रोशियेसन जोड़कर तुलना करने पर 13.88% उच्च हो जाता है। ठेकेदार ने अपने पत्र दिनांक 8-6-77 द्वारा अपनी दरों में 7% कम करने की लिखा है जिसके आधार पर सर्व निम्ननिविदा रु0 720314/45 पैसे आता है जो कि पी0डब्लू0डी0 शिड्यूल पर आधारित व्यय अनुमान से 47.88% व्यय अनुमान में इंजीनियरिंग एप्रोशियेसन जोड़कर तुलना करने पर 8.73% तथा वर्ष 76 के पुनरीक्षित शिड्यूल से 4.3% उच्च है जो कि हुडको द्वारा प्रत्येक भवन के निर्धारित मूल्य 18000/- से ज्यादा होता।

पार्ट-बी सर्व निम्न निविदा पी0डब्लू0डी0 शिड्यूल 72 पर आधारित व्यय अनुमान से 52.88% तथा व्यय अनुमान में इंजीनियरिंग एप्रोशियेसन जोड़कर तुलना करने पर 12.4% उच्च आता है। ठेकेदार ने दिनांक 8-6-77 को एक पत्र दिया जिसके अनुसार वह अपनी दरों में 5% कम करने को तैयार है इसके आधार पर सर्व निम्न निविदा रु0 720314/45 पैसे आता है जो पी0डब्लू0डी0 शिड्यूल 1972 पर आधारित व्यय अनुमान से तुलना करने पर 47.88% व्यय अनुमान में इंजीनियरिंग एप्रोशियेसन जोड़ने पर 8.73% तथा वर्ष 1976 के पुनरीक्षित शिड्यूल दर तथा बाजार भाव से तुलना करने पर 4.3% उच्च आता है।

उक्त दोनों निविदाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गठित निविदा उप समिति के समक्ष दिनांक 21-6-77 को स्वीकृतार्थ प्रस्तुत की गयी। समिति ने निम्न निर्णय लिया:-

'' विचार विमर्श के बाद यह निश्चय हुआ कि दिनांक 18-1-77, 2-3-77 तथा 22-4-77 को निविदा आमंत्रित की गयी जिससे यह स्थिति आई है। मुख्य अभियंता महोदय ने समिति को अवगत कराया कि यदि पुनः निविदा आमंत्रित किये जावेंगे तो उससे कम

निविदा नहीं आवेगें । वर्ष 1976 के शिड्यूल में इंजीनियरिंग एप्रोपियेशन जोड़ने के बाद तुलना करने पर निविदा 4-3 प्रतिशत उच्च आती है जो उचित है । मुख्य अभियंता महोदय ने यह राय व्यक्त की कि अधिक देर करने पर व्यय और ज्यादा आ जावेगा । जनता को इस योजना के बारे में पंजीकृत भवन रु0 17000/- से 20000/- की दर बताई गयी । समिति को बताया गया इस दर पर निविदा स्वीकार किया जाये। बिना लाभ लिये प्रत्येक भवन को लागत रु0 18000/- होगी । लाभ न लेना अनुचित होगा । अतः विशेष परिस्थितियों में निविदा स्वीकार इस शर्त पर की गयी कि विक्रय के समय भवनों के मूल्य में लाभ भी सम्मिलित किया जावे । तदनुसार पंजीकृत लोगों को सूचित भी किया जायेगा ।

सर्व श्री भाग्योदय विल्डर्स का सर्व निम्न निविदा रु0 7,20,314/45 पैसे व्यय अनुमान से अधिक है । अतः प्राधिकरण के निश्चयानुसार इसके लिए अध्यक्ष की स्वीकृति वांछनीय है।''

उपरोक्त निर्णयानुसार विषय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11-8-77 को अध्यक्ष महोदय के स्वीकृत हेतु भेजा गया । अध्यक्ष महोदय ने अपने आदेश दिनांक 25-8-77 द्वारा उक्त दोनों विषयों को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगली मीटिंग तक निर्णय के लिए रक्खा

अतः आख्या विचारार्थ प्रस्तुत है ।

ह0/- पेम नाथ सिन्हा
9-9-77
नगर अभियंता(विकास)-1

कृपया उक्त विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करें ।

ह0/- एस0पी0 गुप्ता
13-9
मुख्य अभियंता

ह0/- एन0बी0 लाल
15-9-77
उपाध्यक्ष

पत्र [illegible]
मिलाया:

प्रमाणित
[illegible]

गुप्ता/***

मद सं0 -14

** विकास प्राधिकरण हेतु आज्ञा **

बशीरतगंज सामान्य विकास एवं वृह आवास योजना के अर्न्तगत (श्रीमती राधा रानी भाग) ऐशबाग रोड पर स्थित अमलगमेटड इंजीनियर्स आदि कारखानों को भूमि देकर उनके द्वारा अधिकृत अर्जित भूमि का अधिकार प्राप्त करने पर निर्णय लेने तथा उक्त योजनाओं के समस्त विस्थापितों की पुनर्वास समस्या को सुलझाने के लिए एक उप समिति का गठन करने की अनुमंजा सहित एक आज्ञा(प्रतिलिपि संलग्न) तत्समय विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी थी । विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 19-2-77 में मद सं0 11(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह निर्देश दिए कि इस विषय में एल0आर0 की राय प्राप्त करके उनकी राय सहित इस विषय को पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय । विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस विभाग के पत्र सं0 8/उपवि वि0प्रा0 तत्समय दिनांक 6-4-77 द्वारा एल0आर0 से राय देने का अनुरोध किया गया । एल0आर0 की राय दिनांक 28-6-77 को प्राप्त हो गयी है जिसकी प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है ।

अतः यह विषय तत्समय विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

ह0/- पी0एन0 सिन्हा
12/9
नगर अभियंता(विकास)

उपरोक्त विषय तत्समय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- एस0पी0 गुप्ता
13-9-77
मुख्य अभियंता

नवगठ विकास प्राधिकरण की बैठक जो दि० कि 19-2-77 को अपराह्न 3-30 बजे विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित 6- जगदीश चन्द्र बोस मार्ग पर हुई के मद सं० 11 की प्रतिलिपि:-

× × × × ×
× × × × ×

मद सं० 11 अध्यक्ष ने बताया कि बशीरतगंज सामान्य गृह आवास योजना के अन्तर्गत रक्षाराजी भाग के विस्थापितों की समस्या पर विचार करना है आवश्यक है उन्होंने बताया कि इस भाग में लगभग 4-5 बीघा भूमि है वर्ष 1962-63 में संपूर्ण अर्जन कार्यवाही पूरी हो चुकी है तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा समस्त अर्जित संपत्तियों के एवार्ड घोषित हो चुके है और लगभग 1.5 बीघा अर्जित खुलीभूमि का कब्जा भी प्राप्त हो चुका है। शेष तीन बीघा भूमि का कब्जा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है । यह तीन बीघा भूमि निम्नलिखित कारखानों के पास है ।

कारखानों का नाम	कारखानों द्वारा अधिग्रहीत भूमि
1- अमलगमेटेड इंजीनियरिंग वर्क्स	9855 वर्ग फुट
2- एशियाटिक मर्जिकल एंड मेटल वर्क्स	6924 "
3- स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स	3416 "
4- कारपोरेट इंजीनियरिंग वर्क्स	862 "
5- न्यू कश्मीरी ओरियन्टल ट्रांसपोर्ट	4588 "
6- विस्थापित परिवारों की सं०	27

इस प्रकरण पर प्रकाश डालते हुए उपाध्यक्ष ने बताया कि महापालिका की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं० 758 दि० कि 7-1-63 द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में श्री विनायती राम गुप्ता, प्रोप्राइटर, अमलगमेटेड इंजीनियरिंग वर्क्स को 8000/- रुपया प्रति बीघा की दर से उपरोक्त कारखाने को वर्तमान स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु निर्णय लिया था । विभाग की मांग पर श्री विनायतीराम गुप्ता ने प्रीमियम की धनराशि 63-64 में जमा कर दी थी परन्तु उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कारखाना लगाने के लिए 25000 वर्ग फुट भूमि और दे दी जाय । महापालिका की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं० 257 दि० कि 17-7-64 द्वारा पुनः यह निर्णय लिया गया कि इन्हें 36000 वर्ग फुट भूमि पूर्व शर्तों पर दे दी जाय । इस 14.000 वर्ग फुट अतिरिक्त भूमि का प्रीमियम

बिना विभाग द्वारा मांग किये हो ~~xxxxx~~ दिनांक 29-1-64 को भेज दिया जो वैध नहीं कराया गया । श्री विलायतो राय गुप्ता को यह भूमि पांडिय के तालाब में आवंटित हो गयी थी । श्री शशि भूषण रस्तोगी प्रोप्राइटर एशियाटिक रबर्स एवं पेटल वर्क्स को 20,000 वर्ग फुट आवंटित हो गयी थी जिसका उन्होंने 8000 /- प्रति बीघा की दर से प्रीमियम जमा कर दिया उन्हें आवंटित भूखंड का अधिकार भी दिया जा चुका है । केवल रजिस्ट्री कराना शेष है । कार्यकारिणी समिति ने प्रार्थी की मांग पर अपने प्रस्ताव सं0 257 दिनांक 27-7-64 द्वारा इनको भी 46000 वर्ग फुट भूमि देने का निर्णय लिया जिसका पैसा भी श्री शशि भूषण ने विभाग में जमा नहीं किया । अन्य तीन कारखानों को भूमि आवंटन के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नगर महापालिका या विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गयी है ।

उपाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में कानूनी राय प्राप्त की गयी है और उसमें निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट हुए हैं:-

1- महापालिका एवं कार्यकारिणी समिति को कोई भी भूमि रियायती दर पर देने के अधिकार प्राप्त नहीं है इसके लिए शासन की पूर्वानुमति वांछनीय है जो नहीं प्राप्त की गयी है । 1964 में पांडेय तालाब की भूमि का मूल्य अनुमानतः ~~xxxxxxx~~ 2/- प्रति वर्ग फुट था आज वह 7/- रु0 प्रति वर्ग फुट हो गया है अतः 8000/- प्रति बीघा की दर से भूमि दिया जाना उचित नहीं होगा ।

2- पांडेय के तालाब का क्षेत्र जिसमें कारखानें के लिए भूमि दी गयी है यह अब मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र में दिखाया गया है अतएव यहां कारखाना नहीं बनाया जा सकता है ।

3- चूंकि यह कारखानें योजना के प्रकाशन के बाद स्थापित हुए है अतः इनको तकनीकी आधार से विस्थापितों की श्रेणी नहीं दी जा सकती है और यदि इनको कोई भूमि दी जाय तो वह व्यवहारिक मानदेय दृष्टि से ही दी जा सकती है ।

4- चूंकि यह कारखानें जिस भूमि पर बने हुए है वह भूमि आवासीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है तथा विकास प्राधिकरण के लिए बहुउपयोगी है अतएव इस प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेना विकास प्राधिकरण के हित में अपेक्षित है ।

इन समस्त बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए उपाध्यक्ष ने सुझाव दिया कि पूर्व स्थापित संस्थानों को विकास प्राधिकरण द्वारा विस्थापित कर दिया जाए और एशियाटिक रबर्स एंड पेटल वर्क्स को दी गयी भूमि की रजिस्ट्री न करायी जाये उससे भूमि वापस लेने का प्रयत्न किया जाय । अतः इन समस्त कारखानों को विकास प्राधिकरण रियायती दर पर भगवान इंडस्ट्रीज के पास जितनी की भूमि है जितनी कि उनके पास है तथा इस संबंध में यदि वे उससे अधिक भूमि चाहते है तो शेष भूमि का आवंटन विकास प्राधिकरण खुला बाजार की दर पर किया

आय। उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने इस प्रस्तावको काफी उचित बताया और कहा कि विकास प्राधिकरण के हित में इस ~~xxxxx~~ प्रकरण पर शीघ्र लिया जाना वांछित है ताकि अर्जित भूमि का विक्रय शीघ्र किया जा सके । श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि रियायती दर पर अर्जन किया जाना किसी प्रकार से भी संभव नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामलें में कानूनी पेचदिगी आती है अतः इस पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व एल० आर० की राय लेना अच्छा होगा । इस प्रस्ताव से सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की अतः यह तय किया गया कि संपूर्ण विषय एल०आर० को कानूनी मत के लिए संदर्भित किया जाय । उनकी राय आने पर ही विकास प्राधिकरण इसमें अंतिम निर्णय लें ।

× × × × ×

× × × × ×

** लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आख्या **

बशीरतगंज सामान्य तथा गृह आवास योजना के अन्तर्गत राधारानी भाग के विस्थापितों की समस्या पर विचार

1- श्रीमती राधारानी भाग

इस भाग में लगभग साढ़े चार बीघा भूमि सम्मिलित है । वर्ष 1962-63 में सम्पूर्ण अर्जन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा समस्त अर्जित संपत्तियों के एवार्ड घोषित किये जा चुके है । लगभग डेढ़ बीघा खुली भूमि का अधिकार प्राप्त हो चुका है । शेष लगभग 3 बीघा अर्जित भूमि का कब्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ है । यह 3 बीघे भूमि कारखानों तथा विस्थापितों द्वारा अधिकृत है ।

कारखानों के नाम	कारखानों द्वारा अधिकृत भूमि
1- अमलगमेटेड इंजीनियरिंग वर्क्स	9855 वर्ग फीट
2- एशियाटिक सर्जिकल एंड मेटेल वर्क्स	6924 ''
3- स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स	3416 ''
4- एकोरेट इंजीनियरिंग वर्क्स	862 ''
5- न्यू काशमीरी ओरिन्टियल ट्रांसपोर्ट	4588 ''
6- विस्थापित परिवारों की सं0	27

1- अमलगमेटेड इंजीनियरिंग वर्क्स

श्री विलायती राम गुप्ता, प्रोप्राइटर उक्त कारखाने की नगर महापालिका की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं0 758 दिनांक 7-1-1963 के द्वारा इन्डस्ट्रियल एरिया में 22000 वर्ग फीट भूमि रुपया 8000/- प्रति बीघा की दर से उपरोक्त कारखाना को वर्तमान स्थल से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने हेतु देने का निर्णय लिया था । विभाग की मांग पर श्री गुप्ता ने प्रीमियम आदि का धन रु0 6,882/50 पैसे वर्ष 1963-64 में जमा कर दिया था परन्तु उन्होंने प्रार्थना की है कि उनकी कारखाना स्थापित करने हेतु 25,000 वर्ग फुट भूमि की आवश्यकता है । महापालिका की कार्यकारिणी समिति ने एक अन्य प्रस्ताव सं0 257 दिनांक 17-7-64 के द्वारा पुनः यह निर्णय लिया कि इन्हें 36,000 वर्गफीट भूमि एलाट कर दी जाये । इस 14000 वर्गफुट (अतिरिक्त भूमि) का प्रीमियम आदि धन रु0 4381/50 पैसे का नेक विभाग द्वारा मांग किये बिना ही श्री गुप्ता ने दिनांक

क्रमशः ———2

26-12-64 को विभाग को भेज दिया जो विभाग द्वारा वैश नहीं कराया गया ।

2- एशियाटिक सर्जिकल एवं मेटल वर्क्स

श्री शशि भूषण रस्तोगी प्रोप्राइटर उपरोक्त कारखाना को भी इन्डस्ट्रियल योजना में भूखंड सं0 3 क्षेत्रफल 20,600 वर्गफीट आवंटित की गयी है । प्रार्थी ने प्रीमियम आदि का धन रु0 8000/- प्रति बीघा की दर से जमा कर दिया है तथा उनको आवंटित भूखंड का अधिकार भी दिया जा चुका है । केवल रजिस्ट्री करना शेष है । कार्य कारिणी समिति ने प्रार्थी की मांग पर अपने प्रस्ताव सं0 257 दिनांक 27-7-64 द्वारा इनको भी 46,000 वर्ग फुट भूमि के आवंटन का निर्णय लिया है जिसका पैसा श्री शशि भूषण ने विभाग में नहीं जमा किया ।

उपरोक्त क्रम सं0 3, 4 तथा 5 पर अंकित कारखानों की भूमि आवंटन के लिए कोई कार्यवाही महापालिका काल में अब तक नहीं की गयी है यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री विलायती राम गुप्ता को जो भूमि पांडे के तालाब पर आवंटित की गयी थी वह बाद में विज्ञप्ति मास्टर प्लान के अनुसार रिहायसी घोषित की जा चुकी है । इस प्रकार अब उक्त कारखानों को आवंटित भूमि पर कारखाने निर्माण नहीं किये जा सकते हैं।

उपरोक्त परिस्थित में श्री बी0एल0 कौल एडवोकेट से दिनांक 31-1-77 की राय प्राप्त की गयी है जो कि साथ में संलग्न है । श्री कौल ने अपनी राय में कहा है कि उपरोक्त आवंटन की कार्यवाही तथा उक्त कारखानों के विषय में कार्य कारिणी समिति के द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल नहीं है क्योंकि भूमि का आवंटन बाजार भाव से बहुत कम पर किया गया है तथा कारखानें योजना के विज्ञापन के बाद स्थापित हुए है जिसे शासन द्वारा निरस्त करने की अनुशंसा की जावे तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण अब इस विषय पर स्वयं निर्णय लेकर उपरोक्त कारखानों के संबंध में जैसा उपयुक्त समझे नीति निर्धारित करें । इसके अतिरिक्त 27 परिवार झोपड़ी डाल कर रह रहे है जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था देने का निर्णय महापालिका की कार्यकारिणी समिति ले चुकी है तथा आफर लेटर भी भेजे जा चुके हैं परन्तु किसी भी विस्थापित ने उसे स्वीकार नहीं किया है अतः अब उनको भी हटाने के विषय में निर्णय लेना है कि यदि इन्हें हटाना है तो उन्हें वैकल्पिक स्थान दिया जाना है अथवा नहीं यदि दिया जावे तो प्रति परिवार को कितना और किस दर पर ।

इस योजना में इसी प्रकार की बलरामपुर भाग तथा ट्रस्ट भाग में विस्थापितों की समस्याएं है अतः अनुशंसा की जाती है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इन समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए एक उप समिति गठित की जावे जो कि अपनी अनुशंसा प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

पढ़ा जाना [illegible]

मिलाया [illegible]

ह0/- प्रेम नाथ सिन्हा
15-2-77
नगर अभियंता (विकास-1)

Commisner & Secretary L.S.G.

May kindly refer to L.R's orders on pnc. which is latter of the Secretary, Uttar Pradesh Urban Planning and Development Authori-

2. The Lucknow Improvement Trust framed an improvement scheme an notified it under section 36 of the U.P. Town Improvement Act. The not was published in the Gazette dated 8.2.47 and 22.2.47 The scheme was called the Bashirat Ganj General Improvement and Housing Accommodation Scheme.

3. On December 2, 1953 the sanction of the scheme by the State Government was notified in accordance with section 42 of the said Act. It was further notified that for the purposes of section 49(1) of the said Act, the above project would come into force with effect from the date of the notification. Under section 577 (b) of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 a notification of sanction of the improvement Scheme for the area included in the city under the U.P. Town Improvemen Act, 1919 shall be deemed to have been issued under the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and all other further proceedings in furtherance of such scheme may be taken accordingly.

4. Section 577 (c) of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam provides that all proceedings for acquisition of land whether in pursuance of any scheme of improvement of otherwise initiated under the U.P. Town Improvement Act, 1919 may be continued as if they has been initiated under this act (U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959). Section 126 of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam provides that as from the appointed day and subject to any directions of the State Government in this behalf:-

(a) all property, interests in property and assets including cash balances, wherever situate which immediately before such day were vested in any Municipal Board, Improvement Trust or other local authority established for the area included in the city or any part of such area or in any local authority having jurisdiction both within and outside such area shall vest in and be held by the Mahapalika of such City, for the purposes of this Act, and

(b) all rights, liabilities and obligations of the aforesaid Improvement Trust or other local authority in relation to the area included in the city whether arising out of any contract or otherwise, existing immediately before such day shall be the rights, liabilities and obligations of such Mahapalika.

.....2

Thus, Mahapalika succeeded to the property, assets, rights, liabilities and obligations of the Improvement Trust as mentioned in the aforesaid section. Section 59 (6) (c) of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 provides that all properties movable and immovable tested in an Improvement trust referred to in sub-section (2) shall vest in the development authority concerned and all properties movable and immovable vested in any other local authority constituted under any enactment referred to in sub-section(1) in relation exclusively to the purpose and functions assigned to the development authority of this Act shall vest in the development authority of this Act shall vest in the development futhority concerned. Thus the property acquired for the aforesaid scheme vested in the development authority.

5. The Executive Committee of the Nagar Mahapalika passed resolution no. 752 on 7.1.63 for allotting 22,000 sq. feet of land out of a plot of 44450 sq. feet in industrial area in favour of one Sri Vilaiti Ram Gupta, Proprietor of the Amalgamated Engineering works because the land on which his factory was existing in Bashiratganj area was acquired in connection with the aforesaid scheme. It was also resolved that a plot measuring 36,000 sq.ft. would be allotted to M/S Ashoka Industrial Corporation and another plot measuring 36,175 sq. feet near Karheta would be allotted to M/S Duggal Chemist under ordinary rules and conditions. The copy of the resolution is Flagged 'A'.

6. Sri Vilaiti Ram Gupta was not satisfied with the decision of allotment so made and communicated to him by the Up Nagar Adhikari in his letter dated 31.5.63. It was clearly mentioned in this letter that the premium would be charged at the rate of Rs. 8,000/- per Bigha and that the rent would be charged at Rs. 100/- per bigha per annum for the first ten years, Rs. 150/- per bigha per annum for the next twenty years Rs. 250/- per bigha per annum for the ~~xxxx~~ following 30 years. and Rs. 400/- per bigha per annum for the last 30 years. Sri Gupta was

.....

.....3

asked to remit Rs. 6882.50 N.P. within one month from the date of receipt of this letter. In reply Sri Gupta sent a letter on 22.6.73 demanding plans of the land so that after studying the situation he would be able to deposit the necessary amount. Ultimately on 26.7.63. Sri Gupta enclosed a cheque of Rs. 2000/- and informed the Nagar-Mahapalika that the remaining sum would be paid on receipt of plans. On 29th June, 1963 Sri Gupta reiterated his demand for the allotment of atleast 30,000 sq.ft. of land for the purposes of establishing a factory. The Up Mukhya Nagar Adhikari vide letter dated 6.12.63 asked Sri Gupta to deposit the blance amount of Rs. 4882.50n.p. within a-week from receipt of the letter so that possession could be delivered to him On 13.12.63 Sri Gupta wrote that it was noticed on receipt of plans that the land allotted was wholly insufficient for his needs.. He prayed that the question of allotment of the entire plot be decided by the Executive committee and pointed out that on the finalisation of the case he would deposit the entire amount. On 5.2.64 Sri Gupta enclosed a cheque for Rs. 4,882.50 paise which was accepted and encashed.

7. The Executive Committee of the Nagar Mahapalika passed resolution no 257 dated 17.7.64 for allotting 36,000 sqfft. land. including 22,000 already allotted on the old conditions to Sri Gupta Proprietor of the aforesaid firm. The Executive Committee resolved that premium would have to be deposited within three months of the receipt of the registered notice of allotment and the factory would have to be established within a year and that this period could be enhanced by the Executive Committee only once and his too for a period of six months only. Sri Gupta somehow obtained knowledge of this allotment although no regular intimation was given to him and consequently he referred to this resolution in his letter dated 18.12.1964 and demanded that possession over the entire 36,000 sq.ft. of land should be awarded to him. on 26.12.64 Sri Gupta enclosed a cheque of Rs. 4,381.50 paise which was the amount of the additional premium calculated at the rate of Rs.

.....4

8,000/- per bigha of the additional 14,000 sq.ft. of land allotted to him by resolution dated 17.7.64 but this cheque was not encashed. It appears from the file that on 29.12.64 regular notice demanding a sum of Rs. 4,381.50 paise was prepared. The conditions of the allotment of the land were specified in this notice but this notice was not sent to Sri Gupta. Sri Gupta does not appear to have vacated possession over the land acquired for execution of Bashiratganj Improvement Scheme. Possession over the plot allotted to him in the industrial area does not appear to have been given and no lease deed has been executed.

8. Asiatic Surgical Works was allotted 20,600 sq.ft. of land by the Executive committee of the Nagar Mahapalika some time in 1961 in response to their application dated 30.8.60 and intimation about it was given to them vide letter dated 18.2.61 of Up Nagar Adhikari in which the terms of allotment were specified. They sent a cheque on 15.4.61 of Rs. 6274.50 paise and possession over the land was delivered to them on. 6.2.62. Thereafter they moved an application on 31.12.62 for allotment of additional land alleging that the land already allotted falls short of their need. Subsequently by resolution no. 257 dated 17.7.64 another plot measuring 46,000 sq.ft. was allotted to them in pande Ka Talab by the Executive Committee. On 6.10.64 the Up Nagar Adhikari issued a letter intimating the allotment of 46,000 sq.ft. of land and asked the allottees to return possession over 20,600 sq.ft. of land otherwise the allotment in respect of 46,000 sq.ft. would be cancelled. This demand was reiterated in letter dated 21.10.69 on their failure to vacate possession over plot measuring 20,600 fq.ft. the matter was placed before the Executive Committee of the Nagar Mahapalika on 26.11.64 and allotment of plot measuring 46000 sq.ft. was cancelled by the Executive Committee. The Allottee appear to have complied with the condition of allotment with the result that on 1.6.70 Sahayak Nagar Adhikari issued a notice that lease be executed. In respect of plot measuring 20,600 sq. ft. It appears from the file that lease deed has been executed by

.....

.....5

Sri S.P. Rastogi on behalf of Asiatic Surgical Works in respect of 20,600 sq.ft. of land but it has not been executed so far by any one on behalf of the Nagar Mahapalika or the Development Authority.

9. Legal advice has been sought in respect of the following point

(1) whether the resolutions of Executive Committee of the Nagar Mahapalika mentioned above can be rescinded.

(2) Whether it is open to the Development Authority to give land to the allottees or other persons on concessional rates.

(3) Whether it would be necessary to obtain the permission of the ~~xxxx~~ State Government for giving land to the allottees on concessional rates or for rescinding the resolution of the Executive Committee of the Nagar Mahapalika.

(4) Whether it would be legally necessary and incumbent on the Development Authority to give land to the Amalgamated Engineering Works, Asiatic Surgical Works, State Engineering Works, Acorate Engineering Works and New Sashmiri Oriential Transport particularly when these persons or some of them have established their factories in the land of the scheme area after notification of the scheme was published.

10. As regards point no. 1, all the formalities in respect of allotment of 22,000 sq.ft. of land in favour of Amalgamated Engineering Works excepting execution of a lease seem to have been completed. The proposal for allotment was duly sanctioned by the Executive Committee of the Nagar Mahapalika. It appears from the file that Mukhya Nagar Adhikari was made aware of it and was not apposed to it. On behalf of the Nagar Mahapalika the resolution was communicated to Sri Vilaiti Ram Gupta Proprietor of the aforesaid firm by Up Nagar Adhikari. Sri Vilaiti Ram Gupta deposited the premium and other amounts late but the delay was waived and the cheques were accepted and cashed. Hence in my opinion a valid contract in respect of letting out 22,000 sq.ft. of land was duly entered into although no formal deed was executed. In any case on the principle of promissory estoppel it would not be open to the Nagar Mahapalika of its successors the Development Authority to resile from the promise made in respect of allotment of 22,000 sq.ft. of land. It would also not be equitable to do so because it was probably envisaged in the scheme that persons who would be displaced as a result of acquisition of land would be ~~xxxxxxxx~~ x given other plots.

.....6

The Development Authority also does not want to rescind the resolution regarding allotment of 22,000 sq.ft. of land as would appear from the minutes of the meeting enclosed with the p.u.c.

11. As regards allotment of additional 14000 sq. ft. of land the matter stands on different footing. No offer was made to Sri Vilaiti Ram Gupta and no terms on which allotment was to be made were communicated to him officially. The cheque sent by him was not accepted and was not cashed. So no completed contract in respect of allotment of 14,000 sq. ft. of land can be said to have been arrived at. Also no promise was made to allot this 14,000 sq. ft. of land as none was communicated to Sri Gupta and he cannot base his claim on the principle of promissory estoppel either.

12. There is no question of allotting the plot measuring 46,000 sq-ft. to M/S Asiatic Surgical and Metal Works Ltd. because allotment was cancelled by the Executive Committee on non-compliance by the allottes of a specific condition that he would vacate the plot measuring 20,600 sq.ft. which he did not vacate inspite of notice. The allotment was rightly cancelled. The allottee also did not deposit premium etc. in respect of plot of 46,000 sq.ft. The allottee seems ot have submitted to the cancellation of allotment of the plot of 46,000 sq.ft. because he has already executed a lease of the plot measuring 20,600 sq. ft. He cannot have it both ways. If he wanted to assert his rights on the basis of allotment of a plot of 46,000 sq.ft. the allotment of plot of 20,600 sq.ft. should have been treated as cancelled and he should not have been treated as cancelled and he should not have executed a lease of that plot. All the formalities in respect of allotment of plot measuring 20,600 sq.ft. have been duly completed including the execution of lease by the allottee. The Development Authority should execute the lease in respect of 20600 sq.ft. of land because there does not appear to be any illegality committed in respect of this allotment. It is not the case of the Development Authority that in the year 1961 the value of the land was more than Rs. 8000/- per bighas and as such section 129(5) of the Nagar Mahapalika Adhiniyam

.....

.....7

cannot be invoked in respect of this allotment . If it can be shown that market value at the time was more than Rs. 8000/- per bigha, there is no obligation to execute the lease and give the plot to M/S Asiatic Surgical and Metal works Ltd. and development Authority can in that event refuse to execute the lease and action can be taken by the State Government under section 537 of Nagar Mahapalika Adhiniyam.

13. In respect of allotment of 22,000 sq.ft. of land in favour of Amalgamated Engineering Works the Provisions of section 129(5) of Nagar Mahapalika Adhiniyam cannot be invoked because it has not been said that at the time when that allotment was made the market value of the land exceeded Rs. 8000/- per Bigha. If however the market value at that time was greater and the plot has been alloted in conceosinal rate section 537 can be invoked even in respect of 22000 sq.ft. of land by the state Government.

14. Sri Vilaiti Ram Gupta has got no case in respect of allotment of additional 14000/- sq. ft. of land for the reasons already given above but in respect of this allotment the provisions of section 129(5) of Nagar Mahapalika Adhiniyam are clearly applicable inasmuch as it has been specifically stated in the p.u.c. and the minutes accompanying it that the market value of the land at the time was atleast Rs. 2/- per sq.ft. This means that the Executive Committee of the Nagar Mahapalika in sanctioning the allotment of 14,000 sq.ft. of land did not comply with the provisions of section 129(5) of the Act 1919. By U.P. Act no. 22 of 1961 which came into force with effect from September 7, 1961 section 129(5) was amended and transfer of any property acquired under the U.P. Town Improvement Act was excepted from the provisions of section 129(5). Subsequently, section 129(5) was agin amended by U.P. Act. no. 21 of 1964 and this sentence was not repeated. Section 537 of the Nagar Mahapalika Adhiniyam empowers the State Goverrment to suspend the execution of a resolution or order, or prohibit the doing of any act if such resolution or order or act of the Mahapalika or any other Mahapalika authority or any other Committee or joint committee of the Mahapalika is in contravention of or in excess of the powers conferred by this Act or has

been passed or made in abuse of any such power or is likely to lead to a breach of the peace or to cause obstruction, injury or annoyance to the public or to any class or body of persons or danger to human life, health or safety or is prejudicial to public interest. The Government may, by order in writing, suspend the execution of resolution of the Executive Committee of the Nagar Mahapalika dated 17.7.64 so far as it requires allotment of addl. 14,000 sq.ft. of land to Amalgamated Engineering Works because that resolution is in contravention of section 129(5) of the Nagar Mahapalika Adhinivam and is also prejudicial to public interest.

15. It appears from the PUC that in some cases lease deeds have also been executed in pursuance of the resolution dated 17.7.64. It has not been specifically pointed out when and in whose favour such lease deeds have been executed. It it is a fact that lease deeds have been executed the question would arise whether section 537 would apply even to such a case. In this connection while interpreting a corresponding provision in section 34 of Municipalities Act the Supreme Court in Municipal Board Kannauj Vs. State of U.P. AIR 1971 SC 2147 has observed that all that could be done under that section is to prohibit the execution or further execution of the resolution or order, or the doing or continuance by any person or any act in pursuance of or under cover of such resolution or order and where the resolution or order does not require any acts to be performed or steps to be taken for the execution or further execution of the resolution or order of the Board or of its officer, there is really nothing to prohibit. It has been held that section 34 (1) -B does not apply to any resolution or order which exhausts itself after is is passed or made In that case order of dismissal of 74 sweepers by the Municipal Board was held to be self operative and the Supreme Court observed that nothing remained for execution or further execution which could be prohibited by the State Government. It cannot be said that after the execution of the lease by both the parties and its registration anything still remains for execution or further execution which can

be prohibited by the State Government under section 537 of the Nagar Mahapalika Adhiniyam. After the execution of the lease by both parties and registration of the lease the resolution exhausts itself and the rights and liabilities of the parties would be governed by the lease. It that view of the matter there would hardly be anything the execution of which may be prohibited under section 537.

16. Points no. 2 and 3 may be taken together. Section 18 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 empowers and Development Authority to transfer by lease land subject to such terms and conditions as it considers expendient for securing the Development of the development area according to plan. The discretion of the authority is subject to the directions given by the State Government. Section 41 of the Act provides that the Chairman or the Vice Chairman shall carry out such directions as may be issued from time to time by the Satate Government for the efficient administration of this Act. Sub-section (3) of section 41 further provides that the State Government may at any time call for the records of any case disposed of or order passed by the authority for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit. Thus, the State Government issued by the State Government are binding on the authority. The Development Authority should not give land on concessional rates and it cases of doubt can seek the directions of the State Covernment.

17. It is not obligatory on the Development Authority unless it is bound by any contract entered into by its predecessors or by it to give land to these persons on account of their displacement from the Scheme area when they have established their factories after the scheme was notified.

Sd/- Illigible.
(B.R.P. Singhal)
28.6.
JIR

मद सं0 -15

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ
0 - 0 आज्या 0 - 0

विभाग- अभियन्त्रण विकास ।

विषय - पेपर मिल योजना के अन्तर्गत भरीखामपुर गाँव के निकट भूमि पर मध्यम/अल्प आय वर्गीय योजना के अन्तर्गत भवन बनाकर जनता को (लीज होल्ड आधार पर) उपलब्ध कराने हेतु ।

पेपर मिल योजना के अन्तर्गत भरीखामपुर गाँव के निकट विकास प्राधिकरण की लगभग 1,05,150 वर्ग फुट भूमि है, पर एक आवासीय योजना बनाई गई है जिसमें 20 मध्यम तथा 20 अल्प आय वर्गीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है । मध्यम आय वर्ग का विक्रय मूल्य 57,200/- रु0 तथा निम्न आय वर्ग के भवन का विक्रय मूल्य रु0 30,000/- प्रस्तावित है । यह योजना जनता से प्राप्त धन से ही चलाई जायेगी । मध्य आय वर्गीय भवनों के निर्माण मूल्य पर 10 प्रतिशत का लाभ तथा अल्प आय वर्गीय भवनों पर 5 प्रतिशत लाभ प्रस्तावित है । उपरोक्त योजना में भवनों के विक्रय हेतु जनता से आवेदनपत्र इनीशियल डिपाजिट्स के साथ माँगे जा चुके हैं । इन भवनों को 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है । योजना की ओवर आल इकनामिक्स निम्न प्रकार है :-

Overall Economics

Expenditure.	Amount in lacs	Receipts	Amount
1. Land	1.64	1. M.I.G. (5720X20)	Rs. 11.44
2. Development	1.47	2. L.I.G. (30000X20)	Rs. 6.00
3. Construction	11.93	(7000.20)	1
4. Adm. & Supervision charges on 2 & 3 @ 10%	1.35	(	
TOTAL	16.44		17.44

अत: उपरोक्त योजना की 16.10 लाख रुपये की आवासीय योजना विकास प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

ह0/- श्याम जी श्रीवास्तव
नगर अभियन्ता (विकास)
3.10.77

सचिव/उपाध्यक्ष,

उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करें ।

ह0/- एस0एन0पी0अग्रवाल
मुख्य अभियन्ता

ह0/- बाबू राम,
सचिव
4-10-77

ह0/- एन0बी0 लाल
उपाध्यक्ष
4-10-77

मद सं0 -16 विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग- अभियन्त्रण विकास ।

विषय :- लखनऊ शहर के प्रमुख मार्गों के किनारे स्थित भवनों के के अग्रभाग की मरम्मत एवं पेण्टिंग का कार्य से संबंधित के ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य के भुगतान हेतु फण्ड ट्रांसफर करने तथा इस कार्य को वर्तमान स्थिति पर फाइनल करने हेतु ।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 12 की उप धारा 2 के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों के भवनों के अग्रभाग की मरम्मत तथा उनको प्राधिकरण के द्वारा निश्चित रंग दिये जाने की योजना के अन्तर्गत लिया गया है :-

1- हजरतगंज क्षेत्र,
2- लालबाग क्षेत्र
3- अमीनाबाद क्षेत्र
4- बी0एन0 रोड,
5- विधान सभा मार्ग पर त्रिलोक नाथ रोड से कान्य कुब्ज कालेज तक ।
6- स्टेशन रोड पर कान्यकुब्ज कालेज से मवैया तक ।
7- आलमबाग से मवैया से शारदा कैनाल तक,
8- कैसरबाग क्षेत्र में चौराहे से म्यूजिक कालेज तक ।

उपरोक्त 8 स्थलों में से आईटम नं0 1,2,3 तथा 4 का कार्य पूर्ण हो चुका है । विधान सभा मार्ग पर त्रिलोकनाथ रोड से हैवित रोड के चौराहे तक कार्य पूर्ण हो चुका है, हीवेट रोड से कान्यकुब्ज कालेज तक का कार्य अभी बाकी है । कान्यकुब्ज कालेज से मवैया ब्रिज तक के कार्य में रेलवे विभाग ने अपने सभी भवनों को प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित रंग में रंग दिया है । इसके अतिरिक्त महापालिका मार्केट से लेकर बस स्टेशन तक के भाग को प्राधिकरण ने रंग दिया है । बाकी कार्य अभी किया जाना है ।

मवैया ब्रिज से शारदा कैनाल तक के भाग में शारदा कैनाल से चन्द्र नगर मार्केट तक के कार्य को पूर्ण कर दिया गया है । चन्द्र नगर मार्केट से मवैया ब्रिज का कार्य अभी बाकी है ।

कैसरबाग क्षेत्र में अवध विमेंसाना क्लब के केवल बाईं ओर स्थित भवन ही रंगे जा सके हैं । पश्चिम की ओर स्थित म्युजिक कालेज, सेन्ट्र बारादरी अमीनुद्दौला लाइब्रेरी इत्यादि भवन अभी तक नहीं रंगे जा सके हैं ।

यह कार्य अधिभोगियों के व्यय पर ही किया जा रहा है । इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों से जो धनराशि प्राप्त होनी है तथा जो धनराशि अब तक प्राप्त हुई है उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्षेत्र का नाम	डिमाण्ड	कलेक्शन
1- हजरतगंज	रु0 3,26,865/-	रु0 1,90,815/-
2- लालबाग	रु0 64,445/-	रु0 40,380/-
3- बी0एन0रोड	रु0 94,000/-	रु0 22,255/-
4- अमीनाबाद	रु0 1,69,294/-	रु0 1,07,311/-
5- विधान सभा मार्ग पर त्रिलोकनाथ रोड से कान्यकुब्ज कालेज तक	रु0 1,89,023/-	रु0 95,326/-

क्रमशः - - -§ 2 §

6- स्टेशन रोड पर कान्य कुब्ज कालेज से मवैया ब्रिज तक	रू0 1,33,505/-	रू0 31,476/-
7- आलमबाग में मवैया ब्रिज से शारदा कैनाल तक	रू0 2,03,654/-	रू0 21,408/-
8- कैसरबाग क्षेत्र में चौराहे से जिमखाना क्लब तक ।	रू0 75,445/-	रू0 6,216/-
	रू012,75,565/-	रू0 5,15,187/-

इस प्रकार से लगभग 12 लाख रुपये की डिमाण्ड के विरुद्ध अब तक लगभग 5 लाख रुपये ही प्राप्त हुये है । अब तक जो कार्य विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा चुका है उसकी अनुमानित धनराशि रू0 8 लाख के लगभग है । उक्त कथित अधिनियम की धारा ने इस बात का प्राविधान है कि विभाग उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले भवनों को एंगवाय दें तथा उस पर अपने आने वाले व्यय की अधिभोगियों से वसूल करले । यदि अधिभोगी स्वेच्छा से वाँछित धन नहीं देता है तो उसे जिलाधिकारी के माध्यम से भूराजस्व कर के रूप में वसूल लिया जाये ।

अब स्थिति यह है कि माह अप्रैल 77 के बाद से अधिभोगी स्वेच्छा से धन नहीं दे रहे हैं जिससे आगे का कार्य करने में अवरोधा उत्पन्न हो रहा है । इसलिए कार्य बन्द करा दिया गया है ।

अत: आख्या विकास प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

§1§ विकास प्राधिकरण द्वारा जो कार्य कराया जा चुका है उसके भुगतान हेतु 3.50 लाख रूपया विकास प्राधिकरण नीधि से डिपाजिट हेड में ट्रांसफर किया जाय जिससे ठेकेदारों को भुगतान किया जा सके तथा अधिभोगियों से जो धन वसूल किया जा रहा है वह उपरोक्त धन के विरूध्द समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

§2§ कार्य को वर्तमान स्थिति पर फाइनल कर दिया जाय ।

ह0- श्री श्याम जी श्रीवास्तव
नगर अभियन्ता §विकास§-1

सचिव / उपाध्यक्ष

उपरोक्त विषय को विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

ह0- श्री एस0एन0पी0अग्रवाल
मुख्य अभियन्ता

ह0-श्री बाबूराम
सचिव
4-10-77

ह0- श्री एन0बी0लाल
उपाध्यक्ष
4-10-77

मद संख्या-17 लखानऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ आख्या

विभाग - सचिव कार्यालय ।

विषय - नक्खास योजना में पुराने विस्थापितों की भाँति अन्य विस्थापितों को भी बिना प्रीमियम लिये दुकानों के आवंटन के संबंध में विचार विमर्श ।

सारांश - वर्ष 1965 में नक्खास योजना को कार्यान्वित किये जाने हेतु 42 दुकानों का निर्माण किया गया था और कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव दिनांक 10-6-66 द्वारा निम्न शर्तों के अन्तर्गत दुकानों के आवंटन के आदेश प्रदान किये गये थे :-

1- विस्थापितों को पहले एलाट किया जाय ।

2- दुकानों के सामने बैठे दुकानदार यदि फुटपाथ खाली करदें तो उन्हें दुकाने एलाट कर दी जायें ।

3- अन्य व्यक्तियों को यदि आवश्यक हो तो विज्ञापन करके आवंटित किया जाय ।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार वर्ष 1970 में इन दुकानों का आवंटन विस्थापितों के पक्ष में कर दिया गया जिनसे किसी भी प्रकार का प्रीमियम चार्ज नही किया गया और शेष दुकानों का आवंटन वर्ष 1974 व 75 में किया गया है । उनसे भी कोई चार्ज नहीं लिया गया है ।

मार्च 1976 में नक्खास मार्केट में 148 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ । आवंटन संबंधी नीति निर्धारण के लिये तत्कालीन विधायकों व अधिकारियों की बैठक दिनांक 12-6-76 को हुई जिसमें बड़ी दुकान के लिये रू0 9,000/-, छोटी दुकान के लिये रू0 6,000/- जमा करने का निर्णय लिया गया । जिसमें से रू0 2,000/- (नान-रिफण्डेबुल) ज़मानत के, शेष धनराशि मासिक किराये के 50 प्रतिशत के रूप में समायोजित होनी थी इस प्रकार नई कालोनी की 144 दुकानों का आवंटन पूर्ण किया गया । उल्लेखनीय है कि इसी बैठक में दुकानों का किराया बड़ी व छोटी दुकानों के लिये क्रमशः रू0 200/- व रू0 150/- प्रति माह निश्चित किया गया ।

बाद में विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या आई । विस्थापितों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया । तथा उन्हे पुनर्वासित करने हेतु बैठकों का अयोजन किया गया । अन्तिम बैठक दिनांक 21-12-76 को तत्कालीन सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई । जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि विस्थापितों को इस वर्ष अन्य व्यक्तियों को दुकाने आवंटित की गई है उन्ही शर्तों पर इन्हे भी आवंटित कर दी जाय । सचिव की आख्या का अनुमोदन

क्रमशः - - 2

त तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय ने दिनांक 24-12-76 को किया । इस प्रकार श्रेणी । व 2 के 4 विस्थापितों को वर्तमान नीति के अनुसार रु0 7,000/- अग्रिम धन जमा कराकर दुकानों के आवंटन पत्र दिये गये हैं ।

उक्त क्रम में अब श्रेणी 3 के 15 विस्थापितों के पूनर्वास का प्रश्न है । इनके लिये भी दिनांक 27-7-77 को बैठक का आयोजन किया गया था । ये विस्थापित अग्रिम धन जमा नही करना चाहते है । ये नीति निर्धारण विषयक मामला है, क्योकि श्रेणी । व 2 के विस्थापितों से इससे पूर्व अग्रिम धनराशि रु0 7,000/- लिया जा चुका है तो अब इन विस्थापितों से ली जाय अथवा नही ? इन विस्थापितों से अग्रिम धन लिये जाने विषयक मामला "लखनऊ विकास प्राधिकरण" की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है ।

ह0/- डी0एन0साह
उप सचिव
26-9-77

ह0/- बाबू राम
सचिव

उपाध्यक्ष के आदेश :-

उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष
1-10-77

मद सं0 -18

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग - प्लानिंग विंग ।

विषय - प्लानिंग विंग में प्रस्तावित पदों के नामकरण के विषय में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25-7-75 को मद संख्या 4(5) द्वारा पदों का सृजन किया है । उक्त पदों में एक पद प्लानिंग विंग के हेड के लिये स्वीकृत किया गया था और उसका नाम "आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर" स्वीकृत किया गया था । परन्तु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने प्लानिंग विंग के लिये स्टाफिंग पैटर्न प्रस्तावित की है उसमें प्लानिंग विंग के हेड का पद-नाम वरिष्ठ नगर नियोजक रखा है । जो कार्य के आधार पर ज्यादा उचित है साथ ही साथ इस पद पर नगर नियोजक विभाग से जिन अधिकारियों को बुलाया जा सकता है उनके विभाग में उक्त पद का पद-नाम "वरिष्ठ नियोजक" है । अत: यह अनुशंसा की जाती है कि उपरोक्त मीटिंग में स्वीकृत पद का पद-नाम "आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर" से बदल कर "वरिष्ठ नियोजक" रखा जाय ।

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मद सं0 -19

लखानऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग- सचिव कार्यालय ।

विषय :- अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों की किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में ।

सारांश : अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों की किश्त की वसूली के सम्बन्ध में विश्लेषा तथ्य यह है कि आवंटी से देय किश्त की वसूली किस तिथि से की जाय, आवंटन की तिथि से अथवा रजिस्ट्रेशन की तिथि से अथवा घर का पजेशन (कब्जे) की तिथि से । आवंटी के पक्ष को दृष्टिगत रखते हुये यह उचित प्रतीत होता है कि किश्तों की वसूली घर दिये जाने की तिथि से होना चाहिये । परन्तु लखानऊ विकास प्राधिकरण एक सर्विस आर्गेनाइजेशन (Service Organization) है और जो घर बनाये जाते हैं उनके लिये ऋणों के देय तथा उस पर ब्याज का भुगतान भी समय के अन्दर करना पड़ता है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आवंटी से उसके घर पर आने वाली लागत पर देय ब्याज की वसूली तो गृह-आवंटन की तिथि से की जाय ताकि ब्याज का पैसा लखानऊ विकास प्राधिकरण को अपने पास न देना पड़े और किश्तों की वसूली ब्याज सहित घर के पजेशन दिये जाने की तिथि से होना चाहिये ।

यदि उपाध्यक्ष सहमत हो तो इस विषय को लखानऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखकर अनुमोदित करा लिया जाय ।

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखानऊ विकास प्राधिकरण
1-9-77

ह0/-एन0बी0लाल
उपाध्यक्ष
2-9-77

मिलान किया,
(एस0के0गुप्ता)

मद सं0 10 -20 -: लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या :-

विभाग- सम्पत्ति अनुभाग ।

विषय - महानगर गृह योजना के अन्तर्गत भारत स्काउट एण्ड गाइड को 9475 वर्गफुट भूमि का हाई पावर कमेटी के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 11-6-60 के अन्तर्गत आवंटन ।

- 0 - 0 -

सारांश - भारत स्काउट एण्ड गाइड को महानगर गृह योजना के अन्तर्गत हाई पावर कमेटी के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 11-6-60 द्वारा 9475 वर्गफुट भूमि निःशुल्क आवंटित की गई थी। तदनुसार दिनांक 2-9-60 को उन्हे आवंटनपत्र भी भेजा गया किन्तु अज्ञात कारणों वश संदर्भित प्रकरण का पट्टा अभी तक नही हो सका है। प्रश्नगत भूमि आवंटी के कब्जे में है और उस पर अवैधानिक निर्माण भी कर लिया गया है । अभिलेखों में इस भूखण्ड का कब्जा दिये जाने का कोई उल्लेख भी नही है । अब आवंटी उक्त पट्टे के निष्पादन पर विशेष बल दे रहा है । पक्ष द्वारा लीज-रेण्ट दिनांक 6-5-76 को जमा किया गया है । वर्तमान स्थिति में माप कराने पर ज्ञात हुआ है कि पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड से मिले 1,171 वर्गफुट अधिक भूमि पर उनका कब्जा है ।

स्पष्ट है कि एक दशक से अधिक पहले उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन हुआ था जिसका पक्ष को कभी विधिक कब्जा नही दिया गया और न ही भूमि लीज की लिखा-पढ़ी हुई है किन्तु वे उस भूमि पर काबिज है और उस पर आवासीय भवन निर्मित कराया जा चुका है । पक्ष द्वारा अब इस कार्यवाही को नियमित कराने के लिये पहल की जा रही है तथा पूरी अवधि का लीज रेण्ट बिना यह सब कार्यवाही पूर्ण किये हुये मई"1976 में विकास प्राधिकरण के कोष में जमा करा लिया गया है । यही नहीं जो भूखण्ड निःशुल्क आवंटित किया गया था उससे अधिक क्षेत्रफल उनके पास कब्जे में है ।

उपरोक्त मामले में अधिवक्ता श्री बी0एल0 कौल से राय माँगी गई थी जिन्होंने 26-12-76 को यह मत दिया था कि बिना शासन की स्वीकृति के निःशुल्क भूमि का आवंटन करना अवैध था किन्तु दुबारा उनके पास विषय संदर्भित होने पर उन्होने अपना विस्तृत नोट दिनांक 4 मई, 1977 से देकर यह मत व्यक्त किया है कि उसमें उल्लिखित विधिक स्थिति के होते हुये भी यदि मामला न्यायालय में जाता है तो इस बात

क्रमशः - -2

की आशंका रहेगी कि न्यायालय भारत स्काउट एण्ड गाइड के पक्ष में इस आधार पर निर्णय ले कि भूमि आवंटन का पत्र एक जिम्मेदार अधिकारी (तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी) द्वारा भेजा गया था और संस्था द्वारा अब इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण भी कर लिया गया है। विचारणीय यह है कि क्या किसी अधिकारी द्वारा अनियमित कार्य किये जाने पर समयोपरान्त ऐसे वैधता करार दिया जा सकता है ? विशेषकर जब कि इस मामले में पक्ष द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा भेजे गये पत्र की शर्तों का पालन भी नहीं किया गया है। पक्ष द्वारा भूमि पर बिना अधिकृत रूप से कब्जा दिये निर्माण कर लिया गया है, प्रश्नगत भूमि से मिली हुई कुछ अधिक भूमि सम्मिलित कर ली गई है और निर्मित भवन का मानचित्र भी स्वीकार नहीं कराया गया है।

विभागीय संस्तुति:

विभाग का मत है कि भारत स्काउट एण्ड गाईड ने तथाकथित आवंटित भूखण्ड (क्षेत्रफल 9,475 वर्गफुट) से अधिक जो 1,171 वर्गफुट भूमि अपने कब्जे में कर ली है उसका आवंटन उनके पक्ष में करने का प्रश्न नहीं उठता है जो संस्था से वापस कराया जाय और संस्था से उसके इतने दिनों के उपयोग का मुआवजा कम से कम लीज रेण्ट के आधार पर वसूल किया जाय। जहाँ तक 9,475 वर्गफुट आवंटित भूमि के दिये जाने का प्रश्न है इस तथ्य पर ध्यान रखते हुये उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय कि विषय एक सार्वजनिक संस्था से सम्बन्धित है और उनके पक्ष में तत्कालीन प्राधिकारी द्वारा किन्हीं कारणोंवश ही यह सहानुभूति युक्त रुख अपनाया गया होगा हालाँकि उसका उल्लेख स्पष्ट अभिलेखों में नहीं है। फिर भी संस्था का रुख देखते हुये कि इन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन हुये व बिना कब्जा दिये निर्माण करा लिया है। प्राधिकरण की साधारण नीति के अनुसार वर्तमान मूल्य का 50 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में तथा योजना में जिस दर से लीज-रेण्ट लिया गया है, लिया जाय।

ह/- प्रेo नाo वाजपेयी
अतिरिक्त सचिव
24-9-77

* यथा संशोधित लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष रखा जाये।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष
28-9-77

मद सं0 -21 लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतार्थ आख्या

विभाग- लेखा विभाग ।

विषय- अनगारन्टीड डिवेन्चर्स के सम्बन्ध में शोधान-निधि के गठन के सम्बन्ध में ।

सारांश - विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-11-75 की मद संख्या 5 में यह निश्चय किया गया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में अनगारन्टीड डिवेन्चर्स फ्लोट किये जावें । डिवेन्चर्स अपनी सीमा से अधिक सब्सक्राइब हो गये अर्थात् 2 करोड़ रु0 के विरुद्ध 2 करोड़ 6 लाख रु0 सब्सक्राइब हो गये थे । इस समस्त कार्यवाही का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक दिनांक 19-2-77 की मद संख्या 4 द्वारा कर दिया गया था ।

मूलधन के प्रतिदान हेतु निधि का गठन भी कर दिया गया है तथा प्राधिकरण ने इसे भी इस शर्त सहित अनुमोदित कर दिया था कि वित्तीय विभाग के विशेष सचिव को भी पूर्ण स्थिति बताते हुये शोधान लेने पर सहमति ले ली जाय । निर्देशानुसार संयुक्त सचिव, वित्त विभाग से विचार विमर्श कर लिया गया है तथा उन्होंने भी सहमति प्रदान कर दी है । प्राधिकरण को कार्यवाही से औपचारिक रूप में सूचित करने का कष्ट करें ।

ह0/- जमीलुर्रहमान
सहायक लेखाधिकारी

ह0/- के0 बी0 सक्सेना
मुख्य लेखा अधिकारी
29-9-77

उपाध्यक्ष,

कृपया उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान करें ।

ह0/- बाबू राम
सचिव

उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- एन0बी0लाल
उपाध्यक्ष
3-10-77

मिलान किया ।
प्रमाणित

{एस0के0गुप्त}

मद सं0 -22 विचारार्थ आशय।

विषय:- उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक के सृजित पद के वेतन मान को रू0 425 - 900 से रू0 320 -620 करना तथा इसी वेतन मान में सचिव के वैयक्तिक सहायक के नये पद का सृजन करना ।

दिनांक 25/7/75 को हुई विकास प्राधिकरण की बैठक में मद संख्या 4-5 के अन्तर्गत प्राधिकरण की तात्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये अन्य पदों के सृजन के साथ उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक का एक पद भी रू0425-900के वेतन मान में सृजित किया गया था। इस विषय पर पुन: प्राधिकरण की बैठकों दिनांक 15/10/76 व 19/2/77 में विचार किया गया था। दिनांक 15/10/76 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पहले कानपुर और वाराणासी विकास प्राधिकरण से भी इस पद के वेतन मान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाये। तत्पश्चात 19/2/77 की बैठक में पूर्ण स्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराया गया था। दिनांक 19/2/77 की बैठक में हुये विचार विमर्श व निर्णयानुसार इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार करके यह प्रस्ताव प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है:-

विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक व सचिव के वैयक्तिक सहायक के पदों की नितान्त आवश्यकता है। पूर्ण रिकार्ड देखने के बाद जो तथ्य निर्विवाद सामने आये हैं वह यह हैं कि उपाध्यक्ष के आशुलिपिक और सचिव के आशुलिपिक को पूर्णतया वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्य करना पड़ता है और इस समय उपाध्यक्ष और सचिव से सम्बद्ध आशुलिपिक दोनों अपने वर्तमान वेतनमानों पर वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक का एक पद 25/7/75 को सृजित किया जा चुका है परन्तु उस पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है और सचिव के वैयक्तिक सहायक का पद अभी सृजित किया जाना है।

1- इस प्रकार उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक का कोई पद इस समय सृजित नहीं करना है, वरन पूर्व में सृजित पद के वेतन मान रू0 425-900 को कम कर के, अन्य विकास प्राधिकरणों/महापालिकाओं के उपाध्यक्ष/प्रशासक के वैयक्तिक सहायक के लिये वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन मान रू0 320-620 करना है।

2- दिनांक 19/2/77 की प्राधिकरण की बैठक में तत्कालीन सचिव ने मद संख्या 8(घ) में अनुशंसा की थी कि आवश्यकताओं को देखते हुये सचिव के लिये भी एक सचिव के पद का सृजन रू0 320-620 के वेतन मान में किया जाये। यह महसूस किया जाता है कि

=======2/50

सचिव के लिये सचिव के पद के बजाये अब उसी वेतन मान में सचिव के वैयक्तिक सहायक का एक पद सृजित किया जाये। अतः सचिव के लिये भी वैयक्तिक सहायक के एक पद को रू0 320-620 के वेतन मान में सृजित करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः विकास प्राधिकरण हित में यह अनुशंसा की जाती है कि उपरोक्त 1 व 2 पर वर्णित प्रस्तावों की स्वीकृति विकास प्राधिकरण प्रदान करने का कष्ट करें। इन पदों पर नियुक्ति प्रचलित प्रथाओं, मूलभूत सिद्धान्तों वैधानिक अड़चनों तथा वित्तीय आशयों को ध्यान में रखते हुये सचिव, विकास प्राधिकरण की संस्तुति पर उपाध्यक्ष द्वारा की जाये गी।

निर्णय हेतु विषय:-

1- उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक के सृजित पद कोवेतन मान रू0 425-900 को कम करके 320-620 करना,

2- सचिव के वैयक्तिक सहायेक का एक नया पद 320-620 में सृजन की स्वीकृति देना।

ह/- बादूराम
सचिव,
विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

उपाध्यक्ष के आदेश:-

उपरोक्त प्रस्ताव विकास प्राधिकरण हित में स्पष्ट संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

ह/- [illegible]
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5-10-1977

मद सं० -23

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आज्ञा,

पृष्ठ-[illegible]/153

विषय:- नेहरूनगर, अम्बेदकर नगर, इन्द्रापुरी आदि बस्तियों को 600 वर्गफुट पर भवन मानचित्र की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

सारांश:- लखनऊ शहर को बाढ़ से बचाने हेतु गोमती नदी के तट-बंधों पर बन्धा बनाते समय विस्थापितों को शासन के आदेशानुसार 600 वर्गफुट के लघुत भूखण्डों को आवंटित कर बसा दिया गया, यद्यपि यह आकार नियमानुसार नहीं है इन आवादी के क्षेत्रों में नियमानुसार एक प्लाट का क्षेत्रफल कम से कम 900 वर्गफुट होना चाहिये इस सम्बन्ध में शासन ने अपने पत्र संख्या यू०ओ०1190/37-2-77दिनांक 29 जून 1977 में निर्देशित किया है कि प्लाट के छोटे होने में विशेष छूट देने का विषय विकास प्राधिकरण की बैठक में रखा जाये। तथा यह भी जानकारी चाही है कि क्या कोई ऐसा नियम है कन्ट्रोलिंग एथार्टी रेगुलेटेड एरिया लखनऊ की 14वीं बैठक जो 23दि० 1961 दिन, बृहस्पतिवार को हुई थी यह निर्णय दिया था कि:-

Extract from the minutes of the 14th meeting of the controlling Authority Regulated Area, Lucknow held on Thursday the 23rd, Dec, 1961.

10. The question of relaxing in suitable cases the condition regarding minimum area for residential plots in existing built up areas, was considered. The difficulties faced by such plot holders who own plots of less than 1250 sq.ft. in densely built up areas of the city in getting their building plans sanctioned by the prescribed Authority were fully discussed. It was finally decided that the Prescribed Authority could reduce the minimum area of the plots upto 600 sq.ft. in case where:-

(a) The proposed construction should be of the nature of reconstruction of an existing building.

(b) It is so situated that there is no probability extending the area on any side though acquisition of more open land by the owner.

(c) All necessary set back should be left as provided under the direction.

शासन ने अपने पत्र में यह उल्लेखित किया है कि अतीगंज योजना में बनाये जा रहे एक कमरों के घरों का क्षेत्रफल 600 वर्गफुट से कम है तथा उसकी स्वीकृत की जाती है अतः इस प्रकार के आधार रखते हुये यह भी छूट देनी चाहिये।

उपरोक्त छूट देने के साथ इनमें निम्न कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी:-

(1) विकास व्यय कौन देगा। (2) शमन शुल्क के लिये कौन सी नीति अपनाई जाये,
(3) इन प्लाटों पर कितना सैट बैक रखा जाये।

उपरोक्त तीन विन्दुओं पर भी निर्णय लिया जाना आवश्यक है क्योंकि इन बस्तियों में अधिकतर लोग हरिजन हैं जो इन विन्दुओं को शासन में फिर उठा सकते हैं।

नगर अभियन्ता भवन

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

वरिष्ठ नगर नियोजक,
प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

मद सं0: 24

पृष्ठ -54

लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आख्या

अलीगंज योजना के अर्न्तगत किराया क्रय आधार पर भवन आवंटित किये गये उसमें तत्कालीन प्रशासक/उपाध्यक्ष के आदेश अनुसार किशतो की दो छमाही किशते क्रम से पहली जुलाई एवं पहली जनवरी निर्धारित की गयी तथा जो भवन आवंटित किये जाते हैं, उनकी किश्ते आवंटित करने की तिथि की छमाहो से लिये जाते है चाहे मकान अपूर्ण हो तथा उनकी रजिस्ट्रेशन भी न की गयी हो। ऐसे आवंटियो को छमाही किशते जिनके मकान अपूर्ण है तथा उनकी रजिस्ट्र कब्जा नही दिया गया है उनके किशतो के भुगतान हेतु समय बढ़ाने के लिये उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण कोअधिकृत कर दिया जाय कि वह मकानो की स्थिति आदि को देखकर अपने विवेक से समय बढ़ाने का निर्णय लें। आदेशार्थ विषय उन से आवन्टन की तिथि से केवल भवन पर लगने वाली धनराशि का ब्याज लिया जाय और मूल धन की किसी भवन का कब्जा दिये जाने की तिथि से निर्धारित की जाय।

ह0: श्याम जी श्रीवास्तव
अधिशासी अभियन्ता(आवास)-2

ह0: -- बाबू राम,
सचिव।

ह0: डॉ- एन0बी0लाल,
उपाध्यक्ष।

लखनऊ बेंच प्राधिकरण हेतु आवेदन

क्रम सं0 25

(1) अतीक अहमद बनाम 26 अभियुक्तों को भूमिहीन आवंटित किये गये थे जिनकी प्रथम स्थित से धनराशि दिनांक 22-5-77 तथा शेष को उक्त तारीख तक 19 अभियुक्तों से प्रथम स्थित से धनराशि जमा कर ली थी किन्तु बाद में शासन के अपने पत्र सं0 2299/37-3-31 एस0ए0/ दिनांक मई, 1977 द्वारा उनसे स्थित जमा करने की तिथि जुलाई प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दी गयी और उसके आगे किसी सूरत में समय न बढ़ाया जाने को लिखा गया तथा दूसरी स्थित एवं अंतिम स्थित 6 सप्ताह के अंतर अर्थात 21-11-77 तक समाप्त जाना था। उक्त तक निम्नलिखित अभियुक्तों से प्रथम स्थित की धनराशि जो उनके नामों के सामने अंकित है जमा नहीं की है।

क्रम सं0	नामांकन सं0	प्रार्थी का नाम	भूमिहीन की जो सीलिंग्टिलुआ	उनके स्थित की जो धन जमा 77-78 तक जमा करनी थी।	जमा की गयी	जमा करने का दिनांक
8-	8	श्री जे0के0एस0चौहान	21 एस0पी0	3,960/-	-	-
13	13	श्री नवाब अली	14 एस0पी0	3,960/-	-	-
25-	25	श्री ब्रिजप्रकाश सक्सेना	25 एस0पी0	4,000/-	-	-

शासन के अपने पत्र दिनांक मई, 1977 द्वारा यह स्पष्ट आदेश किये थे कि उक्त तिथियों को किसी भी दशा में आगे नहीं बढ़ाया जायेगा अतः परिस्थितियों में उक्त अभियुक्तों को प्रथम स्थित की धनराशि जमा करने में संशोधित तिथियां नहीं दिलाई जा सकती।

(11) इन अभियोगों में और भी यू0पी0 जमींदारी एबोलिशन एक्ट प्रारम्भ दिनांक 31-7-77 से पहले किये गये अन्तिम फाइनल खतौनी में पेश था नहीं था तहसीलदार नेम अंकित किया।

प्रशासन, लखनऊ नगर मजिस्ट्रेट

" इस रिट की सुनवाई के पूर्व के एक शपथ पत्र दाखिल करना है । दूसरे स्थित के लिए मजिस्ट्रेट नेम ही लगाया है।"

ह0/- अस्पष्ट
पेशकार, हाईकोर्ट इलाहा0, ए0प्र0
26-9-77

निवेदनानुसार भूमिहीन को दिया गया प्रोविजनल प्राप्त कुछ मजिस्ट्रेट नामों की सूची के अनुसार अनुरोध (1) तथा (11) प्रतिवाद के शपथ पत्रादि प्रस्तुत है।

ह0/- इलाहाबाद
अधिशासी अधिकारी(सामान्य)
5-10-77

ह0/- बाद नाम
सचिव
6-10-77

ए0ओ0स0 को प्रस्तुत करें
ह0/- ए0एन0 लाल
सचिव

मद सं0 -26 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु आख्या पृष्ठ -56

विषय:- अलीगंज योजना के भूस्वामियों को एक्सग्रेशिया के रूप में अर्थात् 69.99 पैसे तथा दिये गये मुआवजे की दर के अन्तर के भुगतान के सम्बन्ध में।

अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में अर्जित भूमि के मुआवजे की दर को तय करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी के कमरे में दिनांक 27-3-74 को एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अर्जित भूमि का मुआवजा एक रुपये (रु0 1) प्रतिवर्ग फुट की दर से दिया जाय तथा इसके आदेशासन द्वारा शासनादेश सं0 18 /37-2-74 दिनांक अप्रैल 5 1974 द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित किया गया इसके अनुसार 8या 10 केसों में एवार्ड भी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित किये गये थे। इस पत्र की एक प्रतिलिपि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा प्रशासक नगर महापालिका लखनऊ को भी भेजी गयी थी। तदन्तर शासनादेश सं0 2265(1)/37-2-36(1)(11)/66 दिनांक 21 जून 1974 द्वारा यह आदेश परिचित किया गया कि दिनांक 5-4-74 के शासकीय आदेश में भूमि के मुआवजे की जो दर 1 रुपया प्रति वर्ग फुट दी गई है उसमें सुलेशियम तथा ब्याज की धनराशि भी शामिल है तथा इस्पाद आदेश मार्ग के वर्णन के रूप में दिये गये थे जिससे छोटे काश्तकारों को सही मुआवजा मिल जाये। भूमि का प्रतिकर लैण्ड एक्वाजीशन एक्ट 1894 के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय तथा प्रतिकर की धनराशि यदि सुलेशियम तथा ब्याज को शामिल करके 1 रुपया प्रति वर्गफुट कोड से कम आती है तो उसका अन्तर एक्सग्रेसिया के रूप में छोटे काश्तारों को भुगतान किये जाने का प्रस्ताव महापालिका द्वारा शासन को भेजा जाय। शासन ने पुनः शासनादेश सं0 3371/37-2-36(1)(2)/66 दिनांक 24 जुलाई 1974 द्वारा यह सूचित किया कि अलीगंज योजना में भूमि का प्रतिकर भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1984 में अंकित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाय। इस पत्र द्वारा पूर्व प्रेषित शासनादेश सं0 18/37-2-74दिनांक 5 अप्रैल 1974 तथा अ0शा0प0 सं0 2265/37-2-36(1)(2)66 दिनांक 21 जून 1974 में जारी किये गये अनुदेशों को निरस्त कर दिया गया।

इस मामले में तत्कालीन उपाध्यक्ष ने विचार विमर्श के अवाद तय किया कि सुलेशियम तथा ब्याज को मिलाकर भूमि का प्रतिकर 69.99 पै0 प्रतिवर्ग फुट दिया जाय

इस समय उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है किन्तु उन पाप ली में कठिनाई पैदा हो रही है जिनमें भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने भूमि अध्याप्ति अनिधनियम 1984 के अधीन एवार्ड घोषित कर दिया है और उसके अनुसार प्रतिकरकी धनराशि 69.99 पैसे प्रति वर्ग फुट से भी कम आती है ऐसे पापले में किसानो की मांग है कि उनको 69.99 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिये इससे किसानो के बीच मुआवजे के भुगतान में डिस्करीमिलेशन नही रहेगा ऐसे पापले में क्या नीति अपनाई जाये इस सम्बन्ध में निर्णय शासन द्वारा ही अपेक्षित है भूमि अध्याप्तिअधिकारी ने लगभग 36 पापलो में जो एवार्ड घोषित किये हैं और जिसके अर्न्तगत 127 बीघा 4 बिसवा, 11 बिस्वासी भूमि आती है उसका प्रतिकर 9 पैसे प्रतिवर्ग फुट से लेकर 28 पैसे प्रतिवर्ग फुट की दर से किया गया है उनमें से अधिकतर लोगो ने भूमि अर्जन के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर ले रक्खा है इस प्रकार से एक्सग्रेशिया पेमेन्ट करने पर लगभग रू0 17,73,455/80 भार विकास प्राधिकरण को वहन करना पड़ेगा जो कि भूखण्ड के मूल्य से उपलब्ध हो जायेगा अलीगंज योजना के अर्न्तगत इस प्रकार उपरोक्त परिस्थित में संलग्न सूची के अनुसार किसानो को एक्सग्रेशिया पेमेन्ट रूपया 17,73,455/80 पै0 का भुगतान करने की संस्तुति शासन को करने की कृपा करें जो कि लैण्ड इक्यूजिशन एक्ट-497 के अर्न्तगत किया जा सकता है। शर्त यह होगी कि भूमि अध्याप्ति अधिकारी भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि '' एक्सग्रेशिया पेमेन्ट हकदार व्यक्ति को ही किया जाय।

उपरोक्त परिस्थिति में एक्सग्रेशिया पेमेन्ट हेतु संलग्न सूची एवं उक्त नोट विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

ह0/- श्याम जी श्रीवास्तव
[illegible]
अधिशासी अभियन्ता (आवास)

ह0/- [illegible]
1-11-77
[illegible]

अलीगंज योजना के अन्तर्गत अर्जित होने वाली भूमि के
अवशेष प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में,
-: विवरण :-

क्रम सं0	स्थाई सं0	काश्तकार का नाम	ग्राम	खसरा नम्बर	अर्जित होने वाला क्षेत्रफल बीघा अथवा वर्गफुट	दर	किया गया भुगतान	अवशेष दर	अवशेष प्रतिकर	[illegible]
1-	3	रज्जू लाल, शंकर	फतेहपुर	243	1-0-0-0	0.9 पै0	2,226=85	60.99	16,604=53	
2-	4	पुशई व जयदेई	"	58	0-12-0-0	"				
				104	1-10-0-0	"				
				105	0-17-0-0	"	6,774=36	"	48,992=05	
3-	5	दीन दयाल	"	27	2-5-3-0	"	5,367=60	"	37,486=89	
4-	6	श्रीमती रज्जो चुन्नो लाल	"	84/1	0-11-0-0	"				
				84/2	0-11-0-0	"	2,565=03	"	24,266=00	
5-	7	गुरु प्रसाद शिवप्रसाद	"	78	1-2-5-0	"	2,531=26	"	18,970=94	
				79	0-0-12-0					
6-	8	फकीरे	"	266	1-0-0-0	"	2,450=25	"	16,604=53	
7-	9	नन्हे	"	162	0-17-0-0	"	2,096=69	"	14,121=62	
8-	10	धनश्याम	"	88	0-19-0-0	"	2,157=76	"	15,782=99	
9-	11	कधई	"	37	0-17-0-0	"	3,859=50	"	27,403=42	
				54	0-16-0-0	"				

पृष्ठ-59

10	12	रज्जूलाल	51	1-0-0-0		4,459=13		31,556=84
11-	13	ढोढ़े पाचू	29	0-18-0-0				
			30	0-12-0-0		2,927=10		19,927=26
12-	14	श्रीमती रामदंलारी	191	1-5-0-0		3,275=29		20,757=95
13-	15	कन्धाई पुत्र शिवचरन	193	1-3-0-0	0.12 पै 0	4,064=58	57.99	18,157=25
14-	16	द्रवारिका पुत्र बदलू बुधाई पुत्र धनीराम	71	1-11-0-0		2637=68	57.99	46,582=21
			80	1-8-0-0				
15-	17	प्रसादी पुत्र तेजी	49/2	0-14-10-0		2,528=06		11,451=87
16-	18	ठाकुर पुत्र उमराव	74	0-18-3-0		2,842=94		14,335=13
17-	19	निवाजी (श्रीमती भगवानदेई)	235	0-15-0-0		2,297=98		11847=36
18-	20	श्रीराम भारत पुत्रगण ठाकुर	62	0-18-0-0		2,172=01		14,216=83
19-	21	श्री ठाकुर एवं भवानी पुत्रगण उमराव	82	0-16-0-0		2,254=63		12,637=18
20-	22-	नत्था पुत्र पुक्का	60	0-15-0-0		7,105=36		31,385=93
			91	0-12-2-0				
			92	0-12-13-0				
21-	23	श्री धनी पुरई, भुलई पुत्रगण शिवदोस	53/2	0-14-0-0		8,207=12		35,524=67
			98	1-11-0-0				
22-	24	झब्बू म हावीर, बुद्धू पुत्र हुसैनी	64	0-17-0-0		5,718=78		27,635=13
			65	0-18-0-0				
23-	25	श्री मैकू पुत्र मकटू	81	0-16-0-0		8,4998=70		36,930=35
			85	0-15-0-0				
			95	0-16-0-0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	26	छब्बू पुत्र परागी	''	128	0-14-0-0	''	2,629=86	''	11,057=53	
25-	27	बाबूलाल, छुट्टी, नन्हा पुत्र	''	274/1	0-17-0-0	''	3,042=35	''	13,427=00	
26-	28	पेक्कू पुत्र गिरधारी	''	38/1	0-15-10-0	''	7,429=26	''	8,608=06	
				38/2	0-15-10-0					
27-	29	श्री राम चन्द, चेतराम आदि	''	275	1-1-0-0	''	4,910=61	57.99=00	16,577=60	
28-	30	श्री देवी दुबार श्री दुलारे पुत्र	''	101	0-14-0-0	''	7,896=63	''	33,153=20	
		पेक्कू श्री रामधुनि गंगाराम, रामधारीये		102	0-8-0-0					
		गंगासहाय पुत्रगण जोखिलाल		103	0-7-0-0	''				
				130	0-13-0-0					
29-	31	श्री राम पुत्र दुर्गा	''	250	0-18-0-0	''	3,485=77	''	14,216=83	
30-	32	श्री लोटन लाल, राधेश्वर	''	8	0-18-0-0	''	29,948=56	''	36,314=50	
		श्री किशन, नौला प्रसाद	''	127/1	0-7-0-0					
		श्रीमती बेगम पहलवान बलीम	''	127/2	0-7-0-0					
				129/1	0-7-0-0					
				129/2	0-7-0-0					
31-	33	राम यन्द्र पुत्र लक्खू	''	7	0-17-0-0	''	3,423=46	''	13,427=00	
		श्री लालिक । पुत्र लोढ़ा	''	53/1	0-15-0-0	''	2,817=82	''	11,247=36	
		श्री बसन्त लाल पुत्र पुन्ना	''	200	2-16-0-0	''	13,189=18	''	44,912=74	
32-	34	ब्रज मोहन, नेवल सिंह पुरोनिया		243	0-4-0-0	10 पैसा	80,912=80	59.99	3,63,312=64	
		तृष्णा लाल सिंह	''	244/1	0-3-15-0					
			''	246	0-14-11-0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				254	0-12-0-0					
				255	1- 2-0-0					
				259	0-10-0-0					
				260	0-17-0-0					
				261	0-11-0-0					
			पुरुषियाँ	262	0- 8-2 '-0	10 पैसा				
			''	263	0- 8-15-0					
			''	248	0-7- 8-0					
			''	320/1	1-0- 11-0					
			''	326	0- 7-15-0					
			''	315	0- 9-0- 0					
			''	327	0-11-0- 0					
			''	331	0-12-12-0					
			''	332	0- 9- 0-0					
			''	333	0- 9- 0-0					
			''	334	0-17- 3-0					
			''	345	1- 1- 0-0					
			,,	350	0- 13- 0-0					
			''	352	0- 5- 0- 0					
			''	354/1	0- 1-10-0					
			''	~~362~~	~~0- 9- 0-0~~					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			पुनाथाँ	362	0-9-0-0					
			"	366	0-11-0-0					
			"	380	1- 3-0-0					
			"	423	0- 8-0-0					
			"	669	0- 8-0- 0					
			"	671	0- 3-0-0					
			"	673	0-13-0-0					
			"	674	0- 8-0- 0					
			"	675	0- 5-0-0					
			"	695	0- 1 -10- 0					
			"	696	0- 15-13- 0					
32	34									
			"	697	0- 16- 2- 0	10 पैसा				
			"	698	1- 0- 0- 0					
			"	699	0- 11-2-0					
33-	35	श्री वेनो प्रसाद	"	249	0-16 -7-0	10 पैसा	37, 856=90	59.99	1, 81, 043=22	
			"	268	1- 0 6-0					
			"	270	0- 19-11-0					
			"	271	1- 9 -15- 0					
			"	272	0- 16 -11-0					
			"	273	0- 14- 7-0					
			"	303	0- 10- 0- 0					
			"	304	0- 15- 0- 0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				305	0-6-0-0					
			''	306	0-16-0-0					
			''	309	0-[illegible]-0-0					
			''	310	0-14-14-0					
			''	311	0-16-15-0					
			''	316	0-10-10-0					
			''	365	0-6-18-0					
34-	36	फकीरे [illegible]	फतेह पुर	143	0-9-18-0	28 बिघा	1,51,084=99	41.99	1,74,[illegible]=40	
		सुनोल पिश्रा	''	159	0-12-0-0					
		अलका पुरो	''	264	0-10-0-0					
				265	0-14-0-0					
		पन्नालाल आदि	''	188	0-17-0-0					
			''	220	0-16-16-0					
			''	221	0-18-17-0					
			''	222	1-2-0-0					
			''	223	1-1-0-0					
		भगौती आदि	''	271/अ	0-3-0-0					
			''	23/अ	0-3-0-0					
			''	35	1-10-0-0					
			''	36	0-18-0-0					
		गंगा दंगा बाबूनन्हा	''	5	0-19-0-0					
			''	6	1-1-0-0					
			''	55	0-10-0-0					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]	195	[illegible]					
		जनार्दन सिंह	234	0-18-0-0					
		हरीश चन्द्र मेहरोत्रा	266	1-0-0-0					
		सोहनी लाल							
35-	37	बेदूदू	4	2, 3-0-0	28 पैसा	1,57,165-61	41.00	1,82,5[illegible]	
		पटरू द्वारिका जोधे	20	2-5-0-0					
		भगवानदीन आदि	10	1-2-8-0					
			12	0-9-9-0					
			56	1-2-0-0					
			89/1	0-9-0-0					
			89/2	0-9-0-0					
		छेदी कुन्ना	126/1	0-16-10-0					
			126/2	0-16-0-0					
			136	0-5-0-0					
		टिकई पुत्र टोड़ी व	11	0-19-3-0	28 पैसा				
		लालपन पुत्र हलई	18	1-17-0-0					
			106	1-0-0-0					
		टिकई पुत्र टोड़ी	16	[illegible]-3-0					
		चन्दो पुत्र हल्ला	17	0-13-15-0					
			59	1-6-0-0					
36	38	जगनू गज्जू लक्ष्मी	158	0-6-0-0					
		नरायन कौटा लालू	186/1	0-16-0-0					
		द्वारिका मु० जगदेई	186/2	0-4-0-0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	38	[illegible]	फतेहपुर	187	0- 12-0-0					
			"	189	0 -11- 0 -0					
			"	271	0 - 8- 0- 0					
			"	272	0 -13-1- 0					
		फूल चन्द्र व सकरू	"	66	0- 16- 0- 0					
		होरालाल	"	119	0- 4- 0 -0					
			"	123/1	0- 8- 0- 0					
			"	123/2	0- 8- 0 -0					
		[illegible] नान्दू [illegible] लाल	"	34/1	0- 13- 10- 0					
			"	34/2	0- 13,-10- 0					
			"	67	1- 4 0-0					
			"	68	1- 6 - 0 -0					
			योग =		127-4- 11- 0		6,73,752. 77 [illegible]		17,73,455=80	

अवशेष प्रतिकर ([illegible]) रु0 17,73,455= 80 पै0

[illegible] प्रतिवेदन हेतु आख्या

मोहल्ला लाकुआं लखनऊ स्थित अहाता रसूल खां क्षेत्र जिसमें लगभग तीन बीघा तथा 12 बिस्वा भूमि सम्मिलित है, नगर महापालिका द्वारा निर्मित होकर नगर महापालिका अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत राजकीय गजट में प्रथम बार दिनांक 8-12-1962 को प्रकाशित हुई थी । तत्पश्चात यह योजना नगर महापालिका द्वारा स्वीकृत उपरान्त उक्त अधिनियम की धारा 363(1) के अन्तर्गत राजकीय गजट में दिनांक 8-5-1965 को प्रकाशित की गयी । उक्त क्षेत्रफल में से संपत्ति सं0 3 की 19 बिस्वा भूमि अर्जन से मुक्त की जा चुकी है । शासन से भूमि अर्जन एक्ट की धारा 7 के अधीन आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत अर्जनीय संपूर्ण क्षेत्र की अर्जन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा समस्त एवार्ड वर्ष 1971 में घोषित किये जा चुके है । भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा खुली भूमि जो लगभग 33,623 वर्ग फुट है का कब्जा भी दिनांक 7-7-77 को प्राप्त हो चुका है । अब केवल शेष अर्जित क्षेत्र जिस पर विस्थापित होने वाले परिवार आवाद है का अधिकार विकास प्राधिकरण को विशेष भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा प्राप्त होना शेष है जो वहां के विस्थापित परिवारों को बसाने के पश्चात ही प्राप्त हो सकेगा । इस योजना क्षेत्र में योजना के नोटीफिकेशन के समय बनाई गयी सूची के अनुसार 51 विस्थापित परिवार हैं ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस योजना की संपत्ति सं0 4 क्षेत्रफल बीघा /2-3-3-7 के स्वामी मेजर महेश चन्द्र ने अपनी संपत्ति से संबंधित अर्जन कार्यवाही के विरुध्द माननीय हाई कोर्ट में रिटपिटेशन दायर किया जो अभी न्यायालय में निर्णयाधीन है । इसी संपत्ति सं0 4 के लगभग 1 बीघा भूमि को वहां के रहने वालों द्वारा बनायी गयी है । अहाता महादेव प्रसाद ग्रह निर्माण समिति को देने हेतु नगर महापालिका को प्रस्ताव सं0 24 दिनांक 25-10 -71 द्वारा निर्णय लिया गया है तथा उक्त समिति को दी जाने वाली भूमि की दर की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासन को पत्र सं0 टी/93/ए0सी0दि0 दिनांक 10-10-72 द्वारा भेजा गया जो कई स्मरण पत्र भेजने पर भी अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है।

इस योजना क्षेत्र का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा तैयार कर लिया गया है । यहाँ के विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए भवन निर्माण

क्रमशः----------2

(2)

करने हेतु शासन से स्लम क्लियेरेन्स योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । शासन से ऋण प्राप्त होने पर इस क्षेत्र के विस्थापितों को बसाने हेतु भवन निर्माण किये जायेंगे तथा तभी इस क्षेत्र का अधिकार प्राप्त करके क्षेत्र को विकसित करना सम्भव हो सकेगा ।

अतः विकास प्राधिकरण की सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

ह0/- प्रेम नाथ सिन्हा
1-10-77
नगर अभियंता (विकास)

उपरोक्त विषय तत्काल विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

ह0/-
मुख्य अभियंता
3-10-77

गुप्ता/

मद सं0 - 28

लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आख्या

विषय:- मुहल्ला गनेशगंज लखनऊ स्थिति अहाता मातादीन क्षेत्र आवासीय योजना को निर्मित करने के संबंध में ।

लखनऊ नगर महापालिका की विकास समिति ने अपने प्रस्ताव सं0 27 दिनांक 18-1-73 के बवारा अहाता मातादीन क्षेत्र जिसमें बीघा 5-0-15-14 क्षेत्र भूमि सम्मिलित है का मलिन बस्ती सुधार योजना निर्मित करके प्रकाशित करने का निर्णय लिया था । उक्त निर्णयानुसार योजना निर्मित करके महापालिका अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत राजकीय गजट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हेतु भेज दी गयी थी । उक्त योजना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र पायनियर में दिनांक 17-3-73, स्वतंत्र भारत में दिनांक 2-3-73 को हो गया परन्तु किन्हीं कारणों से राजकीय गजट में न हो सका ।

इसी बीच महापालिका अधिनियम का अध्याय 14 जिसके अन्तर्गत योजना का प्रकाशन होना शासन बवारा रदद कर दिया गया तथा विकास प्राधिकरण का गठन हो गया । इस प्रकार अब जब तक नियमानुसार इस योजना की स्वीकृति विकास प्राधिकरण न कर दें तब तक इसको प्रकाशित करना उचित न होगा ।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में लगभग 148 आर्थिक दृष्टि से दुर्बल परिवार रह रहे हैं जो इस योजना के कार्यान्वन से यह परिवार विस्थापित होगें । इन परिवारों को इसी योजना में आबाद करने हेतु 148 भवनों का निर्माण करना प्रस्तावित है । इन भवनों को बनाने के लिए आर्थिक दृष्टि से दुर्बल परिवार योजना के अन्तर्गत ऋण लिया जावेगा तथा उन भवनों का किराया निर्धारण करते समय भूमि का दर नहीं रखी जावेगी जो इकोनोमिक्स के अनुसार आती है । इस योजना का कुल क्षेत्र फल 3.18 एकड़ है जिसका उपयोग निम्न प्रकार होगा:-

(1) भूखंड बिक्री के लिए	45,000 वर्ग फीट
2- भूखंड जिन पर विस्थापितों के लिए 148 भवनों का निर्माण होगा।	36,840 "
3- सड़कों का क्षेत्रफल	46,480 "
4- पार्क एवं खुले स्थान	10,500 "

इस योजना पर अर्जन एवं विकास व्यय मय ब्याज के लगभग 7.56 लाख रु0 व्यय होगा तथा प्लाटों की बिक्री के बाद योजना के संपादन में लगभग 4.00 लाख रु0 की आय होगी। विस्तृत इकानोमिक्स संलग्न है । यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ह0/-

ह0/- प्रेमनाथ सिन्हा
1-10-77
नगर अभियंता (विकास)

यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

ह0/- एन0एन0पी0अग्रवाल
मु0अ0

Cost statement of land

Acqusition

(i) Cost of land 1,38,820 sq.ft. @ 1.50 sft.	= 2,08,230.00
(ii) 10% Administrative charges	= 20,823.00
10% interest for 3 years on (i) & (ii)	= 67,716.00
	2,96,769.00

Cost of statement of Development

Development

(i) Roads	= 1,36,800.00
(ii) Sewerage	= 38,800.00
(iii) Water Main	= 40,000.00
(iv) Drain	= 30,000.00
(v) Street lighting	= 40,400.00
(iv) Parks	= 3,76,400.00
(b) 10% Administrative charges	37,640.00
(c) 10% interest for one year as on a & b.	

Note:- The award was declared by Spl. L.A.O. for the Hata Rasul Khan was Rs. .95 per sft. on 7.5.71 Therefore 50% increase has been taken into account and about 7 p per sft. has been taken as cost of properties etc.

Calculation of the cost of plots

Total area = 1,38,820 sft. saleable area = 81

(i) Cost of land	2,96,769.0
(ii) Cost of development	4,55,444.00
	7,52,213.00
Add Management charges	3,761.00
	7,55,974.00

Rate per sft. = $\frac{7,55,974}{81,840}$ = 9.23

Say Rs. 9.25 per sft.

Sd. S.M.Srivastava
A.E.S.

Rate pe sft. Rs. 9.25

Add 10% for price esca;atopn(increase in rate pf material) Rs. 0.93

As per C.A.)'s dt- 30.9.77

Add 10% profit Rs. 0.93

Rs. 11.11

Say Rs. 11.10 sft-

The rates have been taken as Rs. 20/- per sft.

Net profit per sft. Rs. 8.90 sft.

Profit(area under plots)

45,000 sft @ 8.90 sft. = 400500/-

say Rs. 4.00 lacs

मद सं0 -29

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग - भवन विभाग ।

विषय - लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित "शमन शुल्क" के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में अनाधिकृत विकासों की संख्या दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । यहाँ तक कि इसी प्रकार कई नई अनधिकृत रूप से कालोनियों का भी विकास किया जा चुका है । सम्भवतया इन विकासों को किन्ही कारणोवश उस समय उपलब्ध नियंत्रणों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका तथा इस समय भी ऐसे नियंत्रण नहीं हैं जिससे अनधिकृत विकासों को रोका जा सके क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग अनधिकृत विकास कर जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाते हैं वहीं दूसरी तरफ अनधिकृत विकास के कारण शमन शुल्क देकर नियमित कराने हेतु भवन चित्र स्वीकृत के लिये प्रस्तुत करते हैं और नियमानुसार इन्हे शमन शुल्क लेकर नियमित कर दिया जाता है ।

अतः मेरे विचार से शमन शुल्क बनाते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि शमन शुल्क शुल्क के रूप में रहे वहीं दूसरी तरफ यह भी नितान्त आवश्यक है कि शमन शुल्क गलत कार्य करने का एक लाइसेंस तरीका न बन जाये और अनधिकृत विकास करने वाला व्यक्ति इसे भूमि के उपयोग का एक नगण्य खण्ड समझ कर प्लान देने के साथ इसे प्राधिकरण की एक फीस न समझने लगे ।

शमन शुल्क निर्धारित करने हेतु इस समय तीन आधार उपलब्ध हैं-

(1) चेयर मैन नियंत्रक अधिकारी विनियमित क्षेत्र लखनऊ द्वारा विज्ञापित शमन शुल्क

(2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा कम्पाउन्डिंग के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देश,

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अनधिकृत विकासों के लिये कम्पाउन्डिंग हेतु बनाये गये सिड्यूल्ड,

इन तीनों आधारों को अध्यन करने से ऐसा विदित होता है कि चैयरमैन कंट्रोलिंग अथारिटी द्वारा प्रस्तावित सभी मुख्य मद मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा बनाये गये सिड्यूल्ड में उपलब्ध हैं ।

नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कम्पाउन्डिंग के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देश 8 तथा 11 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा बनाये गये सिड्यूल्ड में नहीं है । निर्देश संख्या 3 में लेन सैट बैक शमन शुल्क

प्रस्तावित है । लेन सैट बैक साधारणतया विल्डअप एरिया में लागू होता है जहाँ पर गलियाँ 12 फिट से कम हैं कहीं कहीं पर तो 3 फिट की ही गलियाँ हैं अत: इनको पुन: कवर करने की अनुमति यदि दे दी गई तो इस क्षेत्र में गली का होना सम्भव न होगा और यह जन साधारण के लिये कोई सुविधा नहीं मिल पायेगी । अत: यह नियम काफी घातक सिद्ध होगा मेरे विचार से लेन सैट बैक को शमन शुल्क लेकर नियमित न किया जाये ।

नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश सं0 11 जिसमें भूमि विभाजन को शमन शुल्क लेकर नियमित कर देने का प्राविधान है जिस पर कम से कम 100 रु0 तथा अधिक से अधिक 1000 रु0 लेकर अनियमित भूमि विभाजन नियमित किये जाने का प्राविधान है इसका प्रभाव यह पड़ता है कि एक व्यक्ति एक बड़े भू-भाग को छोटे-छोटे खण्डों में कर तथा कम चौड़ाई की सड़क रखा कर विभिन्न व्यक्तियों को बेचता चला जाये तथा उपरोक्तानुसार शमन-शुल्क लेकर नियमित विभाजन कर भवन चित्र स्वीकृत करा लें इस नियम से जो जन-साधारण को सुविधा मिलनी चाहिये वह मिलना असम्भव हो जाता है । परन्तु इसकी आवश्यकता घनी बसी आबादी वाले क्षेत्र में अवश्य है । जहाँ पर मौजूदा सड़क को बढ़ाया न जा सके । अत: इस नियम को बाहरी क्षेत्र में लागू न किया जाना चाहिये ।

कम्परेटिव जानकारी के लिये तीनों शमन-शुल्क तथा आगरा एवं कानपुर में विकास प्राधिकरण में लागू शमन शुल्कों के निर्देश जो एक दूसरे के कम्परेटिव हो सकते है संलग्न चार्ट पर प्रदर्शित किया गया है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा बताये गये शिड्यूल कानपुर विकास प्राधिकरण में लागू शमन-शुल्क एक ही है । संलग्न चार्ट देखने से ऐसा लगता है कि मुख्य नगर एव ग्राम नियोजक द्वारा तथा नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा बनाये गये शमन-शुल्क में कुछ मौलिक अन्तर है ।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के महायोजना का उपयोग का विशेष बल दिया है और उपयोग के विकास को शमन-शुल्क लेकर स्वीकृत करने की स्वीकृति नही प्रदान की है तथा सहकारी एवं अर्द्ध-सरकारी भूमि पर किये गये अनधिकृत निर्माण को भी स्वीकृत नही प्रदान की है । इस नियम को लागू करने से अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति बहुत कुछ खत्म हो जायेगी ।

क्रमश: - - -3.

मुख्य नग एवं ग्राम नियोजक ने भिन्न-भिन्न स्तर पर भिन्न-भिन्न ऐसे रेट रखे हैं कि अनधिकृत निर्माण करना लोगों के लिये कठिन कार्य हो जाये जैसे कि सामने के सेट-बैक को कम्पाउण्ड करने को वे रोकना भी चाहते हैं और यदि किन्हीं कारणों से शमन करना पड़ता है तो उस पर काफी "पिनल कम्पाउण्ड" शुल्क रखा है जिससे कि सामने के क्षेत्र में शमन शुल्क देकर विकास करना एक कठिन विषय हो जायें ।

जहाँ तक नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित शमन शुल्क का प्रश्न है मेरे विचार से काफी कम है । वाइ-लाज़ के हर आइटम को शमन करने की छूट प्रदान करना सारे वाइ-लाज़ का प्रभाव ही खत्म हो जाता है ।

अत: मेरे विचार से लखनऊ क्षेत्र में भी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित शमन शुल्क के शिड्यूल्ड लागू किये जाने चाहिये जैसे कि कानपुर विकास प्राधिकरण में लागू भी है । इसके लागू किये जाने से अनधिकृत ही/विकास करने की प्रवृत्ति को काफी हद तक खात्म किया जा सकता है ।

ह0/- ओम प्रकाश
नगर अभियन्ता (भवन)

ह0/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

ह0/- के0पी0 सिंह,
वरिष्ठ नगर नियोजक
29-9-77

प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उपलब्ध शमन शुल्कों की तुलनात्मक स्थिति

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित शमन-शुल्क	निर्यन्त्रक अधिकारी द्वारा शमन-शुल्क	चेयरमैन कंट्रोलिंग अथारिटी द्वारा प्रस्तावित शमन-शुल्क	आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कंट्रोलिंग एथारिटी के 30-5-73 को स्वीकृत शमन शुल्क
1- महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के विरुद्ध शमन नही होगा ।	1- कोई निर्देश नही है ।	1- कोई निर्देश नही है ।	1- कंट्रोलिंग एथारिटी ने मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित शमन शुल्क को आइटम नं0 7 दिनांक 30-5-73 को रखा कर स्वीकृति प्रदान कर दी है । अतः कृपया मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तावित रेट एवं उनका स्वरूप अवलोकन करें ।
2- सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संस्था पर भूमि पर किये गये अनधिकृत विकास शमन नही किया जायगा ।	2अ- सरकारी तथा महापालिका सड़क या गली तथा जमीन पर नये अनधिकृत प्रोजेक्शन रु0 5/- प्रति वर्गफुट तथा कम से कम 500/- रु0 पर ।	2- कोई निर्देश नही है ।	साधारणतया बाइलाज के विरुद्ध प्रस्तावित विकास सम्मानित नही किया जायगा, यदि किन्ही कारणों से करना आवश्यक आवश्यक हुआ तो ऐसे विकास को रु0 25/- प्रतिवर्गफुट की दर से शमन शुल्क लेकर किया जायगा ।
3- शमन शुल्क प्राप्त कर स्वीकृत किये गये विकास पूर्व प्रथम तथा अपरीका मंजिल शमन शुल्क लेकर रेगुलराइज नही की जायगी ।	ब- पुराने प्रोजेक्शन का पुनः निर्माण 3/- रु0 प्रतिवर्ग फुट तथा कम से कम 250/- सरकारी अथवा महापालिका जमीन पर प्रोजेक्शन के अलावा दूसरे निम्न शेड्यूल से शमनएन्क्रोचमेन्ट रु06/- प्रतिवर्गफुट लेकिन कम से कम 600/-	3- कोई निर्देश नही है ।	इसी के साथ जी0ओ0के023°10°74 को, जो 1-8-74 से लागू किया गया है, निम्नलिखित और विषय भी शमन कि किये जा सकते हैं ।
4- सेट-बैक में किये गये अनधिकृत विकास के निम्न शेड्यूल से शमन शुल्क लिया जायगा ।	नोट:- यदि कार्यवाही इस्तेमाल में आता हो तो ऊपर की सारी दरें दोगुनी हो जायेंगी तथा देहाती क्षेत्र में आधी ।	4-अ-सामने वाले खुले क्षेत्र में केवल 10 प्रतिशत ही कम्पाउण्ड होगा तथा आवासीय भवन रु0 10/- प्रतिवर्गफुट तथा आवासीय भवन पर रु0 20/- प्रति वर्गफुट शमन शुल्क होगा ।	मलबा एवं मैटेरियल एक करने के वाजे जो 1 प्रतिशत विकास व्यय होगा तथा न्यूनतम रेट रु0 25/- होगा निम्न विषय प्रस्तावित रेट पर सम्मिलित किये जायेंगे । छत पर रिपयर तथा हटाने पर रु00.50 प्रति वर्गफुट ।
अ-सामने वाले खुले क्षेत्र में विकास को साधारणतया शमन नही किया जायगा लेकिन यदि करना आवश्यक हो तो बिना प्लान जमा किये विकास पर रु0 25/- प्रतिवर्ग फुट तथा कम से कम 3,000/- शमन शुल्क लिया जायगा तथा उस भूमि का विक्रय मूल्य भी लिया जाय यही स्थिति प्लान जमा करने के बाद किये गये अनधिकृत विकास तथा रिमाण्डवर्गफुट करने पर ।	2- दुबारा गलत काम करने पर दरों का 5 गुना तथा तीसरी बार करने पर दरों का दस गुना शुल्क लिया जायगा ।	ब- साइड सेट बैक के खुले क्षेत्र में 10 प्रतिशत ही कम्पाउण्ड होगा तथा आवासीय भवन में रु05/- प्रतिवर्गफुट तथा व्यापारिक भवन पर रु0 10/- प्रति वर्गफुट शमन शुल्क होगा ।	
ब- बगल के खुले क्षेत्र में किया गया अनधिकृत विकास यदि प्लान जमा किये बिना किया गया है तो रु0 16/- प्रति वर्गफुट तथा कम से कम रु0 3,000/- तथा भूमि का मूल्य ।	3- सामने वाले खुले क्षेत्र में किये गये विकास को रु0 10/- प्रति वर्गफुट ।	स- केवल दस प्रतिशत तक आच्छादित अनधिकृत विकास को शमन शुल्क लेकर पास किया जायगा । शमन शुल्क की दर आवासीय क्षेत्र के लिये रु0 5/- प्रतिवर्गफुट तथा व्यापारिक क्षेत्र के लिये 10/- प्रतिवर्गफुट होगा ।	
	ब- साइड सेट-बैक में किया गया विकास रु0 5/- प्रतिवर्गफुट ।	5- केवल 10 प्रतिशत तक आच्छादित क्षेत्र को रि-कम्पाउण्ड किया जा सकता है तथा यह आवासीय भवन रु0 5/- प्रतिवर्गफुट तथा व्यापारिक क्षेत्र में रु0 10/- प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से कम्पाउण्ड होगा ।	
	स- पीछे के खुले क्षेत्र में किये गये अनधिकृत निर्माण रु0 5/- प्रति वर्गफुट ।		
	नोट-यदि व्यवसायिक इस्तेमाल में आता हो तो ऊपर की सारी दरें दो गुनी हो जायेंगी तथा देहाती क्षेत्र में आधी ।		

क्रमशः - - - 2

1	2	3	4
यदि प्लान जमा करने के पश्चात् विकास किया गया है तो फीस रु0 0.50 प्लस 500/- तथा इंतजार रिमाण्ड करने के बाद हो तो 0.50 प्लस 300/- तथा इंतजार करने एवं समय समाप्त होने के बाद हो तो मूल्य का एक-चौथाई भाग । यदि प्लान जमा किये बिना विकास किया गया हो तो- 1- पीछे के क्षेत्र में रु0 12/- प्रतिवर्गफुट लेकिन कम से कम रु0 2000/- तथा भूमि का मूल्य तथा यदि प्लान् जमा किया गया हो तो रेट का आधा तथा 500/- तथा यदि रिमाण्ड कर दिया हो तो आधा तथा 300/- त तथा सभी लीगल कार्यवाही कर दिया हो तो एक-चौथाई । 2-यदि भूमि आच्छादन निर्धारित आच्छादन से अधिक हो तो तथा प्लान् जमा न किया गया हो तो रु0 20/- प्रति वर्गफुट प्लान जमा किया है लेकिन इंतजार किया है तो आधा तथा रु0 500/- रिमाण्ड किया गया हो तो आधा तथा 300/- और यदि सभी की लीगल कार्यवाही की हो तो एक चौथाई 3- कनरे की ऊँचाई यदि प्रस्तावित से कम हो तो प्लान न जमा करने की स्थिति में रु0 16/- प्रति वर्गफुट प्लान जमा करने के पश्चात् न रुकने पर आधा तथा 300/- और सभी कार्यवाही करने पर एक-चौथाई । 4- प्लान जमा न किये बनाये हाल में रूम क्षेत्र प्लान यदि है तो रु0 20/- प्रतिवर्ग फीट जितने से उपरोक्त क्षेत्र कम है, यदि प्लान् जमा करके बिना इंतजार किये बनाया गया हो तो आधा तथा 500/- रिमाइण्ड कर देने पर 300/- और नय कार्यवाही करने पर एक चौथाई ।	5- भूमि का आच्छादन में बढ़ा होने पर रु05/- प्रति वर्गफुट यह उसी क्षेत्र में लागू होगा जो आइटम नं0 4 में कवर न होता हो । नोट:- यदि कार्यवाही इस्तेमाल में आता हो तो ऊपर की दरें दोगुनी हो जायेगी तथा देहाती क्षेत्र में आधी । 6- बाइलाज के विरुद्ध होने के कारण रु0 1.50 प्रतिवर्गफुट तथा कम से कम रु0 300/- नोट- यदि कार्यवाही इस्तेमाल में आता हो तो ऊपर की दरें दो गुनी हो जायेंगी तथा देहाती क्षेत्रों में आधी । 7- बाइलाज के विरुद्ध के कारण रु0 1.50 प्रति वर्गफुट तथा कम से कम रु0 300/- नोट- कार्यवाही उपयोग में दो गुनी तथा देहाती क्षेत्र में आधी । 8- बाइलाज के विरुद्ध होने के कारण रु0 1,50 प्रति वर्गफुट तथा कम से कम रु0 300/- नोट- उपरोक्तानुसार ।	6- कोई निर्देश नहीं है । 7- कोई निर्देश नहीं है । 8- कोई निर्देश नहीं है ।	5- दुकानों में दरवाजा बदलने पर 2/- प्रतिवर्ग फुट । 6- दुकानों के बाहरी दीवार पर नये दरवाजे लगाने पर रु0 2.50 प्रति वर्गफुट । 7- बाउण्डरी वाल पुर गेट लगाने तथा रिपेयर करने पर रु0 1/- प्रतिवर्ग फुट । 8- बाउण्डरीवाल रिपेयर करने पर 0.75 प्रतिवर्गफुट 9- भीतरी दीवार 5" ऊँचाई तक बनाने पर रु0 1/- प्रति वर्गफुट । 10-भीतरी दीवार दस फुट ऊँचाई तक बनाने पर रु0 2/- प्रतिवर्गफुट । व- नोटिस देने के पश्चात् भी निर्माण के चलाते रहने पर रेट दूना होगा । जबकि कम्पोजीशन फीस कम से कम रु0 50/- लेने की योजना स्कीम एनक्रोचमेन्ट फार महापालिका भूमि पर प्रोजेक्शन साधारणतया कम्पाउण्ड नहीं की जायगी । ब- खुले क्षेत्र में विकास होने तथा अनधिकृत कालोनियों में विकास को कम्पाउण्ड न किया जाय । उपरोक्त सुविधा महापालिका भूमि पर अनधिकृत विकास सरकारी भूमि तथा कच्ची कालोनियों में जिनकी नोटिस दी जा चुकी है नहीं लागू होगी

क्रमशः - - - -

1	2	3	4
8- प्लान जमा न किये बिना बनाये हार में रूम की चौड़ाई से कम होने पर रू0 20/- प्रति वर्ग फुट जितने से उक्त कम से कम है लेकिन जमा करने के बाद किये गये विकास पर आधा तथा 500/- रू0 रिमाइण्ड करने पर आधा प्लस 300/- सब लीगल कार्यवाही करने पर एक-चौथाई ।	9- वाइलाज के विरुद्ध होने पर रू0 1.50 प्रतिवर्गफुट तथा कम से कम रू0 300/- नोट कार्यवाही उपयोग में दोगुनी देहाती क्षेत्र में आधी । 10- यदि प्लान नियमानुसार है लेकिन बिना प्लान जमा किये गये विकास पर पूरे क्षेत्रफल पर 0.40 की दर से लेकिन यदि विकास प्लान जमा करने के बाद किया गया हो तो पूरे क्षेत्रफल को 0.20 की दर से नोट- आईटम नं0 9 के अनुसार । 11- स्वीकृत मानचित्र से विपरीत विकास यदि किसी भी दृष्टि से आपत्ति न हो तथा हर एक मंजिल पर खुली जगह स्वीकृत प्लान से कम न हो तो कोई कम्पाउण्डिंग नहीं ली जायगी । 12- केवल कवर्ड क्षेत्रफल बढ़ने पर उसे अलग चार्ज करना है । अन्यथा और किसी केस में चार्ज नहीं करना है । नोट-कार्यवाही उपयोग में दो-गुनी तथा देहाती क्षेत्र में आधी । 13- साइड सेट-बैक 10फुट से कम होने पर गैराज की स्वीकृति नहीं दी जायगी 14- गैराज की प्लिंथ एरिया 200 वर्गफुट तक होगी तथा गैराज के ऊपर क्वार्टर्स बनाये जा सकते हैं जिनकी ऊँचाई ग्राउण्ड लेवेल से 20फुट से ज्यादा न होगी । प्लान में कोई खिड़की दूसरी की प्रापर्टी में न खोलें इसे ध्यान दिया जाय । 15- सड़क तथा गली के लिये छोड़े गये सेट बैक में किया गया अनधिकृत निर्माण रू0 5/- प्रतिवर्ग फुट तथा कम से कम 500/- पर कम्पाउण्ड कर दिया जाय	9- कोई निर्देश नहीं है । 10- प्लान नियमानुसार है लेकिन प्लान जमा किये बिना विकास करने पर पूरे क्षेत्रफल को 0.40 के रेट से कम्पाउण्ड किया जायगा । लेकिन यदि विकास प्लान जमा करने के पश्चात् किया है तो पूरे विकास को 0.20 प्रतिवर्गफुट की दर से कम्पाउण्ड किया जायगा । 11- कोई निर्देश नहीं है । 12- कोई निर्देश नहीं है । 13- साइड-सेट-बैक दस फुट से कम होने पर गैराज की स्वीकृति नहीं दी जायगी 14- गैराज का प्लिंथ एरिया 200 वर्गफुट होगा तथा गैराज पर क्वार्टर्स बनाये जा सकते है और ग्राउण्ड से ऊँचाई 20 फुट रखी जा सकती है प्लान स्वीकृत करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि खिड़की दूसरे की तरफ न खोलें । 15- कोई 16- निर्देश 17- नहीं 18- है । 19-
11- ऐसे विकास जो स्वीकृत प्लान से भिन्न हुये हों तो उन्हें बिना सैंप्लाई किया गया प्लान माना जाय । 12- हर एक प्रकार के अनधिकृत विकास का शुल्क अलग अलग लिया जायगा । 13- शमनशुल्क से संबंधित नहीं है । 14- शमन शुल्क से संबंधित नहीं है । 15- 16- कोई 17- निर्देश 18- नहीं 19- है ।			

1	2	3	4

16- ऐसे अनधिकृत आँगन की लम्बाई चौड़ाई बाइलाज डायरेक्शन तथा स्टैण्डर्ड डिजायन कम हो गई हो अथवा कुल खाली जगह नियमों के विपरीत हो तो रु० 3/- प्रति वर्गफुट परन्तु कम से कम रु० 300/-

17- अनधिकृत विभाजन बाइलाज डायरेक्शन तथा प्लाट के विपरीत न हो लेकिन प्लान जमा करने से पूर्व भूमि का 7 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु० 100/- तथा अधिक से अधिक रु० 1000/- शमन शुल्क लिया जायगा तथा जो प्लान जमा करने के पश्चात हो तो दर आधी लेकिन ऐसे परिवर्तन जो मानचित्र के विपरीत हो लागू न लेकिन बाइलाज के आधार पर हो तो बिना शुल्क लिये

18- ऐसे अनधिकृत विभाजन जो प्लाट बाइलाज तथा डायरेक्शन के विपरीत हो तथा स्वीकृत नही किये जा सकते है भूमि के मूल्य का 15 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु० 300/- शुल्क देने पर कम्पाउण्ड किया जा सकता है ।

19- नाली तथा यदि दीवार बनी हो तो ऐसे रनिंग फुट पर शमन शुल्क लिया जायगा ।

हस्ता/- ओम प्रकाश
नगर अभियन्ता (विभाजन)

मद सं० 30

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय:- १०० शैय्या का ई०एस०आई० अस्पताल लखनऊ कानपुर रोड पर बनाने हेतु ।

सराय:- वरिष्ठ, वास्तुविद्, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने १०० शैय्या का ई०एस० आई० अस्पताल लखनऊ कानपुर रोड पर बनाने का प्रस्ताव किया है । चूंकि यह क्षेत्र लखनऊ महायोजना में आवासीय है । अतः वहां अस्पताल बनाने की स्वीकृत विकास प्राधिकरण की बैठक द्वारा दी जा सकती है । जिसके सन्दर्भ में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने भी अपना विचार प्रकट किये है । उक्त क्षेत्र लखनऊ से कानपुर को जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है जिसके निकट फैक्ट्री एरिया है और इस अस्पताल में केवल फैक्ट्री के कर्मचारी ही लाभान्वित होंगे । अतः प्रश्नगत क्षेत्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र में इस अस्पताल की स्वीकृति प्रदान करने की अनुसंशा की जाती है ।

Om Prakash
नगर अभियन्ता (भवन)

वरिष्ठ नगर नियोजक

सचिव,

उपाध्यक्ष के आदेश :- उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

ग्रा स 31

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय:- के0पी0ट्रस्ट इलाहाबाद द्वारा लाट्रश रोड (तत्व खण्ड सी), लखनऊ पर दुकान (शापिंग काम्पलेक्स) के प्रस्तावित निर्माण हेतु मानचित्र, जो लखनऊ मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र है, को व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित कराने हेतु।

सारांश:- अध्यक्ष, के0पी0 ट्रस्ट इलाहाबाद ने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित दुकान के निर्माण हेतु प्लाट नं0 ७८ लाट्रश रोड लखनऊ जो मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र है, को आवासीय से व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित कर दिया जाय।
उक्त क्षेत्र इलाहाबाद ट्रस्ट के पुराने मार्केटिंग सन्टर को मिलाता है तथा उस क्षेत्र में सेत प्रतिशत दुकानें बनी है एवं बिल्कुल खुला वातावरण है इस क्षेत्र में क्षतिपूर्ति से व्यापारिक विकास भी हो गया है। अतः यह अनुभव की जाती है कि इस क्षेत्र के उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जाय।
उपरोक्त क्षेत्र चारबाग रेलवे स्टेशन से कैसरबाग एवं हलीमाबाद को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है जो लखनऊ नगर के सबसे प्राचीन एवं प्रमुख मार्ग है। इस क्षेत्र में दुकानों के प्रस्तावित निर्माण हेतु यदि इस उपयोग में परिवर्तन किया गया तो नगर के मध्य क्षेत्र में सुनियोजित रूप से मार्केटिंग सन्टर के निर्माण भी किया जा सकता है, जिसके नगर के सौन्दर्यकरण एवं स्वच्छता के विकास के साथ ही प्रस्तावित स्थल पर नियोजित निर्माण भी स्वतः सुस्पष्ट हो जायेगा साथ ही साथ मुख्य मार्ग के निकट स्थित आवासीय क्षेत्रों को व्यापारिक में परिवर्तित होने के लिये हतोत्साहित किया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त क्षेत्र में शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण की मांग से नागरिकों को सुविधा बढ़ जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित स्थल के निकट ही वर्तमान लाट0टी0ए0 की फिर भूमि पर विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा भी शापिंग काम्पलेक्स का प्रस्तावित निर्माण विचाराधीन है। इसी स्थिति में उक्त निर्माण को दृष्टिगत रखते हुये उपयोग में परिवर्तन ~~कलेक्ट्रेट~~ कराने की अनुशंसा की जाती है।

Om Prakash
नगर अभियन्ता (भवन)

वरिष्ठ नगर नियोजक,

सचिव,

उपाध्यक्ष के उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ आदेश: प्रस्तुत किया जाये।

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक, जो दिनांक 10.10.1977 को पूर्वान्ह 11-00 बजे आयुक्त, लखानऊ मण्डल, लखानऊ के कार्यालय में हुई का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:

1-	श्री वीरेन्द्र देव दास -	आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण लखानऊ ।
2-	श्री नरेन्द्र बिहारी लाल -	उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ ।
3-	श्री वी० जे० खोदायजी -	आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ ।
4-	श्री जयन्ती प्रसाद दुबे -	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग, लखानऊ ।
5-	" राम मणि पाण्डेय -	उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ ।
6-	श्री योगेन्द्र नारायण -	जिलाधिकारी, लखानऊ ।
7-	श्री जे० के० तनेजा -	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ०प्र० जल निगम, लखानऊ ।
8-	श्री बाबू राम -	सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण लखानऊ ।

अन्य उपस्थित :

1-	श्री पी० एन० बाजपेयी -	अतिरिक्त सचिव, ल० वि० प्रा०
2-	श्री श्रीनाथ प्रसाद अग्रवाल-	मुख्य अभियन्ता, ल०वि० प्रा०
3-	श्री के० पी० सिंह -	वरिष्ठ नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०
4-	श्री के० बी० सक्सेना -	मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०

= x = x = x = x

विशेष प्रस्ताव : प्राधिकरण अपने मुख्य अभियन्ता, श्री सत्य प्रकाश गुप्त, के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करता है । प्राधिकरण स्वर्गीय श्री गुप्त की सेवाओं के प्रति आभार भी प्रकट करते हुये उनकी सराहना अभिव्यक्त करते हैं तथा उनके शोक-सन्तप्त परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकटकरते हैं ।

विषय संख्या-1 : गत बैठक दिनांक जुलाई 8, 1977 के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण ।

1:1 गत बैठक दिनांक जुलाई 8, 1977 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

विषय संख्या-1:ए सामान्य विचार-विमर्श के निर्णय और निर्देश :-

1.ए.1: मिटिंग का नोटिस तथा एजेण्डा पर टिप्पणियां 15 दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जायें, ताकि उनको अध्ययन का समय मिल सके ।

1.ए.2: चूंकि एक मिटिंग के लिये विचार-विमर्श की सामग्री अत्याधिक हो जाती है, अतएव 6 सप्ताह में एक मिटिंग अवश्य हो जाना चाहिये ।

क्रमशः-----2

1.ए.-3एजेण्डा या टिप्पणियाँ अधिक सुस्पष्ट तथा सभी दृष्टिकोण से पूर्ण होनी चाहिये । इस संबंध में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की टिप्पणियाँ अनुकरणीय हैं ।

1.ए.4 चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये विधि-अधिकारी की नियुक्ति हेतु शासन के न्याय विभाग के किसी अधिकारी के न मिलने की सूचना प्राप्त हो गयी है, अतएव यह निर्णय लिया गया कि इस पद को जिला जज से अधिवक्ताओं का एक पैनल मांग कर चयन किया जाय । उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है कि इस पद के लिये आवश्यक अर्हतायें, योग्यतायें व अनुभव विधि परामर्शी से विचार-विमर्श करके नियुक्ति की कार्यवाही करें ।

§ कार्यवाही: उपाध्यक्ष/सचिव §

विषय संख्या-2: पूर्व मिटिंग की कार्यान्वयन आख्या ।

2.1: प्राधिकरण के निर्णयों की कार्यान्वयन प्रगति की टिप्पणी में संक्षिप्त विवरण पूर्व निर्णय का दिये जाने से वह अधिक उपयोगी, होगी, अतएव ऐसा किया जाये । इस टिप्पणी में पूर्व निर्णय को संक्षिप्त संदर्भ भी होना चाहिये ।

§ कार्यवाही: सचिव §

2.2: चूंकि भूल बजट 1977-78 जुलाई में ही पास हुआ था अतएव पुनरीक्षित बजट अनुमान दिसम्बर की मिटिंग में रखा जाय ।

§ कार्यवाही: मुख्य लेखाधिकारी §

2.3: लखनऊ मास्टर प्लान की वैधता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विकास प्राधिकरण को राय निदेशक स्थानीय निकाय से प्राप्त कर आगे कार्यवाही की जाये ।

§ कार्यवाही: सचिव, ल0वि0प्रा0 §

विषय संख्या-3: विकास प्राधिकरण के लिये स्टीयरिंग कमेटी का गठन ।

3.1: यह अनुभव किया कि प्रस्तावित स्टीयरिंग कमेटी के गठन की स्वीकृति लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेना आवश्यक नहीं है अतः इस विषय पर किसी निर्णय का प्रश्न नहीं उठता ।

विषय संख्या-4: भूखण्ड/भवन अथवा प्राधिकरण की चल/अचल सम्पत्तियों के निस्तारण निर्धारित अवधि में नीलामी की उच्चतम बोली बोलने वाले पूर्ण धन का भुगतान न किये जाने अथवा रजिस्ट्री न किये जाने की दशा में प्रक्रिया ।

4.1: उच्चतम बोली बोलने वाले के द्वारा बोली का एक चौथाई धन तुरन्त जमा हो जाने के पश्चात जो एक मास का समय तीन चौथाई धन जमा करने को वर्तमान समय प्राधिकरण में प्रचलित है उसे बढ़ा कर अधिकतम दो मास किया जाय । इसी प्रकार पूर्ण धन जमा करने अथवा आवन्टन-पत्र पाने के पश्चात पट्टे की रजिस्ट्री आवन्टी द्वारा करने का समय भी अधिकतम दो मास किया जाय ।

उपरोक्त दो माह की अवधि उच्चतम बोली बोलने वालों द्वारा शेष धन व रजिस्ट्री कराने की अवधि दो मास तक, उपाध्यक्ष की स्वीकृति पर बढ़ाई जा सकती है ।

क्रमशः-----3

4.2 [illegible] अवधि [illegible]

अथवा आवन्टन पत्र पाने की अवधि में आवन्टी द्वारा रजिस्ट्री

4.2.: उपरोक्त अधिकतम अवधि में यदि उच्चतम बोली या तीन-चौथाई धन न जमा किया जाय अथवा प्रीमियम का सम्पूर्ण धन जमा करने अथवा आवण्टन पत्र पाने की अवधि में आवन्टी द्वारा रजिस्ट्री न कराई जाय तो उपाध्यक्ष द्वारा आवन्टी को नोटिस देकर आवण्टी की सुनवाई के उपरान्त सम्पूर्ण धन (सह प्रीमियम के) को अपने विवेक से ज़ब्त करने अथवा मामले में क्षतिपूर्ति लेने के बाद मामले में अन्तिम निर्णय ले लेने का अधिकार होगा ।

4.2: नीलाम की शर्तों का नीलाम की उच्चतम बोली की स्वीकृति, आवण्टी को जारी किया जाने वाले स्वीकृति-पत्र का आवण्टन पत्र का धन जमा करने, निबन्धन की मांग करने तथा डिफाल्ट की स्थिति में जारी किये जाने वाले नोटिस के प्रारूप विधि परामर्शी द्वारा अनुमोदित करा लिया जाय ताकि किसी भी समय सम्भावित विधिक एवं विधिक-अवरोधों से लखनऊ विकास प्राधिकरण के हितों की सुरक्षा विधिक दृष्टि से की जा सके ।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष/सचिव)

विषय संख्या-5: भूखण्डों की हस्तान्तरण द्वारा प्राधिकरण द्वारा शुल्क लिया जाना, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.2.77 की कार्यवाही के निर्णय का स्पष्टीकरण ।

5,1: इस विषय पर आगामी मीटिंग में एक अधिक विस्तृत और स्पष्ट टिप्पणी प्रस्तुत की जाय जिसमें गत मीटिंग में लिये गये निर्णयों का स्पष्ट उल्लेख हो ।

(कार्यवाही: अतिरिक्त सचिव)

विषय संख्या-6: निराला शिक्षा सेवा संस्थान को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड दिया जाना ।

6.1: प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.7.75 के प्रस्तर संख्या-7 के अनुसार दातव्य संस्थाओं को भूखण्डों के प्रीमियम में जो 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया है उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट जानने की आवश्यकता समझी गई कि दातव्य संस्थाओं की परिभाषा में कौन कौन सी संस्थायें आ सकती हैं? निर्णय लिया गया कि इस प्रयोजनार्थ दातव्य संस्थायें वे ही मानी जायें जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर विभाग द्वारा आय-कर से छूट देने के लिये दातव्य संस्थायें मानी गयी हैं । तदनुसार दातव्य संस्थाओं हेतु माप दण्ड (Critaria) बनाया जाय और अगली बैठक में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

6.2: निराला शिक्षा सेवा संस्थान से पूछा जाय कि वे अपनी संस्था के (क) प्राप्तियां व देयक बतायें ताकि यह निश्चित हो सकेकि उनकी क्षमता प्रस्तावित कार्य की है अथवा नहीं?

(ख) कि वे किन आधारों पर अपने को दातव्य संस्था होने का दावा करते हैं?.

(कार्यवाही-अतिरिक्त सचिव)

क्रमशः:-------4

विषय संख्या-7: आई0 टी0 कालेज में निर्मित दुकान संख्या 2 व 22 का आवन्टन ।

7.1: विषय से सम्बन्धित आख्या व विभागीय अनुशंसा को स्वीकार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती पुष्पा शाही को रू0 10,000/- प्रीमियम लेकर दुकान संख्या 2 का आवंटन निरस्त कर दुकान संख्या 22 का आवंटन कर दिया जाय ।

7.2: निराला नगर में आई0 टी0 कालेज के निकट, महानगर तथा अलीगंज में स्थित व्यवसायिक केन्द्र में वे दुकानें जो अभी तक नहीं उठ पाई हैं उनमें न्यूनतम पूर्व निर्धारित प्रीमियम, यदि कोई आवण्टी चाहे तो इस शर्त पर भी किया जा सकता है कि प्रीमियम का 40 प्रतिशत तुरन्त तथा 20 प्रतिशत छमाही किस्तों में लिया जा सकता है बशर्ते कि आवन्टी प्रचलित बैंक की ऋण दरों से एक प्रतिशत अधिक ऋण बकाया धनराशियों, पर देने को तैयार होगा कि यदि किसी किस्त के देने में व्यवधान होगा तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वे आवन्टन को रद्द कर पूर्व जमा की गयी धनराशि को सम्पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि को आवश्यक रूप से उपाध्यक्ष के विवेकानुसार ज़ब्त कर सकें ।

7.3: यह उचित होगा कि भविष्य में योजनायें बनाते समय उनके सम्भावित मूल्यों को आगणन वास्तविकताओं के अधिक ठोस आधार पर किया जाय । यह भी इच्छा व्यक्त की गयी कि योजना के कार्यान्वयन से पूर्व यथा-सम्भव रजिस्ट्रेशन द्वारा प्रत्याशी मांग सर्वेक्षण करा लिया जाय ।

कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता / वरिष्ठ नगर नियोजक

विषय संख्या-8: नगर महापालिका अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवण्टित भूखण्डों की रजिस्ट्री से पूर्व आवन्टी के नाम परिवर्तन की अनुमति देना ।

8.1: निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रचलित नीति को ध्यान में रखते हुये आवन्टन के बाद आवण्टियों के केवल पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री के नाम जोड़ने अथवा उनके नाम परिवर्तन करने की अनुमति शपथ पत्र लेकर रजिस्ट्री किये जाने की अनुमति दी जा सकती है ।

कार्यवाही: सचिव/अति0सचिव

विषय संख्या-9: प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को भूमि/भवन क्रय अथवा भवन निर्माण अथवा वाहन क्रय हेतु प्राधिकरण निधि से अग्रिम धन की स्वीकृति ।

9.1: यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को चाहे वह किसी भी स्रोत से आये हों उसी प्रकार भूमि/भवन क्रय अथवा भवन निर्माण अथवा वाहन क्रय हेतु प्राधिकरण निधि से उसी प्रकार अग्रिम दिये जायें, जिस प्रकार लखनऊ नगर महापालिका में कर्मचारियों/ अधिकारियों को दिये जा रहे हैं । बशर्ते कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों को अभी तक

क्रमशः---------5

मूलरूप से लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारियों/अधिकारी अग्रिम देने से पूर्व महापालिका/विकास प्राधिकरण में कार्यरत दो अस्थाई कर्मचारियों/ अधिकारियों की जमानत देना अनिवार्य होगा । इसी आधार पर उपाध्यक्ष प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित करेंगे ।

§ कार्यवाही-सचिव/ मुख्यलेखाधि0§

विषय संख्या-10: लालबाग गर्ल्स कालेज के प्रांगण में बी0 एन0 वर्मा रोड स्थित 16,000 ' वर्गफुट भूमि को कालेज के उपयोग की परिधि से निकाल कर दुकान/कार्यालय हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रार्थना ।

10.1: निर्णय लिया गया कि कन्याओं के शिक्षा संस्थाओं के समीप व्यावसायिक केन्द्र को बनाया जाना लोक हित में नहीं होगा । इस लिये भू-उपयोग के इस परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना उचित नहीं है ।

विषय संख्या-11: बनारसी बाग के पश्च सिविल अस्पताल के पीछे भूखण्ड पर 400 शैया युक्त चिकित्सालय बनाने हेतु निदेशक स्वास्थ्य विभाग के लखनऊ महायोजना में उक्त भूखण्ड को क्रियेशनल फैसलिटी से कम्युनिटी फैसलिटी प्रयोग में बदलने का अनुरोध ।

11.1: प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण निदेशक के पत्र में भूमि के आकार व क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है व वांछित भूमि का स्पष्ट विवरण नहीं है अतः स्वास्थ्य विभाग से उपरोक्तः-

§1§ भूखण्ड का विस्तृत विवरण, योजना चित्र प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया जाय ।

§2§ जिस विभाग की वह भूमि है व जिसके कब्जे में है उन विभागों की सहमति को उपरोक्त प्रयोग के लिये प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाय ।

तत्पश्चात उपरोक्त सूचनाओं को प्राधिकरण की अगली बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

§ कार्यवाही: वरिष्ठ नगर नियो0

विषय संख्या-12: अल्प आय वर्ग हेतु पाण्डेय. का तालाब योजना में 60 दो कमरे वाले भवनों को दिनांक 22.4.77 को आमंत्रित निविदाओं पर विचार ।

12.1: चूंकि यह योजना "हडको" से स्वीकृत है अतएव इसको जारी रखा जाय किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक इकाई भवन को मूल्य "हडको" द्वारा निर्धारित रू0 18,000/- की सीमा के अन्दर ही रखने का प्रयास किया जाये । इस हेतु यह आवश्यक है कि विस्तृत आगणन पुनः मूल्य में कमी करने की दृष्टि से मुख्य अभियन्ता द्वारा बनाये जायें ।

§ कार्यवाही:- मुख्य अभियन्ता §

क्रमशः----6

विषय संख्या–13: अभियन्त्रण विभाग के कर्मचारी स्व0 बब्बू चपरासी को पारिवारिक सेवाकाल में कमी को कण्डोन किया जाना ।

13.1: यह महसूस किया गया कि इस प्रकार छूट देने से ऐसा उदाहरण/ दृष्टान्त हो जायगा जिससे भविष्य में अन्य मामलों में भी छूट देनी पड़ सकती है। ऐसी दशा में प्रस्ताव अमान्य किया जाता है।

विषय संख्या–14: बशीरत गंज सामान्य एवं गृह योजना के अन्तर्गत ऐशबाग रोड में कुछ कारखानों आदि से उनके द्वारा अधिगृहीत भूमि को लेकर ऐशबाग रोड पर अन्य भूमि का दिया जाना।

14.1: निर्णय किया गया कि उपाध्यक्ष इस विषय में पक्षों को सुनकर विधि परामर्शी की राय को दृष्टि में रखते हुए विशिष्ट संस्तुति व प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

{कार्यवाही– उपाध्यक्ष}

विषय संख्या–15: पेपरमिल योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्गीय भवन बनाकर जनता को लीज–होल्ड आधार पर उपलब्धकराना ।

15.1: चूँकि यह योजना स्वीकार एवं प्रकाशित की जा चुकी है अतः इनमें इसका ध्यान रखा जाय कि भवन इकाइयों का मूल्य निकालते समय कार्य योजना के प्रारम्भ से व कार्य की समाप्ति अवधि में जो वृद्धि होगी वह भी सम्मिलित की जाये।

15.2: भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं के लिये यह अधिक उचित होगा कि भवन एक मन्जिल से अधिक के बनाये जायें।

ऐसा करने से इकाई भवनों के मूल्य में कमी होगी और जनता में माँग भी बढ़ेगी।

{कार्यवाही– वरिष्ठ नगर नियोजक/

मुख्य अभियन्ता}

विषय संख्या–16: लखनऊ नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों की मरम्मत तथा रंग–रोगन के कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में ।

16.1: हाई पावर्ड कमेटी द्वारा यह निर्णय हो चुका है कि इस कार्य को आगे स्थगित रखा जाय। प्राधिकरण अवगत हुआ कि 12.76 लाख रूपये डिमाण्ड के विरुद्ध अब तक के 5.5 लाख रूपये ही प्राप्त हुये हैं। प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य का अनुमानित व्यय रू0 8.5 लाख है। प्राधिकरण यह महसूस करता है कि कार्य करने वाले ठेकेदारों को बकाया धनराशि के भुगतान की आवश्यकता है।

क्रमशः 7

16.2: प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह भुगतान एक साथ नहीं किया जा सकता है। अतएव भुगतान स्टैगर्ड (Staggered) रूप में किया जाय।

16.3: भुगतान के लिये शासन को लिखाजाय कि वे कृपया स्पष्ट करें कि प्राधिकरण यह भुगतान अपनी किस निधि से निकाल कर नियमानुसार दूसरे निधि में स्थान्तरित करके किस प्रकार कर सकता है.?

16.4: अधिभोगियों से धनराशि की प्राप्ति सूचना विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी)

विषय संख्या-17: नक्खास योजना के पुराने विस्थापितों की भाँति अन्य पुराने विस्थापितों को बिना प्रीमियम लिये दुकानो के आवण्टन के सम्बंध में।

17.1: इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष छानबीन करायें कि वर्तमान उपरोक्त 15 विस्थापितों नेअब तक अपना क्लेम( ) बिना प्रीमियम लिये दुकानों का आवण्टन करने हेतु क्यों नहीं किया था तथा यह भी जाँच लिया जाय कि यह विस्थापिती क्या उसी समय के हैं जिस समय के विस्थापितों को दुकान आवण्टन बिना प्रीमियम लिये किया गया है। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आख्या आगामी विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष/सचिव)

विषय संख्या-18: प्लानिंग विंग में आर्चीटिक्ट -कम-प्लानर पद पर कार्य कर रहें वरिष्ठ नगर नियोजक के पद-नाम "वरिष्ठ-नियोजक" रखे जाने के सम्बन्ध में।

18.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि तथ्य अस्पष्ट है अतएव सम्बन्धित तथ्य विकास प्राधिकरण के समक्ष अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत रूप में रखे जाने आवश्यक है। अतएव विषय पर निर्णय स्थिगित रखा जाय और आगामी बैठक मे विस्तृत एवं सुस्पष्ट आख्या विचारार्थ प्रस्तुत की जाय जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्राधिकरण की ओर से क्या कोई पत्र वरिष्ठ नगर नियोजक के लिये शासन को भेजा गया था ? यदि हाँ, तो इसकी प्रति भी आख्या के साथ संलग्न की जाय।

(कार्यवाही-सचिव)

विषय संख्या-19: अलीगंज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भवनों की किस्तों की वसूली के सम्बन्ध में।

क्रमशः .....8..

19.1: इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पहले यह बताया जाय कि ऐसे कितने भवन है जिनका आवण्टन तो किया गया था किन्तु पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे, जिनका पूरा पैसा नहीं लिया गया है और कितने ऐसे मामले है जिनका पूरा धन जमा करा लिया गया है परन्तु भवन पूर्ण नहीं है? और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें भवनों का आवंटन तो हो चुका है परन्तु धन किश्तों में वसूला जा रहा है। सभी मामलों का कैटगरी-वाइज़ विभक्त करके स्पष्ट संस्तुति के साथ आगामी बैठक में निर्णय के लिये रखा जाय।

{कार्यवाही - सचिव/मुख्य अभियन्ता}

19.2: यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भवनों का आवण्टन तभी किया जाय जबकि वे पूर्ण रूप सेनिर्मित हो जायें।

{कार्यवाही -सचिव/मुख्य अभियन्ता}

विषय संख्या-20: महानगर गृह योजना के अन्तर्गत भारत स्काउट एण्ड गाइड को हाई-पावर कमेटी द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में ।

20.1: यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विस्तृत आख्या तैयार करके एवं विधि परामर्शी से परामर्श समस्त प्रकरणों पर प्राप्त किया जाय कि संस्था ने जो अतिक्रमण किया है उस/किया विधिक कार्यवाही संस्था के विरुद्ध की जा सकती है? इसके बाद एक विस्तृत आख्या प्राधिकरण के निर्णय के लिये आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

{कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता/सचिव}

विषय संख्या-21: अनगारण्टीड डिवेन्चर्स के लिये शोधन निधि के सम्बन्ध में ।

21.1: प्राधिकरण की गत् बैठक की कार्यवाही के अनुसार कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया।

विषय संख्या-22: उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक के सृजित पद के वेतनमान रू0425-900 से घटा कर वेतनमान रू0 320-620 करना तथा इसी वेतनमान में सचिव के वैयक्तिक सहायक के पद के सृजन के सम्बन्ध में।

22.1: यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर अधिक सुस्पष्ट आख्या विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

{कार्यवाही-सचिव}

विषय संख्या-23: नहरू नगर, अम्बेदकर नगर तथा इन्द्रापुरी आदि बस्तियों को 600 वर्गफुट क्षेत्रफल पर भवनचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

23.1: यह निर्णय लिया गया कि:-

1- इस क्षेत्रफल का फिजिकल सर्वे किया जाय।

2- जो भवन स्थल पर निर्मित हैं उनमें से कितनो नेआर0 वी0 ओ0 ऐक्ट का उल्लंघन किया है इनकी विस्तृत लिस्ट बनाई जाय।

क्रमशः.....9....

5- मुख्य नगर एवं ग्राम [illegible] परामर्श में इस सम्बन्ध में एक संस्तुति प्रस्तुत की जाय कि भूखण्ड में निर्मित भवनों को या भविष्य में होने वाले निर्माण को किस प्रकार से नियमित किया जाय। तत्पश्चात् यह विषय स्पष्ट आख्या सहित विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता)

विषय संख्या- 24: अलीगंज योजना में किराया-क्रय के आधार पर आवंटित भुखण्डों भवनों की किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में।

24.1: चूँकि इस विषय पर मद संख्या 19 में निर्णय हो चुका है अतएव अब इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

विषय संख्या-25: अलीगंज योजना में पत्रकारों को आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में।

25.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि अब तक भूखण्डों का पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक नियमानुसार उस आवंटी के नाम निबन्धन नहीं किया जा सकता है, अतएव शासन से पुनः अनुरोध किया जाय। कि माननीय मंत्री जी द्वारा पारित आदेशों का पुनरावलोकन कर लिया जाय और आवश्यक निर्देश प्राप्त कराया जाय।

(कार्यवाही- अतिरिक्त सचिव)

विषय संख्या-26: अलीगंज योजना के 26 भू-स्वामियों को एक्स-ग्रेशिया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

26.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि यह स्थिति शासन के आदेशों के कारण ही उत्पन्न ही हुई है और एक्स -ग्रेशिया का भुगतान जिनकी धनराशि रू0 17,73,455-80 पै0 का है, जिसका भार यदि प्राधिकरण उठाता है तो यह उसको शत-प्रतिशत हानि होगी। अतएव शासन से अनुरोध किया जाय कि शासन उक्त एक्स-ग्रेशिया के भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये ताकि इस हेतु धनराशि को किसानों को एक्स-ग्रेशिया के रूप में दिया जा सके।

(कार्यवाही- सचिव/ मुख्य लेखाधिकारी)

विषय संख्या-27: मोहल्ला लालकुआँ स्थित हाता रसूल खाँ क्षेत्र जिसमें लगभग 3 बीघा 12 बिस्वाँ भूमि सम्मिलित है, नगर महापालिका द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में।

27.1: मोहल्ला लाल कुआँ स्थित हाता रसूल खाँ योजना के विकास प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

क्रमशः ..... 10..

विषय संख्या -28: मोहल्ला गनेशगंज लखनऊ स्थित अहाता भातादीन क्षेत्र आवासीय योजना को निर्मित करनेके सम्बन्ध में ।

28.1: इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि :-
1- योजना की सम्भावित भू-दर तय करके पुनः तैयार की जाय।
2- यह भी देख लिया जाय कि क्या योजना आर्थिक रूप से वाइए-बुल (Viable) है?
3- इस योजना में बहुमंजिले आवासीय भवन बनाने के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जाय।

(कार्यवाही -मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर-नियोजक)

विषय संख्या- 29: लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित शमन-शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

29.1: यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में दो-सदस्यीय एक समिति बनाई जाय जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 सदस्य होंगें और प्रस्तावों पर अन्य प्राधिकरणों के द्वारा अपनाये गये शमन-शुल्कों को अध्ययन कर प्रस्तावित शमनशुल्कों की दरों को अन्तिम रूप देंगें जो प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष)

विषय संख्या- 30: 100 शैयाओं का ई0एस0आई0 अस्पताल लखनऊ -कानपुर रोड पर बनाने हेतु ।

30.1: यह निर्णय लिया गया कि उस क्षेत्र की परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये अस्पताल के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाय।

(कार्यवाही - वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय संख्या -31: के0पी0 ट्रस्ट इलाहाबाद द्वारा लाटूश रोड (गौतम बुद्ध मार्ग) लेखनऊ पर दुकान के प्रस्तावित निर्माण हेतु मानचित्र जो मास्टर-प्लान के अर्न्तगत आवासीय क्षेत्र हैको व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित करने हेतु।

31.1: यह निर्णय लिया गया कि लाटूश रोड पर सम्पूर्ण क्षेत्र का भू-उपयोग महायोजना के अनुरूप रखते हुये केवल इस योजना के कार्यान्वयन की अनुशंसा शासन को अनुमतिदेने के लिये की जाय।

(कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक)

क्रमशः 11

विषय संख्या -32: आर0टी0ओ0 के प्रांगण में प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक केन्द्र बनाये जाने के लिये भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

32.1: यह निर्णय लिया गया कि इस व्यवसायिक केन्द्र के लिये भी महायोजना में भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक उपयोग किये जाने के लिये शासन को संस्तुति की जाय। यह संस्तुति केवल इस व्यवसायिक केन्द्र के लिये ही होगी न कि सारे आस-पास के क्षेत्र के लिये।

(कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक)

-:- अन्य तथा अतिरिक्त विषय अगलीबैठक के लिये स्थगित किये गये।

ह0/ वीरेन्द्र देव व्यास

(वीरेन्द्र देव व्यास)
अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
मण्डलायुक्त, लखनऊ ।

-: - : -

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक, जो दिनांक 10.10.1977 को पूर्वाह्न 11-00 बजे आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में हुई

का कार्यवृत्त 1

उपस्थित:

1-	श्री वीरेन्द्र देव दास -	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।
2-	श्री नरेन्द्र विहारी लाल -	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
3-	श्री वी० जे० खोदायजी -	आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4-	श्री जगन्ती प्रसाद दुबे -	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग, लखनऊ ।
5-	" राम मणि पाण्डेय -	उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
6-	श्री योगेन्द्र नारायण -	जिलाधिकारी, लखनऊ ।
7-	श्री जे० के० तनेजा -	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
8-	श्री बाबू राम -	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।

अन्य उपस्थित :

1-	श्री पी० एन० बाजपेयी -	अतिरिक्त सचिव, ल० वि० प्रा०
2-	श्री श्रीनाथ प्रसाद अग्रवाल-	मुख्य अभियन्ता, ल०वि० प्रा०
3-	श्री के० पी० सिंह -	वरिष्ठ नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०
4-	श्री के० बी० सक्सेना -	मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०

= x = x = x = x

विशेष प्रस्ताव : प्राधिकरण अपने मुख्य अभियन्ता, श्री सत्य प्रकाश गुप्त, के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करता है । प्राधिकरण स्वर्गीय श्री गुप्त की सेवाओं के प्रति आभार भी प्रकट करते हुये उनको सराहना अभिव्यक्त करते हैं तथा उनके शोक-सन्तप्त परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकटकरते हैं ।

विषय संख्या-1: गत बैठक दिनांक जुलाई 8, 1977 के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण ।

1:1 गत बैठक दिनांक जुलाई 8, 1977 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

विषय संख्या-1:ए सामान्य विचार-विमर्श के निर्णय और निर्देश :-

1.ए.1: मिटिंग का नोटिस तथा एजेण्डा पर टिप्पणियां 15 दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जायें, ताकि उनको अध्ययन का समय मिल सके ।

1.ए.2: चूंकि एक मिटिंग के लिये विचार-विमर्श की सामग्री अत्यधिक हो जाती है, अतएव 6 सप्ताह में एक मिटिंग अवश्य हो जाना चाहिये ।

क्रमशः:-----2

1.ए.-3एजेण्डा या टिप्पणियाँ अधिक सुस्पष्ट तथा सभी दृष्टिकोण से पूर्ण होनी चाहिये । इस संबंध में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की टिप्पणियाँ अनुकरणीय हैं ।

1.ए.4 चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये विधि-अधिकारी की नियुक्ति हेतु शासन के न्याय विभाग के किसी अधिकारी के न मिलने की सूचना प्राप्त हो गयी है, अतएव यह निर्णय लिया गया कि इस पद को जिला जज से अधिवक्ताओं का एक पैनल मांग कर चयन किया जाय । उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है कि इस पद के लिये आवश्यक अर्हतायें, योग्यतायें व अनुभव विधि परामर्शी से विचार-विमर्श करके नियुक्ति की कार्यवाही करें ।

§ कार्यवाही: उपाध्यक्ष/सचिव §

विषय संख्या-2: पूर्व मिटिंग की कार्यान्वयन आख्या ।

2.1: प्राधिकरण के निर्णयों की कार्यान्वयन प्रगति की टिप्पणी में संक्षिप्त विवरण पूर्व निर्णय का दिये जाने से यह अधिक उपयोगी, होगी, अतएव ऐसा किया जाये । इस टिप्पणी में पूर्व निर्णय को संक्षिप्त संदर्भ भी होना चाहिये ।

§ कार्यवाही: सचिव §

2.2: चूंकि मूल बजट 1977-78 जुलाई में ही पास हुआ था अतएव पुनरीक्षित बजट अनुमान दिसम्बर की मिटिंग में रखा जाय ।

§ कार्यवाही: मुख्य लेखाधिकारी §

2.3: लखनऊ मास्टर प्लान की वैधता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विकास प्राधिकरण की राय निदेशक स्थानीय निकाय से प्राप्त कर आगे कार्यवाही की जाये ।

§ कार्यवाही: सचिव, ल0वि0प्रा0 §

विषय संख्या-3: विकास प्राधिकरण के लिये स्टीयरिंग कमेटी का गठन ।

3.1: यह अनुभव किया कि प्रस्तावित स्टीयरिंग कमेटी के गठन की स्वीकृति लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेना आवश्यक नहीं है अतः इस विषय पर किसी निर्णय का प्रश्न नहीं उठता ।

विषय संख्या-4: भूखण्ड/भवन अथवा प्राधिकरण की चल/अचल सम्पत्तियों के निस्तारण निर्धारित अवधि में नीलामी की उच्चतम बोली बोलने वाले पूर्ण धन का भुगतान न किये जाने अथवा रजिस्ट्री न किये जाने की दशा में प्रक्रिया ।

4.1: उच्चतम बोली बोलने वाले के द्वारा बोली का एक चौथाई धन तुरन्त जमा हो जाने के पश्चात जो एक मास का समय तीन चौथाई धन जमा करने को वर्तमान समय प्राधिकरण में प्रचलित है उसे बढ़ा कर अधिकतम दो मास किया जाय । इसी प्रकार पूर्ण धन जमा करने अथवा आवन्टन-पत्र पाने के पश्चात पट्टे की रजिस्ट्री आवन्टी द्वारा करने का समय भी अधिकतम दो मास किया जाय ।

उपरोक्त दो माह की अवधि उच्चतम बोली बोलने वालों द्वारा शेष धन व रजिस्ट्री कराने की अवधि दो मास तक, उपाध्यक्ष की स्वीकृति पर बढ़ाई जा सकती है ।

क्रमशः----->

4.2 [illegible] अवधि [illegible]

अथवा आवन्टन पत्र पाने की अवधि में आवन्टी द्वारा रजिस्ट्री

4.2.: उपरोक्त अधिकतम अवधि में यदि उच्चतम बोली या तीन-चौथाई धन न जमा किया जाय अथवा प्रीमियम का सम्पूर्ण धन जमा करने अथवा आवण्टन पत्र पाने की अवधि में आवन्टी द्वारा रजिस्ट्री न कराई जाय तो उपाध्यक्ष द्वारा आवन्टी को नोटिस देकर आवण्टी की सुनवाई के उपरान्त समपूर्ण धन (मय प्रीमियम के) को अपने विवेक से ज़ब्त करने अथवा मामले में क्षतिपूर्ति लेने के बाद मामले में अन्तिम निर्ण ले लेने का अधिकार होगा ।

4.2: नीलाम की शर्तों का नीलाम की उच्चतम बोली की स्वीकृति, आवण्टी को जारी किया जाने वाले स्वीकृति-पत्र का आवण्टन पत्र का धन जमा करने, निबन्धन की मांग करने तथा डिफाल्ट की स्थिति में जारी किये जाने वाले नोटिस के प्रारूप विधि परामर्शी द्वारा अनुमोदित करा लिया जाय ताकि किसी भी समय सम्भावित विधिक एवं विधिक-अवरोधों से लखनऊ विकास प्राधिकरण के हितों की सुरक्षा विधिक दृष्टि से की जा सके ।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष/सचिव)

विषय संख्या-5: भूखण्डों की हस्तान्तरण द्वारा प्राधिकरण द्वारा शुल्क लिया जाना, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.2.77 की कार्यवाही के निर्णय का स्पष्टीकरण ।

5,1: इस विषय पर आगामी मीटिंग में एक अधिक विस्तृत और स्पष्ट टिप्पणी प्रस्तुत की जाय जिसमें गत मीटिंग में लिये गये निर्णयों का स्पष्ट उल्लेख हो ।

(कार्यवाही: अतिरिक्त सचिव)

विषय संख्या-6: निराला शिक्षा सेवा संस्थान को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड दिया जाना ।

6.1: प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.7.75 के प्रस्तर संख्या-7 के अनुसार दातव्य संस्थाओं को भूखण्डों के प्रीमियम में जो 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया है उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट जानने की आवश्यकता समझी गई कि दातव्य संस्थाओं की परिभाषा में कौन कौन सी संस्थायें आ सकती हैं? निर्णय लिया गया कि इस प्रयोजनार्थ दातव्य संस्थायें वे ही मानी जायें जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर विभाग द्वारा आय-कर से छूट देने के लिये दातव्य संस्थायें मानी गयी हैं । तदनुसार दातव्य संस्थाओं हेतु माप दण्ड (Critaria) बनाया जाय और अगली बैठक में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

6.2: निराला शिक्षा सेवा संस्थान से पूछा जाय कि वे अपनी संस्था के (क) प्राप्तियां व देनक बतायें ताकि यह निश्चित हो सकेकि उनकी क्षमता प्रस्तावित कार्य की है अथवा नहीं?

(ख) कि वे किन आधारों पर अपने को दातव्य संस्था होने का दावा करते हैं?.

(कार्यवाही-अतिरिक्त सचिव)

क्रमशः--------4

विषय संख्या-7: आई0 टी0 कालेज में निर्मित दुकान संख्या 2 व 22 का आवन्टन ।

7.1: विषय से सम्बन्धित आख्या व विभागीय अनुशंसा को स्वीकार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती पुष्पा शाही को रू0 10,000/- प्रीमियम लेकर दुकान संख्या 2 का आवंटन निरस्त कर दुकान संख्या 22 का आवंटन कर दिया जाय ।

7.2: निराला नगर में आई0 टी0 कालेज के निकट, महानगर तथा अलीगंज में स्थित व्यवसायिक केन्द्र में वे दुकानें जो अभी तक नहीं उठ पाई हैं उनमें न्यूनतम पूर्व निर्धारित प्रीमियम, यदि कोई आवण्टी चाहे तो इस शर्त पर भी किया जा सकता है कि प्रीमियम का 40 प्रतिशत तुरन्त तथा 20 प्रतिशत छमाही किश्तों में लिया जा सकता है बशर्ते कि आवन्टी प्रचलित बैंक की ऋण दरों से एक प्रतिशत अधिक ऋण बकाया धनराशियों, पर देने को तैयार होगा कि यदि किसी किश्त के देने में व्यवधान होगा तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वे आवन्टन को रद्द कर पूर्व जमा की गयी धनराशि को सम्पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि को आवश्यक रूप से उपाध्यक्ष के विवेकानुसार ज़ब्त कर सकें ।

7.3: यह उचित होगा कि भविष्य में योजनायें बनाते समय उनके सम्भावित मूल्यों को आगणन वास्तविकताओं के अधिक ठोस आधार पर किया जाय । यह भी इच्छा व्यक्त की गयी कि योजना के कार्यान्वयन से पूर्व यथा-सम्भव रजिस्ट्रेशन द्वारा प्रत्याशी मांग सर्वेक्षण करा लिया जाय ।

§ कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता / वरिष्ठ नगर नियोजक §

विषय संख्या-8: नगर महापालिका अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवण्टित भूखण्डों की रजिस्ट्री से पूर्व आवन्टी के नाम परिवर्तन की अनुमति देना ।

8.1: निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रचलित नीति को ध्यान में रखते हुये आवन्टन के बाद आवण्टियों के केवल पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री के नाम जोड़ने अथवा उनके नाम परिवर्तन करने की अनुमति शपथ पत्र लेकर रजिस्ट्री कियेजाने की अनुमति दी जा सकती है ।

§ कार्यवाही: सचिव/अति0सचिव §

विषय संख्या-9: प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को भूमि/भवन क्रय अथवा भवन निर्माण अथवा वाहन क्रय हेतु प्राधिकरण निधि से अग्रिम धन की स्वीकृति ।

9.1: यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को चाहे वह किसी भी स्रोत से आये हों उसी प्रकार भूमि/भवन क्रय अथवा भवन निर्माण अथवा वाहन क्रय हेतु प्राधिकरण निधि से उसी प्रकार अग्रिम दिये जायें, जिस प्रकार लखनऊ नगर महापालिका में कर्मचारियों/ अधिकारियों को दिये जा रहे हैं । बशर्ते कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों को अभी तक

क्रमशः:---------5

मूलरूप से लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारियों/अधिकारी अग्रिम देने से पूर्व महापालिका/विकास प्राधिकरण में कार्यरत दो अस्थाई कर्मचारियों/ अधिकारियों की जमानत देना अनिवार्य होगा । इसी आधार पर उपाध्यक्ष प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित करेंगे ।

§ कार्यवाही-सचिव/ मुख्यलेखाधि0§

विषय संख्या-10: लालबाग गर्ल्स कालेज के प्रांगण में बी0 एन0 वर्मा रोड स्थित 16,000 ' वर्गफुट भूमि को कालेज के उपयोग की परिधि से निकाल कर दुकान/कार्यालय हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रार्थना ।

10.1: निर्णय लिया गया कि कन्याओं के शिक्षा संस्थाओं के समीप व्यावसायिक केन्द्र को बनाया जाना लोक हित में नहीं होगा । इस लिये भू-उपयोग के इस परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना उचित नहीं है ।

विषय संख्या-11: बनारसी बाग के पास सिविल अस्पताल के पीछे भूखण्ड पर 400 शैया युक्त चिकित्सालय बनाने हेतु निदेशक स्वास्थ्य विभाग के लखनऊ महायोजना में उक्त भूखण्ड को क्रियेशनल फैसलिटी से कम्युनिटी फैसलिटी प्रयोग में बदलने का अनुरोध ।

11.1: प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण निदेशक के पत्र में भूमि के आकार व क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है व वांछित भूमि का स्पष्ट विवरण नहीं है अतः स्वास्थ्य विभाग से उपरोक्तः-

§1§ भूखण्ड का विस्तृत विवरण, योजना चित्र प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया जाय ।

§2§ जिस विभाग की वह भूमि है व जिसके कब्जे में है उन विभागों की सहमति को उपरोक्त प्रयोग के लिये प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाय ।

तत्पश्चात उपरोक्त सूचनाओं को प्राधिकरण की अगली बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

§ कार्यवाही: वरिष्ठ नगर नियो0

विषय संख्या-12: अल्प आय वर्ग हेतु पाण्डेय का तालाब योजना में 60 दो कमरे वाले भवनों को दिनांक 22.4.77 को आमंत्रित निविदाओं पर विचार ।

12.1: चूंकि यह योजना "हडको" से स्वीकृत है अतएव इसको जारी रखा जाय किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक इकाई भवन को मूल्य "हडको" द्वारा निर्धारित रू0 10,000/- की सीमा के अन्दर ही दिखाने का प्रयास किया जाये । इस हेतु यह आवश्यक है कि विस्तृत आगणन पुनः मूल्य में कमी करने की दृष्टि से मुख्य अभियन्ता द्वारा बनाये जायें ।

§ कार्यवाही:- मुख्य अभियन्ता §

क्रमशः:----6

विषय संख्या-13: अभियन्त्रण विभाग के कर्मचारी स्व0 बब्बू चपरासी को पारिवारिक सेवाकाल में कमी को कण्डोन किया जाना ।

13.1: यह महसूस किया गया कि इस प्रकार छूट देने से ऐसा उदाहरण/ दृष्टान्त हो जायगा जिससे भविष्य में अन्य मामलों में भी छूट देनी पड़ सकती है। ऐसी दशा में प्रस्ताव अमान्य किया जाता है।

विषय संख्या-14: वशीरत गंज सामान्य एवं गृह योजना के अन्तर्गत ऐशबाग रोड में कुछ कारखानों आदि से उनके द्वारा अधिगृहीत भूमि को लेकर ऐशबाग रोड पर अन्य भूमि का दिया जाना।

14.1: निर्णय किया गया कि उपाध्यक्ष इस विषय में पक्षों को सुनकर विधि परामर्शी की राय को दृष्टि में रखते हुए विशिष्ट संस्तुति व प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष)

विषय संख्या-15: पेपरमिल योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्गीय भवन बनाकर जनता को लीज-होल्ड आधार पर उपलब्धकराना ।

15.1: चूँकि यह योजना स्वीकार एवं प्रकाशित की जा चुकी है अतः इनमें इसका ध्यान रखा जाय कि भवन इकाइयों का मूल्य निकालते समय कार्य योजना के प्रारम्भ से व कार्य की समाप्ति अवधि में जो वृद्धि होगी वह भी सम्मिलित की जाये।

15.2: भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं के लिये यह अधिक उचित होगा कि भवन एक मन्जिल से अधिक के बनाये जायें।

ऐसा करने से इकाई भवनों के मूल्य में कमी होगी और जनता में माँग भी बढ़ेगी।

(कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक/

मुख्य अभियन्ता)

विषय संख्या-16: लखनऊ नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों की मरम्मत तथा रंग-रोगन के कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में ।

16.1: हाई पावर्ड कमेटी द्वारा यह निर्णय हो चुका है कि इस कार्य को आगे स्थगित रखा जाय। प्राधिकरण अवगत हुआ कि 12.76 लाख रूपये डिमाण्ड के विरुद्ध अब तक के 5.5 लाख रूपये ही प्राप्त हुये हैं। प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य का अनुमानित व्यय रू0 8.5 लाख है। प्राधिकरण यह महसूस करता है कि कार्य करने वाले ठेकेदारों को बकाया धनराशि के भुगतान की आवश्यकता है।

क्रमश : 7

16.2: प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह भुगतान एक साथ नहीं किया जा सकता है। अतएव भुगतान स्टैगर्ड (Staggered) रूप में किया जाय।

16.3: भुगतान के लिये शासन को लिखाजाय कि वे कृपया स्पष्ट करें कि प्राधिकरण यह भुगतान अपनी किस निधि से निकाल कर नियमानुसार दूसरे निधि में स्थान्तरित करके किस प्रकार कर सकता है?

16.4: अधिभोगियों से धनराशि की प्राप्ति सूचना विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी)

विषय संख्या-17: नक्शा पास योजना के पुराने विस्थापितों की भाँति अन्य पुराने विस्थापितों को बिना प्रीमियम लिये दुकानो के आवण्टन के सम्बंध में।

17.1: इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष छानबीन करायें कि वर्तमान उपरोक्त 15 विस्थापितों नेअब तक अपना क्लेम( ) बिना प्रीमियम लिये दुकानों का आवण्टन करने हेतु क्यों नहीं किया था तथा यह भी जाँच लिया जाय कि यह विस्थापिती क्या उसी समय के हैं जिस समय के विस्थापितों को दुकान आवण्टन बिना प्रीमियम लिये किया गया है। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आख्या आगामी विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष/सचिव)

विषय संख्या-18: प्लानिंग विंग में आर्चीटेक्ट -कम-प्लानर पद पर कार्य कर रहें वरिष्ठ नगर नियोजक के पद-नाम "वरिष्ठ-नियोजक" रखे जाने के सम्बन्ध में।

18.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि तथ्य अस्पष्ट है अतएव सम्बन्धित तथ्य विकास प्राधिकरण के समक्ष अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत रूप में रखे जाने आवश्यक है। अतएव विषय पर निर्णय स्थिगित रखा जाय और आगामी बैठक मे विस्तृत एवं सुस्पष्ट आख्या विचारार्थ प्रस्तुत की जाय जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्राधिकरण की ओर से क्या कोई पत्र वरिष्ठ नगर नियोजक के लिये शासन को भेजा गया था? यदि हाँ, तो इसकी प्रति भी आख्या के साथ संलग्न की जाय।

(कार्यवाही-सचिव)

विषय संख्या-19: अलीगंज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भवनों की किस्तों की वसूली के सम्बन्ध में।

क्रमश : .....8..

19.1: इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पहले यह बताया जाय कि ऐसे कितने भवन है जिनका आवण्टन तो किया गया था किन्तु पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे, जिनका पूरा पैसा नहीं लिया गया है और कितने ऐसे मामले है जिनका पूरा धन जमा करा लिया गया है परन्तु भवन पूर्ण नहीं है? और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें भवनों का आवंटन तो हो चुका है परन्तु धन किश्तों में वसूला जा रहा है। अभी मामलों का कैटगरी-वाइज़ विभक्त करके स्पष्ट संस्तुति के साथ आगामी बैठक में निर्णय के लिये रखा जाय।

§कार्यवाही - सचिव/मुख्य अभियन्ता§

19.2: यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भवनों का आवण्टन तभी किया जाय जबकि वे पूर्ण रूप सेनिर्मित हो जायें।

§कार्यवाही -सचिव/मुख्य अभियन्ता§

विषय संख्या-20: महानगर गृह योजना के अन्तर्गत भारत स्काउट एण्ड गाइड को हाई-पावर कमेटी द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में ।

20.1: यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विस्तृत आख्या तैयार करके एवं विधि परामर्शी से परामर्श समस्त प्रकरणों पर प्राप्त किया जाय कि संस्था ने जो अतिक्रमण किया है उस/क्या विधिक कार्यवाही संस्था के विरुद्ध की जा सकती है? इसके बाद एक विस्तृत आख्या प्राधिकरण के निर्णय के लिये आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

§कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता/सचिव§

विषय संख्या-21: अनगारण्टीड डिवेन्चर्स के लिये संशोधन निधि के सम्बन्ध में ।

21.1: प्राधिकरण को गत् बैठक की कार्यवाही के अनुसार कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया।

विषय संख्या-22: उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक के सृजित पद के वेतनमान रू0425-900 से घटा कर वेतनमान रू0 320-620 करना तथा इसी वेतनमान में सचिव के वैयक्तिक सहायक के पद के सृजन के सम्बन्ध में।

22.1: यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर अधिक सुस्पष्ट आख्या विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

§कार्यवाही-सचिव§

विषय संख्या-23: नेहरू नगर, अम्बेदकर नगर तथा इन्द्रापुरी आदि बस्तियों को 600 वर्गफुट क्षेत्रफल पर भवनचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

23.1: यह निर्णय लिया गया कि:-

1- इस क्षेत्रफल का फिजिकल सर्वे किया जाय।

2- जो भवन स्थल पर निर्मित हैं उनमें से कितनो नेआर0 वी0 ओ0 ऐक्ट का उल्लंघन किया है इनकी विस्तृत लिस्ट बनाई जाय।

क्रमशः.....9....

3- मुख्य नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में इस सम्बन्ध में एक संस्तुति प्रस्तुत की जाय कि क्षेत्र में निर्मित भवनों को या भविष्य में होने वाले निर्माण को किस प्रकार से नियमित किया जाय। तत्पश्चात् यह विषय स्पष्ट आख्या सहित विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

{कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता}

विषय संख्या- 24: अलीगंज योजना में किराया-क्रय के आधार पर आवंटित भूखण्डों भवनों की किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में।

24.1: चूँकि इस विषय पर मद संख्या 19 में निर्णय हो चुका है अतएव अब इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

विषय संख्या-25: अलीगंज योजना में पत्रकारों को आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में।

25.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि अब तक भूखण्डों का पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक नियमानुसार उस आवंटी के नाम निबन्धन नहीं किया जा सकता है, अतएव शासन से पुनः अनुरोध किया जाय कि माननीय मंत्री जी द्वारा पारित आदेशों का पुनरावलोकन कर लिया जाय और आवश्यक निर्देश प्राप्त कराया जाय।

{कार्यवाही- अतिरिक्त सचिव}

विषय संख्या-26: अलीगंज योजना के 26 भू-स्वामियों को एक्स-ग्रेशिया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

26.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि यह स्थिति शासन के आदेशों के कारण ही उत्पन्न ही हुई है और एक्स -ग्रेशिया का भुगतान जिनकी धनराशि रू0 17,73,455-80 पै0 का है, जिसका भार यदि प्राधिकरण उठाता है तो यह उसको शत-प्रतिशत हानि होगी। अतएव शासन से अनुरोध किया जाय कि शासन उक्त एक्स-ग्रेशिया के भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये ताकि इस हेतु धनराशि को किसानों को एक्स-ग्रेशिया के रूप में दिया जा सके।

{कार्यवाही- सचिव/ मुख्य लेखाधिकारी}

विषय संख्या-27: मोहल्ला लालकुआँ स्थित हाता रसूल खाँ क्षेत्र जिसमें लगभग 3 बीघा 12 बिस्वाँ भूमि सम्मिलित है, नगर महापालिका द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में।

27.1: मोहल्ला लाल कुआँ स्थित हाता रसूल खाँ योजना के विषय में प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

क्रमशः ..... 10..

विषय संख्या -28: मोहल्ला गनेशगंज लखनऊ स्थित अहाता मातादीन क्षेत्र आवासीय योजना को निर्मित करनेके सम्बन्ध में ।

28.1: इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि :-
1- योजना की सम्भावित भू-दर तय करके पुनः तैयार की जाय।
2- यह भी देख लिया जाय कि क्या योजना आर्थिक रूप से वाइएबुल (Viable) है?
3- इस योजना में बहुमंजिले आवासीय भवन बनाने के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जाय।

(कार्यवाही -मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर-नियोजक)

विषय संख्या- 29: लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित शमन-शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

29.1: यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में दो-सदस्यीय एक समिति बनाई जाय जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 सदस्य होंगें और प्रस्तावों पर अन्य प्राधिकरणों के द्वारा अपनाये गये शमन-शुल्कों को अध्ययन कर प्रस्तावित शमनशुल्कों की दरों को अन्तिम रूप देंगें जो प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष)

विषय संख्या- 30: 100 शैयाओं का ई0एस0आई0 अस्पताल लखनऊ -कानपुर रोड पर बनाने हेतु ।

30.1: यह निर्णय लिया गया कि उस क्षेत्र की परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये अस्पताल के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाय।

(कार्यवाही - वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय संख्या -31: के0पी0 ट्रस्ट इलाहाबाद द्वारा लाटूश रोड (गौतम बुद्ध मार्ग) लेखनऊ पर दुकान के प्रस्तावित निर्माण हेतु मानचित्र जो मास्टर-प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हैको व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित करने हेतु।

31.1: यह निर्णय लिया गया कि लाटूश रोड पर सम्पूर्ण क्षेत्र का भू-उपयोग महायोजना के अनुरूप रखते हुये केवल इस योजना के कार्यान्वयन की अनुशंसा शासन को अनुमतिदेने के लिये की जाय।

(कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक)

क्रमशः 11

विषय संख्या -32: आर0टी0ओ0 के प्रांगण में प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक केन्द्र बनाये जाने के लिये भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

32.1: यह निर्णय लिया गया कि इस व्यवसायिक केन्द्र के लिये भी महायोजना में भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक उपयोग किये जाने के लिये शासन को संस्तुति की जाय। यह संस्तुति केवल इस व्यवसायिक केन्द्र के लिये ही होगी न कि सारे आस-पास के क्षेत्र के लिये।

(कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक)

-:-: अन्य तथा अतिरिक्त विषय अगलीबैठक के लिये स्थगित किये गये।

ह0/ वीरेन्द्र देव व्यास

(वीरेन्द्र देव व्यास)
अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
मण्डलायुक्त, लखनऊ।

-: - : -

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक, जो दिनांक 10.10.1977 को पूर्वान्ह 11-00 बजे आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में हुई का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:

1-	श्री वीरेन्द्र देव दास -	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।
2-	श्री नरेन्द्र बिहारी लाल -	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
3-	श्री बी० जे० खोदायजी -	आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4-	श्री जगन्ती प्रसाद दुबे -	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग, लखनऊ ।
5-	" राम मणि पाण्डेय -	उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
6-	श्री योगेन्द्र नारायण -	जिलाधिकारी, लखनऊ ।
7-	श्री जे० के० तनेजा -	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
8-	श्री बाबू राम -	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।

अन्य उपस्थित :

1-	श्री पी० एन० बाजपेयी -	अतिरिक्त सचिव, ल० वि० प्रा०
2-	श्री श्रीनाथ प्रसाद अग्रवाल-	मुख्य अभियन्ता, ल०वि० प्रा०
3-	श्री के० पी० सिंह -	वरिष्ठ नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०
4-	श्री के० बी० सक्सेना -	मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०

= x = x = x = x

विशेष प्रस्ताव : प्राधिकरण अपने मुख्य अभियन्ता, श्री सत्य प्रकाश गुप्त, के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करता है । प्राधिकरण स्वर्गीय श्री गुप्त की सेवाओं के प्रति आभार भी प्रकट करते हुये उनकी सराहना अभिव्यक्त करते हैं तथा उनके शोक-सन्तप्त परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकटकरते हैं ।

विषय संख्या-1 : गत बैठक दिनांक जुलाई 8, 1977 के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण ।

1:1 गत बैठक दिनांक जुलाई 8, 1977 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

विषय संख्या-1:ए सामान्य विचार-विमर्श के निर्णय और निर्देश :-

1.ए.1: मिटिंग का नोटिस तथा एजेण्डा पर टिप्पणियां 15 दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जायें, ताकि उनको अध्ययन का समय मिल सके ।

1.ए.2: चूंकि एक मिटिंग के लिये विचार-विमर्श की सामग्री अत्यधिक हो जाती है, अतएव 6 सप्ताह में एक मिटिंग अवश्य हो जाना चाहिये ।

क्रमशः-----2

1.ए.-3एजेण्डा या टिप्पणियाँ अधिक सुस्पष्ट तथा सभी दृष्टिकोण से पूर्ण होनी चाहिये । इस संबंध में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की टिप्पणियाँ अनुकरणीय हैं ।

1.ए.4 चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये विधि-अधिकारी की नियुक्ति हेतु शासन के न्याय विभाग के किसी अधिकारी के न मिलने की सूचना प्राप्त हो गयी है, अतएव यह निर्णय लिया गया कि इस पद को जिला जज से अधिवक्ताओं का एक पैनल मांग कर चयन किया जाय । उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है कि इस पद के लिये आवश्यक अर्हतायें, योग्यतायें व अनुभव विधि परामर्शी से विचार-विमर्श करके नियुक्ति की कार्यवाही करें ।

§ कार्यवाही: उपाध्यक्ष/सचिव §

विषय संख्या-2: पूर्व मिटिंग की कार्यान्वयन आख्या ।

2.1: प्राधिकरण के निर्णयों की कार्यान्वयन प्रगति की टिप्पणी में संक्षिप्त विवरण पूर्व निर्णय का दिये जाने से वह अधिक उपयोगी, होगी, अतएव ऐसा किया जाये । इस टिप्पणी में पूर्व निर्णय को संक्षिप्त संदर्भ भी होना चाहिये ।

§ कार्यवाही: सचिव §

2.2: चूंकि मूल बजट 1977-78 जुलाई में ही पास हुआ था अतएव पुनरीक्षित बजट अनुमान दिसम्बर की मिटिंग में रखा जाय ।

§ कार्यवाही: मुख्य लेखाधिकारी §

2.3: लखनऊ मास्टर प्लान की वैधता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विकास प्राधिकरण को राय निदेशक स्थानीय निकाय से प्राप्त कर आगे कार्यवाही की जाये ।

§ कार्यवाही: सचिव, ल0वि0प्रा0 §

विषय संख्या-3: विकास प्राधिकरण के लिये स्टीयरिंग कमेटी का गठन ।

3.1: यह अनुभव किया कि प्रस्तावित स्टीयरिंग कमेटी के गठन की स्वीकृति लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेना आवश्यक नहीं है अतः इस विषय पर किसी निर्णय का प्रश्न नहीं उठता ।

विषय संख्या-4: भूखण्ड/भवन अथवा प्राधिकरण की चल/अचल सम्पत्तियों के निस्तारण निर्धारित अवधि में नीलामी की उच्चतम बोली बोलने वाले पूर्ण धन का भुगतान न किये जाने अथवा रजिस्ट्री न किये जाने की दशा में प्रक्रिया ।

4.1: उच्चतम बोली बोलने वाले के द्वारा बोली का एक चौथाई धन तुरन्त जमा हो जाने के पश्चात जो एक मास का समय तीन चौथाई धन जमा करने को वर्तमान समय प्राधिकरण में प्रचलित है उसे बढ़ा कर अधिकतम दो मास किया जाय । इसी प्रकार पूर्ण धन जमा करने अथवा आवन्टन-पत्र पाने के पश्चात पट्टे की रजिस्ट्री आवन्टी द्वारा करने का समय भी अधिकतम दो मास किया जाय ।

उपरोक्त दो माह की अवधि उच्चतम बोली बोलने वालों द्वारा शेष धन व रजिस्ट्री कराने की अवधि दो मास तक, उपाध्यक्ष की स्वीकृति पर बढ़ाई जा सकती है ।

क्रमशः-----3

4.2 [illegible] अवधि [illegible]

अथवा आवन्टन पत्र पाने की अवधि में आवन्टी द्वारा रजिस्ट्री

4.2.: उपरोक्त अधिकतम अवधि में यदि उच्चतम बोली या तीन-चौथाई धान न जमा किया जाय अथवा प्रीमियम का सम्पूर्ण धान जमा करने अथवा आबण्टन पत्र पाने की अवधि में आवन्टी द्वारा रजिस्ट्री न कराई जाय तो उपाध्यक्ष द्वारा आवन्टी को नोटिस देकर आवण्टी की सुनवाई के उपरान्त समपूर्ण धान (मय प्रीमियम के) को अपने विवेक से ज़ब्त करने अथवा मामले में क्षतिपूर्ति लेने के बाद मामले में अन्तिम निर्णय ले लेने का अधिकार होगा ।

4.2: नीलाम की शर्तों का नीलाम की उच्चतम बोली की स्वीकृति, आवण्टी को जारी किया जाने वाले स्वीकृति-पत्र का आबण्टन पत्र का धान जमा करने, निबन्धन की मांग करने तथा डिफाल्ट की स्थिति में जारी किये जाने वाले नोटिस के प्रारूप विधि परामर्शी द्वारा अनुमोदित करा लिया जाय ताकि किसी भी समय सम्भावित विधिक एवं विधिक-अवरोधों से लखनऊ विकास प्राधिकरण के हितों की सुरक्षा विधिक दृष्टि से की जा सके ।

(कार्यवाही: उपाध्यक्ष/सचिव)

विषय संख्या-5: भूखण्डों की हस्तान्तरण द्वारा प्राधिकरण द्वारा शुल्क लिया जाना, प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.2.77 की कार्यवाही के निर्णय का स्पष्टीकरण ।

5,1: इस विषय पर आगामी मीटिंग में एक अधिक विस्तृत और स्पष्ट टिप्पणी प्रस्तुत की जाय जिसमें गत मीटिंग में लिये गये निर्णयों का स्पष्ट उल्लेख हो ।

(कार्यवाही: अतिरिक्त सचिव)

विषय संख्या-6: निराला शिक्षा सेवा संस्थान को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड दिया जाना ।

6.1: प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.7.75 के प्रस्तर संख्या-7 के अनुसार दातव्य संस्थाओं को भूखण्डों के प्रीमियम में जो 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया है उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट जानने की आवश्यकता समझी गई कि दातव्य संस्थाओं की परिभाषा में कौन कौन सी संस्थायें आ सकती हैं? निर्णय लिया गया कि इस प्रयोजनार्थ दातव्य संस्थायें वे ही मानी जायें जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर विभाग द्वारा आय-कर से छूट देने के लिये दातव्य संस्थायें मानी गयी हैं । तदनुसार दातव्य संस्थाओं हेतु माप दण्ड (Critaria) बनाया जाय और अगली बैठक में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

6.2: निराला शिक्षा सेवा संस्थान से पूछा जाय कि वे अपनी संस्था के (क) प्राप्तियां व देनक बतायें ताकि यह निश्चित हो सकेकि उनकी क्षमता प्रस्तावित कार्य की है अथवा नहीं?

(ख) कि वे किन आधारों पर अपने को दातव्य संस्था होने का दावा करते हैं?.

(कार्यवाही-अतिरिक्त सचिव)

क्रमशः:--------4

विषय संख्या-7: आई0 टी0 कालेज में निर्मित दुकान संख्या 2 व 22 का आवन्टन ।

7.1: विषय से सम्बन्धित आख्या व विभागीय अनुशंसा को स्वीकार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती पुष्पा शाही को रू0 10,000/- प्रीमियम लेकर दुकान संख्या 2 का आवंटन निरस्त कर दुकान संख्या 22 का आवंटन कर दिया जाय ।

7.2: निराला नगर में आई0 टी0 कालेज के निकट, महानगर तथा अलीगंज में स्थित व्यवसायिक केन्द्र में वे दुकानें जो अभी तक नहीं उठ पाई हैं उनमें न्यूनतम पूर्व निर्धारित प्रीमियम, यदि कोई आवण्टी चाहे तो इस शर्त पर भी किया जा सकता है कि प्रीमियम का 40 प्रतिशत तुरन्त तथा 20 प्रतिशत छमाही किस्तों में लिया जा सकता है बशर्ते कि आवन्टी प्रचलित बैंक की ऋण दरों से एक प्रतिशत अधिक ऋण बकाया धनराशियों, पर देने को तैयार होगा कि यदि किसी किस्त के देने में व्यवधान होगा तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वे आवन्टन को रद्द कर पूर्व जमा की गयी धनराशि को सम्पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि को आवश्यक रूप से उपाध्यक्ष के विवेकानुसार ज़ब्त कर सकें ।

7.3: यह उचित होगा कि भविष्य में योजनायें बनाते समय उनके सम्भावित मूल्यों को आगणन वास्तविकताओं के अधिक ठोस आधार पर किया जाय । यह भी इच्छा व्यक्त की गयी कि योजना के कार्यान्वयन से पूर्व यथा-सम्भव रजिस्ट्रेशन द्वारा प्रत्याशी मांग सर्वेक्षण करा लिया जाय ।

§ कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता / वरिष्ठ नगर नियोजक §

विषय संख्या-8: नगर महापालिका अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवण्टित भूखण्डों की रजिस्ट्री से पूर्व आवन्टी के नाम परिवर्तन की अनुमति देना ।

8.1: निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रचलित नीति को ध्यान में रखते हुये आवन्टन के बाद आवण्टियों के केवल पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री के नाम जोड़ने अथवा उनके नाम परिवर्तन करने की अनुमति शपथ पत्र लेकर रजिस्ट्री किये जाने की अनुमति दी जा सकती है ।

§ कार्यवाही: सचिव/अति0सचिव §

विषय संख्या-9: प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को भूमि/भवन क्रय अथवा भवन निर्माण अथवा वाहन क्रय हेतु प्राधिकरण निधि से अग्रिम धन की स्वीकृति ।

9.1: यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को चाहे वह किसी भी स्रोत से आये हों उसी प्रकार भूमि/भवन क्रय अथवा भवन निर्माण अथवा वाहन क्रय हेतु प्राधिकरण निधि से उसी प्रकार अग्रिम दिये जायें, जिस प्रकार लखनऊ नगर महापालिका में कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये जा रहे हैं । बशर्ते कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों को अभी तक

क्रमशः:---------5

मूलरूप से लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारियों/अधिकारी अग्रिम देने से पूर्व महापालिका/विकास प्राधिकरण में कार्यरत दो अथाई कर्मचारियों/ अधिकारियों की जमानत देना अनिवार्य होगा । इसी आधार पर उपाध्यक्ष प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित करेंगे ।

§ कार्यवाही-सचिव/ मुख्यलेखाधि0§

विषय संख्या-10: लालबाग गर्ल्स कालेज के प्रांगण में बी0 एन0 वर्मा रोड स्थित 16,000' वर्गफुट भूमि को कालेज के उपयोग की परिधि से निकाल कर दुकान/कार्यालय हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रार्थना ।

10.1: निर्णय लिया गया कि कन्याओं के शिक्षा संस्थाओं के समीप व्यावसायिक केन्द्र को बनाया जाना लोक हित में नहीं होगा । इस लिये भू-उपयोग के इस परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना उचित नहीं है ।

विषय संख्या-11: बनारसी बाग के पास सिविल अस्पताल के पीछे भूखण्ड पर 400 शैया युक्त चिकित्सालय बनाने हेतु निदेशक स्वास्थ्य विभाग के लखनऊ महायोजना में उक्त भूखण्ड को क्रियेशनल फैसलिटी से कम्युनिटी फैसलिटी प्रयोग में बदलने का अनुरोध ।

11.1: प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण निदेशक के पत्र में भूमि के आकार व क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है व वांछित भूमि का स्पष्ट विवरण नहीं है अतः स्वास्थ्य विभाग से उपरोक्त:-

§1§ भूखण्ड का विस्तृत विवरण, योजना चित्र प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया जाय ।

§2§ जिस विभाग की वह भूमि है व जिसके कब्जे में है उन विभागों की सहमति को उपरोक्त प्रयोग के लिये प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाय ।

तत्पश्चात उपरोक्त सूचनाओं को प्राधिकरण की अगली बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

§ कार्यवाही: वरिष्ठ नगर नियो0

विषय संख्या-12: अल्प आय वर्ग हेतु पाण्डेय. का तालाब योजना में 60 दो कमरे वाले भवनों को दिनांक 22.4.77 को आमंत्रित निविदाओं पर विचार ।

12.1: चूंकि यह योजना "हडको" से स्वीकृत है अतएव इसको जारी रखा जाय किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक इकाई भवन को मूल्य "हडको" द्वारा निर्धारित रू0 19,000/- की सीमा के अन्दर ही बनाने का प्रयास किया जाये । इस हेतु यह आवश्यक है कि विस्तृत आगणन पुन: मूल्य में कमी करने की दृष्टि से मुख्य अभियन्ता द्वारा बनाये जायें ।

§ कार्यवाही: मुख्य अभियन्ता §

क्रमशः:----6

विषय संख्या-13: अभियन्त्रण विभाग के कर्मचारी स्व0 बब्बू चपरासी को पारिवारिक सेवाकाल में कमी को कण्डोन किया जाना ।

13.1: यह महसूस किया गया कि इस प्रकार छूट देने से ऐसा उदाहरण/दृष्टान्त हो जायगा जिससे भविष्य में अन्य मामलों में भी छूट देनी पड़ सकती है। ऐसी दशा में प्रस्ताव अमान्य किया जाता है।

विषय संख्या-14: बशीरत गंज सामान्य एवं गृह योजना के अन्तर्गत ऐशबाग रोड में कुछ कारखानों आदि से उनके द्वारा अधिगृहीत भूमि को लेकर ऐशबाग रोड पर अन्य भूमि का दिया जाना।

14.1: निर्णय किया गया कि उपाध्यक्ष इस विषय में पक्षों को सुनकर विधि परामर्शी की राय को दृष्टि में रखते हुए विशिष्ट संस्तुति व प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष)

विषय संख्या-15: पेपरमिल योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्गीय भवन बनाकर जनता को लीज-होल्ड आधार पर उपलब्ध कराना ।

15.1: चूँकि यह योजना स्वीकार एवं प्रकाशित की जा चुकी है अतः इनमें इसका ध्यान रखा जाय कि भवन इकाइयों का मूल्य निकालते समय कार्य योजना के प्रारम्भ से व कार्य की समाप्ति अवधि में जो वृद्धि होगी वह भी सम्मिलित की जाये।

15.2: भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं के लिये यह अधिक उचित होगा कि भवन एक मन्जिल से अधिक के बनाये जायें।

ऐसा करने से इकाई भवनों के मूल्य में कमी होगी और जनता में माँग भी बढ़ेगी।

(कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक/
मुख्य अभियन्ता)

विषय संख्या-16: लखनऊ नगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों की मरम्मत तथा रंग-रोगन के कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में ।

16.1: हाई पावर्ड कमेटी द्वारा यह निर्णय हो चुका है कि इस कार्य को आगे स्थगित रखा जाय। प्राधिकरण अवगत हुआ कि 12.76 लाख रुपये डिमाण्ड के विरुद्ध अब तक के 5.5 लाख रुपये ही प्राप्त हुये हैं। प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य का अनुमानित व्यय रू0 8.5 लाख है। प्राधिकरण यह महसूस करता है कि कार्य करने वाले ठेकेदारों को बकाया धनराशि के भुगतान की आवश्यकता है।

क्रमशः 7

16.2: प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह भुगतान एक साथ नहीं किया जा सकता है। अतएव भुगतान स्टैगर्ड (Staggered) रूप में किया जाय।

16.3: भुगतान के लिये शासन को लिखाजाय कि वे कृपया स्पष्ट करें कि प्राधिकरण यह भुगतान अपनी किस निधि से निकाल कर नियमानुसार दूसरे निधि में स्थान्तरित करके किस प्रकार कर सकता है?

16.4: अधिभोगियों से धनराशि की प्राप्ति सूचना विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी)

विषय संख्या-17: नक्खास योजना के पुराने विस्थापितों की भाँति अन्य पुराने विस्थापितों को बिना प्रीमियम लिये दुकानों के आवण्टन के सम्बंध में।

17.1: इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष छानबीन करायें कि वर्तमान उपरोक्त 15 विस्थापितों नेअब तक अपना क्लेम( ) बिना प्रीमियम लिये दुकानों का आवण्टन करने हेतु क्यों नहीं किया था तथा यह भी जाँच लिया जाय कि यह विस्थापिती क्या उसी समय के हैं जिस समय के विस्थापितों को दुकान आवण्टन बिना प्रीमियम लिये किया गया है। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आख्या आगामी विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष/सचिव)

विषय संख्या-18: प्लानिंग विंग में आर्चीटिक्ट -कम-प्लानर पद पर कार्य कर रहें वरिष्ठ नगर नियोजक के पद-नाम "वरिष्ठ-नियोजक" रखे जाने के सम्बन्ध में।

18.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि तथ्य अस्पष्ट है अतएव सम्बन्धित तथ्य विकास प्राधिकरण के समक्ष अधिक स्पष्ट तथा विस्तृत रूप में रखे जाने आवश्यक है। अतएव विषय पर निर्णय स्थिगित रखा जाय और आगामी बैठक मे विस्तृत एवं सुस्पष्ट आख्या विचारार्थ प्रस्तुत की जाय जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्राधिकरण की ओर से क्या कोई पत्र वरिष्ठ नगर नियोजक के लिये शासन को भेजा गया था? यदि हाँ, तो इसकी प्रति भी आख्या के साथ संलग्न की जाय।

(कार्यवाही-सचिव)

विषय संख्या-19: अलीगंज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भवनों की किस्तों की वसूली के सम्बन्ध में।

क्रमश : .....8..

19.1: इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पहले यह बताया जाय कि ऐसे कितने भवन है जिनका आवण्टन तो किया गया था किन्तु पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे, जिनका पूरा पैसा नहीं लिया गया है और कितने ऐसे मामले है जिनका पूरा धन जमा करा लिया गया है परन्तु भवन पूर्ण नहीं है? और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें भवनों का आवंटन तो हो चुका है परन्तु धन किस्तों में वसूला जा रहा है। सभी मामलों का कैटगरी-वाइज़ विभक्त करके स्पष्ट संस्तुति के साथ आगामी बैठक में निर्णय के लिये रखा जाय।

{कार्यवाही - सचिव/मुख्य अभियन्ता}

19.2: यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भवनों का आवण्टन तभी किया जाय जबकि वे पूर्ण रूप सेनिर्मित हो जायें।

{कार्यवाही -सचिव/मुख्य अभियन्ता}

विषय संख्या-20: महानगर गृह योजना के अन्तर्गत भारत स्काउट एण्ड गाइड को हाई-पावर कमेटी द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में ।

20.1: यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विस्तृत आख्या तैयार करके एवं विधि परामर्शी से परामर्श समस्त प्रकरणों पर प्राप्त किया जाय कि संस्था ने जो अतिक्रमण कियाहै उस/किया विधिक कार्यवाही संस्था के विरुद्ध की जा सकती है? इसके बाद एक विस्तृत आख्या प्राधिकरण के निर्णय के लिये आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

{कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता/सचिव}

विषय संख्या-21: अनगारण्टीड डिवेन्चर्स के लिये शोधन निधि के सम्बन्ध में ।

21.1: प्राधिकरण को गत् बैठक की कार्यवाही के अनुसार कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया।

विषय संख्या-22: उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक के सृजित पद के वेतनमान रू0425-900 से घटा कर वेतनमान रू0 320-620 करना तथा इसी वेतनमान में सचिव के वैयक्तिक सहायक के पद के सृजन के सम्बन्ध में।

22.1: यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर अधिक सुस्पष्ट आख्या विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

{कार्यवाही-सचिव}

विषय संख्या-23: नहरू नगर, अम्बेदकर नगर तथा इन्द्रापुरी आदि बस्तियों को 600 वर्गफुट क्षेत्रफल पर भवनचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

23.1: यह निर्णय लिया गया कि:-

1- इस क्षेत्रफल का फिजिकल सर्वे किया जाय।

2- जो भवन स्थल पर निर्मित हैं उनमें से कितनो नेआर0 वी0 ओ0 ऐक्ट का उल्लंघन किया है इनकी विस्तृत लिस्ट बनाई जाय।

क्रमशः.....9....

3- मुख्य नगर एवं ग्राम निवेशन अभिकारी में इस सम्बन्ध में एक संस्तुति प्रस्तुत की जाय कि भूखण्ड में निर्मित भवनों को या भविष्य में होने वाले निर्माण को किस प्रकार से नियमित किया जाय। तत्पश्चात् यह विषय स्पष्ट आख्या सहित विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता)

विषय संख्या- 24: अलीगंज योजना में किराया-क्रय के आधार पर आवंटित भूखण्डों भवनों की किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में।

24.1: चूँकि इस विषय पर मद संख्या 19 में निर्णय हो चुका है अतएव अब इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

विषय संख्या-25: अलीगंज योजना में पत्रकारों को आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में।

25.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि अब तक भूखण्डों का पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक नियमानुसार उस आवंटी के नाम निबन्धन नहीं किया जा सकता है, अतएव शासन से पुनः अनुरोध किया जाय कि माननीय मंत्री जी द्वारा पारित आदेशों का पुनरावलोकन कर लिया जाय और आवश्यक निर्देश प्राप्त कराया जाय।

(कार्यवाही- अतिरिक्त सचिव)

विषय संख्या-26: अलीगंज योजना के 26 भू-स्वामियों को एक्स-ग्रेशिया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

26.1: यह निर्णय लिया गया कि चूँकि यह स्थिति शासन के आदेशों के कारण ही उत्पन्न ही हुई है और एक्स -ग्रेशिया का भुगतान जिनकी धनराशि रू0 17,73,455-80 पै0 का है, जिसका भार यदि प्राधिकरण उठाता है तो यह उसको शत-प्रतिशत हानि होगी। अतएव शासन से अनुरोध किया जाय कि शासन उक्त एक्स-ग्रेशिया के भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये ताकि इस हेतु धनराशि को किसानों को एक्स-ग्रेशिया के रूप में दिया जा सके।

(कार्यवाही- सचिव/ मुख्य लेखाधिकारी)

विषय संख्या-27: मोहल्ला लालकुआँ स्थित हाता रसूल खाँ क्षेत्र जिसमें लगभग 3 बीघा 12 बिस्वाँ भूमि सम्मिलित है, नगर महापालिका द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में।

27.1: मोहल्ला लाल कुआँ स्थित हाता रसूल खाँ योजना के विशाल प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

क्रमशः ..... 10..

विषय संख्या -28: मोहल्ला गनेशगंज लखनऊ स्थित अहाता मातादीन क्षेत्र आवासीय योजना को निर्मित करनेके सम्बन्ध में ।

28.1: इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि :-
1- योजना की सम्भावित भू-दर तय करके पुन: तैयार की जाय।
2- यह भी देख लिया जाय कि क्या योजना आर्थिक रूप से वाइए-बुल (Viable) है?
3- इस योजना में बहुमंजिले आवासीय भवन बनाने के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जाय।

(कार्यवाही -मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर-नियोजक)

विषय संख्या- 29: लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित शमन-शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

29.1: यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में दो-सदस्यीय एक समिति बनाई जाय जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 सदस्य होंगें और प्रस्तावों पर अन्य प्राधिकरणों के द्वारा अपनाये गये शमन-शुल्कों को अध्ययन कर प्रस्तावित शमनशुल्कों की दरों को अन्तिम रूप देंगें जो प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही- उपाध्यक्ष)

विषय संख्या- 30: 100 शैयाओं का ई0एस0आई0 अस्पताल लखनऊ -कानपुर रोड पर बनाने हेतु ।

30.1: यह निर्णय लिया गया कि उस क्षेत्र की परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये अस्पताल के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाय।

(कार्यवाही - वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय संख्या -31: के0पी0 ट्रस्ट इलाहाबाद द्वारा लाटूश रोड (गौतम बुद्ध मार्ग) लेखनऊ पर दुकान के प्रस्तावित निर्माण हेतु मानचित्र जो मास्टर-प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हैको व्यापारिक उपयोग के लिये परिवर्तित करने हेतु।

31.1: यह निर्णय लिया गया कि लाटूश रोड पर सम्पूर्ण क्षेत्र का भू-उपयोग महायोजना के अनुरूप रखते हुये केवल इस योजना के कार्यान्वयन की अनुशंसा शासन को अनुमतिदेने के लिये की जाय।

(कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक)

क्रमश : 11

विषय संख्या -32: आर0टी0ओ0 के प्रांगण में प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक केन्द्र बनाये जाने के लिये भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

32.1: यह निर्णय लिया गया कि इस व्यवसायिक केन्द्र के लिये भी महायोजना में भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक उपयोग किये जाने के लिये शासन को संस्तुति की जाय। यह संस्तुति केवल इस व्यवसायिक केन्द्र के लिये ही होगी न कि सारे आस-पास के क्षेत्र के लिये।

(कार्यवाही- वरिष्ठ नगर नियोजक)

-:- अन्य तथा अतिरिक्त विषय अगलीबैठक के लिये स्थगित किये गये।

ह0/ वीरेन्द्र देव व्यास

(वीरेन्द्र देव व्यास)
अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
मण्डलायुक्त, लखनऊ।

-: - : -